341

कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) बिहार, पटना

पत्रांक-ए0एम0जी0-1/मेंटिंग-1/2022-23/233 दिनांक...

सेवा में,

कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर परिषद, कांटी
मुजफ्फरपुर।

विषय :- निरीक्षण प्रतिवेदन सं0- 81/2022-23 के प्रेषण के संबंध में।

महाशय,

नगर परिषद, कांटी, मुजफ्फरपुर के वर्ष अप्रैल 2016 से मार्च 2022 तक के लेखाओं पर आधारित निरीक्षण प्रतिवेदन सं0 81/2022-23 आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है। अनुरोध है कि इस निरीक्षण प्रतिवेदन की कंडिकाओं का अनुपालन निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्ति के 4 सप्ताह के अन्दर पूर्ववर्ती निरीक्षण प्रतिवेदनों की लंबित कंडिकाओं के अनुपालन भी अभिप्रमाणित और साक्ष्य सहित प्रेषित किया जाये जिससे लेखापरीक्षा की उद्देश्य की पूर्ति हो सके।

यह निरीक्षण प्रतिवेदन लेखापरीक्षित इकाई द्वारा सत्यापित एवं उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं/विवरणों के आधार पर तैयार किया गया है। महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार, पटना का कार्यालय लेखा परीक्षित इकाई द्वारा किसी भी गलत सूचना देने अथवा सही तथ्यों छिपाने की जवाबदेही नहीं रखता है।

भवदीय

संलग्नक: यथोपरि

ह0/-

व0 लेखापरीक्षा अधिकारी
ए0एम0जी0-1 (मेंटिंग)

ज्ञापांक- ए0एम0जी0-1/मेंटिंग-1-2022-23/240 दिनांक ...
निरीक्षण प्रतिवेदन की एक प्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित:

1. प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार, पटना।
2. जिलाधिकारी, मुजफ्फरपुर।
3. सहायक निदेशक अंकेक्षण निदेशालय (डी0एल0एफ0ए0) बिहार, ऑफिसर्स हॉस्टल, वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

ह0/-

व0 लेखापरीक्षा अधिकारी
ए0एम0जी0-1 (मेंटिंग)

340

कार्यालय Kanti Nagar Parishad, Kanti, Muzaffarpur के लेखापरीक्षा पर निरीक्षण प्रतिवेदन

भाग –I (परिचय)

कार्यालय Kanti Nagar Parishad, Kanti, Muzaffarpur की लेखापरीक्षा दिनांक 26/08/2022 से 08/09/2022 तक Audit, Bihar के लेखापरीक्षा दल के निम्नांकित सदस्यों द्वारा की गई:-

नाम	पद	सदस्यता आरंभ	सदस्यता अंत
Rajesh Kumar	Sr. Auditor	26.08.2022	08.09.2022
Pankaj Kumar Sharma	SAO	26.08.2022	08.09.2022
Rishi Kumar Gautam	Asstt. Audit Officer (A)	26.08.2022	08.09.2022
Ajay Kumar	Asstt. Audit Officer	26.08.2022	08.09.2022

लेखापरीक्षा का पर्यवेक्षण श्री/सुश्री Pankaj Kumar Sharma, SAO द्वारा किया गया|

339

कार्यालय, प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार, पटना
निरीक्षण प्रतिवेदन सं.– 61/2022–23
भाग–I
प्रस्तावना

1	निरीक्षित कार्यालय का नाम	नगर परिषद कोंटी
2	कार्यपालक पदाधिकारी	श्री जय राम प्रसाद
3	लेखे की अवधि	अप्रैल 2016 से मार्च 2022 तक
4	लेखापरीक्षा की तिथि	दिनांक 26-08-2022 से दिनांक 08 -09 -2022 तक
5	विस्तृत जांच माह	अक्टूबर 2019 मार्च 2021 तथा जून 2021
6	अंकगणितीय जांच माह	
7	लेखा परीक्षा सदस्यों के नाम एवं पदनाम	श्री पंकज कुमार शर्मा, वरीय लेखा परीक्षा अधिकारी श्री अजय कुमार नं. 4, सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी श्री ऋषि कुमार गौतम, सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी (तदर्थ) श्री राजेश कुमार, सहायक पर्यवेक्षक
8	लेखा परीक्षा का कार्य क्षेत्र	माह अप्रैल 2018 से मार्च 2022 तक के लेखाओं की नमूना जांच की गई। उक्त अवधि मे कोषागार मे जमा तथा विस्तृत जाँच अक्टूबर 2019 मार्च 2021 तथा जून 2021 की गई राशियों का सत्यापन किया गया ।
9	क्या निर्गत आपत्तियों पर कार्यालय प्रधान से विचार विमर्श किया गया था?	हाँ, दिनांक 08-09-2022 को आपत्तियों पर विचार- विमर्श किया गया।

दावा अस्वीकरण प्रमाण-पत्र

(Disclaimer)

यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय, नगर परिषद कोंटी द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं के आधार पर तैयार किया गया है। यदि इकाई द्वारा कोई सूचना गलत दी गयी है या छिपायी गयी है तो उसका उत्तरदायित्व कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार, पटना का नहीं होगा।

The report has been prepared on the basis of information furnished and made available by the Executive Officer,Kanti Nagar Parishad , O/o the Accountant General (Audit) Bihar, Patna disclaims any responsibility for any misinformation and/or non-information on the part of auditee.

338

भाग-II
(लेखापरीक्षा निष्कर्ष)
भाग –II (अ)
(महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष)
शून्य

भाग –II (ब)
(अन्य लेखापरीक्षा निष्कर्ष)

सन्दर्भ संख्या: OBS-399956

विषय: वार्षिक लेखा का संधारण नहीं ।

विहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 86 तथा 88 में क्रमशः लेखा संधारण तथा वित्तीय विवरण तैयार करने का प्रावधान किया गया है। धारा 88 के अनुसार वित्तीय वर्ष की समाप्ति के चार माह के भीतर एक वित्तीय विवरण तैयार करना है जिसमें नगरपालिका लेखा के मद्दे पूर्ववर्ती वर्ष का आय-व्यय लेखा तथा प्राप्तियों एवं अदायगियों को अंतर्विष्ट करना है। इसके अतिरिक्त विहार नगरपालिका लेखा नियमावली, 2014 के नियम-120 के अंतर्गत प्राप्ति एवं भुगतान का मानिक विवरण बी0एम0ए0आर0 प्रपत्र संख्या-71 में तैयार करना है तथा नियम-122 के तहत प्राप्ति तथा भुगतान लेखा बी0एम0ए0आर0 प्रपत्र संख्या-71, आय तथा व्यय विवरण बी0एम0ए0आर0 प्रपत्र संख्या-73 एवं आर्थिक चिट्ठा बी0एम0ए0आर0 प्रपत्र संख्या-74 में संधारित करना है। लेकिन नगर परिषद, कोंटी द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2021-22 तक का न तो वित्तीय विवरण तथा न ही वार्षिक लेखा का संधारण किया गया था।

आगे जाँच में पाया गया कि नगर परिषद बोर्ड की बैठक में वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2019-20 तक का बजट नहीं बनाया गया था तथा वर्ष 2020-21 से 2021-22 तक का बजट बनाया गया था तथा इसे पारित भी किया गया था I वर्ष 2022-23 तक का बजट बनाया गया था परन्तु इसे पारित नहीं किया गया था I वर्ष 2020-21 से 2022-23 तक के बजट को नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को भेजा गया था I

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में नगर परिषद द्वारा न तो वार्षिक लेखा बनाये जाने, आय-व्यय का मदवार लेखा बनाने, I बजट के अनुकुल नगर परिषद द्वारा आय- व्यय नहीं होने, पारित बजट निर्धारित प्रपत्रों में नहीं किये जाने, बजट बनाते समय लेखा नियमावली, 2014 के नियम-132 का पालन तथा सार्वजनिक सहभागिता नहीं किये जाने, बजट की अर्द्धवार्षिक समीक्षा नहीं किये जाने, बजट प्राक्कलन के विरुद्ध लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं किये जाने, वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2021-22 तक का वित्तीय विवरण तथा वार्षिक लेखा का संधारण नहीं किये जाने एवं वर्ष 2022-23 तक का बजट बनाने के बावजूद पारित नहीं किये जाने के सम्बन्ध में जवाब दिया गया कि लेखापरीक्षा के दिशानिर्देश का पालन कर लेखापरीक्षा कार्यालय को सूचित कर दिया जायेगा.

जवाब संतोषप्रद नहीं है क्योंकि उपरोक्त नियमो एवं प्रक्रियाओ का पालन नहीं किया गया. अत: किये जाने वाले कृत कार्यवाई से साक्ष्य सहित जवाब लेखापरीक्षा कार्यालय को प्रेषित किया जाए.

सन्दर्भ संख्या: OBS-400651

विषय: राशि का अनियमित अवरोधन: रू 69.67 लाख ।

वित्तिय वर्ष 2017-18 में नागरिक सुविधा मद में राज्य के विभिन्न नगर निकायों में अशोक भवन के निर्माण करने का निर्णय नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा लिया गया। इसके कार्यान्वन हेतू नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा पत्रांक 127 दिनांक 28.02.18 के द्वारा कौंटी नगर परिषद को 69.67 लाख का आवंटन प्राप्त हुआ। इस कार्य की तकनिकी स्वीकृति कार्यपालक अभियंता बुडको मुजफ्फरपुर के द्वारा पत्रांक 167 दिनांक 05.04.2019 के द्वारा रू0 1,23,439.83.00 के लागत पर की गयी। योजना की प्रशासनिक स्वीकृति रुपए 139.33 लाख है। विदित हो कि अशोक भवन के निर्माण करने का निर्णय नगर विकास एवं आवास विभाग की एक अत्यन्त ही महत्वाकांक्षूठी परियोजना है जिसका उद्देश्य नगर निकायों में सामूदायिक गतिविधियों, सांस्कृतिक आयोजन एवं सम्मेलन हेतू एक जगह उपलब्ध कराना था जिसका की घोर अभाव नगर निकायों में रहा है। इस हेतू वर्ष 2018 में राशि का आवंटन किया गया परन्तु इतने लंबे समय तक व्यतीत होने के बावजूद आज तक नगर परिषद में अशोक भवन का निर्माण कार्य पूरा नहीं हो पाया है। आगे संचिका के अवलोकन से ज्ञात हुआ की कार्यालय के पत्रांक 230 दिनांक 13.03.2020 के द्वारा अंचल अधिकारी कौंटी से अशोक भवन निर्माण हेतु सरकारी जमीन का व्योरा देते हुए अनापत्ति प्रमाण पत्र की मांग की गयी । अंचल अधिकारी कौंटी के द्वारा पत्रांक 994 दिनांक 23.08.2020 के माध्यम से अशोक भवन निर्माण हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दी गयी। अधीक्षण अभियंता बुडको मुजफ्फरपुर के पत्रांक 01 दिनांक 08.01.2020 के द्वारा कार्यालय को निर्माण कार्य के आवंटन के बारे में जानकारी दी गयी । कार्यालय द्वारा पत्रांक: 229 दिनांक: 13.03.2020 के द्वारा चयनित संवेदक अभि बिल्डेक प्रा.लि. को एकरारनामा हेतू कहा गया । तदनुसार दिनांक: 13.06.2020 को एकरारनामा संपन्न हुआ । कार्यालय द्वारा पत्रांक 469 दिनांक 13.06.2020 के द्वारा संवेदक को कार्यदिश दिया गया । कार्य पूर्ण होने की तिथि 31.03.2021 निर्धारित की गयी । कार्यालय द्वारा पत्रांक: 856 दिनांक: 09.09.2020 के द्वारा चयनित संवेदक अभि बिल्डेक प्रा.लि. को अंचल अधिकारी से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण पत्र की जानकारी देते हुए शीघ्र कार्य आरंभ करने हेतू कहा गया । पुनः कार्यालय द्वारा पत्रांक: 299 दिनांक: 28.03.2022 के द्वारा चयनित संवेदक अभि बिल्डेक प्रा.लि. को शीघ्र कार्य आरंभ करने हेतू कहा गया । विदित हो की उपरोक्त आवंटित राशि अनुदान के रूप में दी गयी थी जिसका उपयोगिता प्रमाण पत्र आवंटित तिथि से 18 माह के अन्दर विभाग को भेज देनी थी। उपरोक्त तथ्यों के आलोक में अशोक भवन निर्माण में विलम्ब, कार्यदिश के बाद लगभग दो वर्षों तक बीत जाने के वावजूद कार्य शुरू नहीं करने के कारण संवेदक के विरुद्ध कार्यालय द्वारा कार्रवाई नहीं किये जाने, वर्तमान में कार्य की स्थिती एवं लंबे समय तक राशि के अनुपयोगी पडे रहने के कारण के सम्बन्ध में जवाब दिया गया कि अशोक भवन का कार्य कुर्सी स्तर तक पूर्ण किया जा चुका है. कार्य शीघ्र पूर्ण करा लेखापरीक्षा कार्यालय को सूचित कर दिया जायेगा.

जवाब संतोषप्रद नहीं क्योंकि 4 वर्ष की लम्बी अवधि बीत जाने के उपरान्त अब तक कार्य पूर्ण नहीं कराया गया है, जिसके कारण आवंटित राशि का अब तक उपयोग नहीं किया जा सका है, अत: किये जाने वाले कृत कारवाई से साक्ष्य सहित जवाब लेखापरीक्षा कार्यालय को प्रेषित किया जाए.

सन्दर्भ संख्या: OBS-403791

विषय: नगरपालिका लेखा समिति का गठन नहीं किया जाना।

बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 की धारा 98 के अनुसार नगरपालिका प्रत्येक वर्ष अपनी पहली बैठक मे अथवा इसके पश्चात किसी बैठक मे यथा संभव शीघ्र नगरपालिका लेखा समिति का गठन करेगी ।

336

यह समिति नगरपालिका द्वारा अपने व्यय के लिए प्रदत्त धनराशि के विनियोजन को दर्शाते हुए नगरपालिका के लेखा व वार्षिक वित्तीय विवरण की जांच करेगी । साथ ही आंतरिक लेखापरीक्षक व लेखापरीक्षक के प्रत्येक अंकेक्षण प्रतिवेदन मे विहित कंडिका के विरुद्ध कार्रवाई / अनुपालन प्रतिवेदन की समीक्षा व अनुमोदन करेगी । इसके अलावा नगरपालिका के व्यय अथवा भंडार और संचय की लेखा का परीक्षण करना अथवा नगरपालिका की सम्पदा जिनमे भू सम्पदा एवं भवन सम्मिलित हैं, की तालिका की जांच करने का भी दायित्व भी निर्वहन करेगी ।

नगर परिषद्, काँटी (मुजफ्फरपुर) के 2016-17 से 2021-22 के लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया कि नगर परिषद्, द्वारा नगरपालिका लेखा समिति का गठन नहीं किया गया है ।

नगरपालिका लेखा समिति का गठन नहीं किये जाने के सम्बन्ध में जवाब दिया गया कि नगर परिषद् के विस्तृत (विस्तारित) होने के कारण सभी समितियों को भंग किया गया है. समिति अस्तित्व में आते लेखापरीक्षा कार्यालय को सूचित कर दिया जायेगा.

उपरोक्त जवाब के आलोक में साक्ष्य सहित जवाब लेखापरीक्षा कार्यालय को प्रेषित किया जाए.

सन्दर्भ संख्या: OBS-403835

विषय: सामाजिक अंकेक्षण प्रावधान नहीं किया जाना।

जन सहभागिता के माध्यम से परियोजनाओं, कानून व नीतियों के कार्यान्वयन मे सार्वजनिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करना ही सामाजिक अंकेक्षण का मूल उद्देश्य है । पंचम राज्य वित्त आयोग द्वारा शहरी स्थानीय निकायों मे सामाजिक अंकेक्षण के संचालन हेतु अनुशंसा किया गया है ।इसी क्रम मे पंचम राज्य वित्त आयोग ने स्लम व गरीबी उन्मूलन परियोजनाओं मे सामाजिक अंकेक्षण को अनिवार्य माना है । छठे राज्य वित्त आयोग ने भी शहरी स्थानीय निकायों मे सामाजिक अंकेक्षण शुरू किए जाने की अनुशंसा की है।

नगर परिषद्, काँटी (मुजफ्फरपुर) के 2016-17 से 2021-22 के लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया कि नगर परिषद् द्वारा सामाजिक अंकेक्षण का कोई प्रावधान नहीं किया गया है ।

सामाजिक अंकेक्षण का प्रावधान नहीं किये जाने के सम्बन्ध में जवाब दिया गया कि बोर्ड के अस्तित्व में आते, बोर्ड में प्रस्ताव लाकर सामाजिक अंकेक्षण का प्रावधान किये जाने का प्रयास किया जायेगा. उपरोक्त जवाब के आलोक में पूर्व में बोर्ड के अस्तित्व में रहते सामाजिक अंकेक्षण का प्रावधान नहीं किया गया था. अत: किये जाने वाले कृत कारवाई से साक्ष्य सहित जवाब लेखापरीक्षा कार्यालय को प्रेषित किया जाए.

सन्दर्भ संख्या: OBS-403855

विषय: आंतरिक अंकेक्षण एवं दोहरी लेखा प्रणाली पर व्यय नहीं किया जाना.

नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार द्वारा पंचम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में नगर निकायों को प्राप्त होने वाले कुल अनुदान की राशि का 5% आंतरिक अंकेक्षण एवं दोहरी लेखा प्रणाली पर व्यय किये जाने की स्वीकृति दी गई थी, परन्तु नगर परिषद्, काँटी (मुजफ्फरपुर) हेतु इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का व्यय नहीं किया गया है, जबकि लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराये गए CFMS विवरणी के अनुसार नगर परिषद्,

काँटी (मुजफ्फरपुर) अंतर्गत पंचम राज्य वित्त आयोग मद में लेखापरीक्षा की अवधि तक कुल रु. 49320872.00 की राशि शेष बची हुई थी।

पंचम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में विभागीय स्वीकृति एवं राशि की उपलब्धता के बावजूद आंतरिक अंकेक्षण एवं दोहरी लेखा प्रणाली पर व्यय नहीं किये जाने के सम्बन्ध में जवाब दिया गया कि विभाग द्वारा आंतरिक अंकेक्षण एवं दोहरी लेखा प्रणाली हेतु राशि काट कर आवंटन उपलब्ध कराया जाता है।

उपरोक्त जवाब के आलोक में आंतरिक अंकेक्षण एवं दोहरी लेखा प्रणाली के प्रगति एवं व्यय से समबधित साक्ष्य उपलब्ध करा विधिवत जवाब लेखापरीक्षा कार्यालय को प्रेषित किया जाए।

सन्दर्भ संख्या: OBS-405097

विषय: उपभोक्ता शुल्क अधिरोपण नहीं करने से नगर परिषद् को राजस्व की न्यूनतम हानि :- रुपया 76.36 लाख।

बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 की धारा 128 एवं 228 में ठोस अवशिष्ट प्रबंधन के अन्तर्गत नगर निकाय क्षेत्र में घर – घर कचड़ा संग्रह के लिए शुल्क निर्धारित करने का प्रावधान है| उक्त प्रावधान के आलोक में नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार द्वारा अधिसूचना सं. 3/UIG – रिफोर्म्स 10 / 2012-1251 दिनांक 12.07.13 के द्वारा नगरपालिका क्षेत्रों में ठोस अवशिष्ट प्रबंधन हेतु उपभोक्ता शुल्क निर्धारित किया गया है | उपभोक्ता शुल्क की वसूली हेतु उपभोक्ता की श्रेणी को चार कोटि (क) आवासीय (ख) गैर आवासीय (ग) स्वास्थ्य सेवा संस्थान (केवल गैर बायो.मेडिकल वेस्ट) एवं (घ) अन्य में बांटी गयी है । इनसे उपभोक्ता शुल्क की दरें अलग – अलग निर्धारित की गयी है |

कार्यालय नगर परिषद्, काँटी द्वारा नगर परिषद् क्षेत्रांतर्गत होल्डिंग्स को उपर्युक्त चार श्रेणियों में विभाजित कर आंकड़ा तैयार नहीं किया गया है | कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ो तथा नगर एवं आवास विभाग को प्रेषित किए गए प्रतिवेदन के अनुसार नगर परिषद् क्षेत्र में वित्तीय वर्ष 2016-17 में आवासीय एवं अन्य होल्डिंग्स की कुल संख्या 5313 थी |

नगर परिषद् कार्यालय द्वारा घर- घर से कूडा का उठाव किया जा रहा था | नगर परिषद् द्वारा उपलब्ध कराए गये अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि निकाय द्वारा बिहार नगरपालिका अधिनियम की उपरोक्त वर्णित धारा एवं नगर विकास एवं आवास विभाग के निर्देश के अनुपालन में उपभोक्ता शुल्क की वसूली नहीं की गयी थी | उक्त शुल्क की वसूली यदि नगर पंचायत क्षेत्र (मार्च 2021 के पहले) हेतु निर्धारित प्रति उपभोक्ता न्यूनतम दर रू. 20/- प्रतिमाह, जो आवासीय उपभोक्ता की श्रेणी के लिए निर्धारित है, की दर से गणना करने पर पाया गया कि नगर परिषद् को अप्रैल 2016 से मार्च 2022 तक की अवधि में न्यूनतम रू. 7650720.00 के राजस्व की हानि हुई| जिसकी विवरणी निम्न प्रकार है :

क्रम संख्या / वितीय वर्ष	आवासीय होल्डिंग की संख्या	प्रति उपभोक्ता हेतु न्यूनतम मासिक दर	अवधि (अप्रैल 2016 से मार्च 2022 तक)	उपभोक्ता शुल्क की वसूली की जाने वाली कुल राशि
1/2016-17	5313	20.00	12 माह	5313 x 12 x 20 = 1275120.00
2/2017-18	5313	20.00	12 माह	5313 x 12 x 20 = 1275120.00
3/2018-19	5313	20.00	12 माह	5313 x 12 x 20 = 1275120.00
4/2019-20	5313	20.00	12 माह	5313 x 12 x 20 = 1275120.00

384

5/2020-21	5313	20.00	12 माह	5313 x 12 x 20 = 1275120.00
6/2021-22	5313	20.00	12 माह	5313 x 12 x 20 = 1275120.00
			TOTAL	7650720.00

इस प्रकार बिहार नगरपालिका अधिनियम की उपरोक्त वर्णित धारा एवं नगर विकास एवं आवास विभाग के निर्देश का अनुपालन नहीं करने से नगर पंचायत को न्यूनतम रुपया 7650720.00 की राजस्व की हानि हुई |

लेखापरीक्षा के आपति में कार्यालय द्वारा जबाब दिया गया कि वितीय वर्ष 2022-23 से निकाय स्तर से की जा रही है | पिछले वकाया की वसूली कर, साक्ष्य के साथ लेखापरीक्षा कार्यालय को शीघ्र सुचना दी जाये |

सन्दर्भ संख्या: OBS-405114

विषय: निजी भवनों एवं सरकारी भवनों / भूमि पर सम्पत्ति कर की राशि बकाया :-रुपया 2307301.00

बिहार नगरपालिका लेखा नियामावली, 2014 के नियम 53 (1) के अनुसार, ''कर देय है तथा निर्धारिति द्वारा भुगतेय है, तो उसका विवरण संबंधित विभाग बी.एम ए.आर प्रपत्र संख्या 23 में संधारित माँग बही में रखेंगे । नियम 53 (2) के अनुसार, ''इस माँग बही को संबंधित विभाग अद्यतन करेगा जो मांग या मांग के देय होने या किसी करदाता से संग्रहण तथा करदाताओं पर बकाया राशि के विषय में होगा । आगे, नियम 53 (3) के अनुसार, ''विभाग के प्रमुख / मुख्य नगरपालिका अधिकारी मासिक आधार पर संपत्ति या अन्य करों की मांग / समायोजन का विवरण बी.एम.ए.आर प्रपत्र संख्या 24 में तैयार करेंगे।

लेखापरीक्षा जाँच में पाया गया कि नगर परिषद् द्वारा माँग पंजी (प्रपत्र संख्या 23 में) का संधारण नही किया जा रहा था | निगम द्वारा उपलब्ध कराए गए विवरण के अनुसार सम्पत्ति कर के रूप वित्तीय वर्ष (2021-22) के अंत में कुल रुपया 2307301.00 बकाया है|

विवरणी निम्नवत् है:-

वित्तीय वर्ष	कुल होल्डिंग संख्या	वर्तमान वित्तीय वर्ष की मांग	कुल मांग (पूर्व वितीय वर्ष का बकाया एवं वर्तमान वित्तीय वर्ष का मांग सहित)	वित्तीय वर्ष के दौरान कुल वसूली	वित्तीय वर्ष के अंत में कुल बकाया	वसूली का प्रतिशत
2016-17	5313	1557000	1557000	314203	1242797	20.18
2017-18	5313	1557000	2799797	689573	2110224	24.63
2018-19	5313	1557000	3667224	1816988	1850236	49.54
2019-20	5313	1557000	3407236	1340544	2066692	39.34
2020-21	5313	1557000	3623692	1946970	1676722	53.72
2021-22	5313	1557000	3233722	926421	2307301	28.65

उपरोक्त विवरणी से यह स्पष्ट है कि पिछले छह वर्षो में संपत्ति कर की वसूली में बढ़ोतरी गिरावट दोनों आयी है | निकाय के आय के विभिन्न स्त्रोतों में, सम्पत्ति कर एक महत्वपूर्ण स्त्रोत है। इसमें प्रत्येक वर्ष बढ़ोत्तरी किया जाना चाहिए था। वित्तीय वर्ष 2021-22 में मात्र 28.65 प्रतिशत ही संपति कर की वसूली किया गया है ,जो करों की वसूली में परिषद् की शिथिलता को दर्शाता है। इसके अतिरिक्त नगर परिषद् द्वारा 2016-17 से 2020-

- 21 तक कुल 140 भवनों का नक्शा स्वीकृत किया गया है,इसके बावजूद कार्यालय द्वारा होल्डिंग की संख्या एवं संपति कर की मांग /वसूली में वृद्धि नहीं की गयी |
- लेखापरीक्षा के आपति में कार्यालय द्वारा जबाब दिया गया कि आंशिक स्तर से आंशिक वसूली की जा रही है| पूर्ण रूप से वसूली के लिए नोटिस निर्गत किया गया है | पूर्ण वसूली के लिए प्रयास किया जायेगा |

पूर्ण वसूली कर, साक्ष्य के साथ लेखापरीक्षा कार्यालय को शीघ्र सुचना दी जाये |

सन्दर्भ संख्या: OBS-405125

विषय: बिहार भवन उपविधि 2014 का अनियमित क्रियान्वयन।

बिहार भवन उपविधि 2014 दिनांक 08.12.14 को अधिसुचित हुई और दिनांक 29.12.15 को बिहार गज़ट मे प्रकाशित हुई |

अधिसूचना के आलोक में यह निम्न क्षेत्रों में लागु है:-

(i) सभी नगर निगम (ii) सभी नगर परिषद (iii) सभी नगर पंचायत (iv) सरकार के घोषणा के उपरांत सभी महानगरीय क्षेत्र इत्यादि |

नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा पत्रांक दिनांक 09.02.2015 के माध्यम से सभी स्थानीय निकायो को यह सुनिश्चित करने को कहा कि सभी भवनों की योजना बिहार भवन उपविधि के प्रावधानों के तहत स्वीकृत किए जाएँ |

कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराए गए नक्शा स्वीकृति से संबंधित पंजी तथा स्वीकृत नक्शा की नमूना जाँच में बिहार भवन उपविधि के क्रियान्वयन मे निम्न अनियमितता पायी गई –

(क) विकास परमिट शुल्क की कम वसूली के कारण न्यूनतम हानि राशि रुपया: 4.21 लाख ।

बिहार भवन उपविधि 2014 की कंडिका 07 (2) के अनुसार विकास परमिट शुल्क के रूप में नगर पंचायत के लिए आवसीय भवन हेतु न्यूनतम रु. 6000, नगर परिषद् के लिए रु. 8000 तथा 07 (2) (ii) के अनुसार गैर-आवसीय भवनों के लिए आवासीय भवन हेतु निर्धारित शुल्क से दोगुनी शुल्क वसूल करना है | परंतु स्वीकृत नक्शों के नमूना जाँच के क्रम में पाया गया कि नगर परिषद् काँटी जो मार्च 21 के पहले नगर पंचायत था, द्वारा भवन निर्माण हेतु नक्शा स्वीकृत करते समय विकास शुल्क के रूप में बिना किसी नियम का अनुसरण करते हुए प्रति भवन की राशि की वसूली की जा रही है | कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराए गए नक्शा पंजी के अनुसार 2016 – 17 से 2021 – 22 तक कुल 140 नक्शा की स्वीकृति प्रदान की गयी है |

अतः कार्यालय द्वारा विकास परमिट शुल्क के रूप में न्यूनतम 840000.00 (6000 x 140) की वसूली किया जाना चाहिए था | परंतु परिषद् द्वारा 140 नक्शों की स्वीकृति में विकास परमिट शुल्क के रूप में कुल 419194 रु वसूली किए जाने के कारण निकाय को न्यूनतम राशि रुपया 420806 की हानि हुई |

विहार भवन उपविधि 2014 के अनुसार विकास परमिट शुल्क वसूल नहीं किए जाने के कारणों से लेखापरीक्षा को अवगत कराया जाए |

(ख) प्रभावी अनुश्रवण के लिए वांछित रजिस्टर/ सूचनाओं का संधारण नहीं किया जाना |

बिहार भवन उपविधि 2014 की कंडिका 81 के अनुसार एक अनुश्रवण प्रणाली का गठन किया जाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बिहार भवन उपविधि के प्रावधानों का पालन किया जा रहा है और इन प्रावधानों के उल्लंघन (अतिक्रमण की प्रक्रिया) पर त्वरित कारवाई की जा रही है | पुनः बिहार भवन उपविधि 2014 कंडिका 26 (4) के अनुसार निकाय द्वारा योजना की स्वीकृति के लिए प्राप्त आवेदनो से संबन्धित सूचनाओं को रजिस्टर मे निम्नलिखित प्रपत्र (प्रपत्र XIV) के अनुसार संधारित किया जाना चाहिए:-

क्रम संख्या	आवेदक का नाम एवं पता	आवेदन प्राप्ति कि तिथि	पत्रांक सहित स्वीकृति / अस्वीकृति की तिथि	कार्य प्रारम्भ करने की सूचना की तिथि	आवधिक प्रगति प्रतिवेदन की	कार्य पूर्ण होने की सूचना की तिथि	अधिभोग / अनुज्ञा निर्गत / अस्वीकृति की तिथि	अभियुक्ति	अधिकृत व्यक्ति का हस्ताक्षर

332

					सूचना की तिथि				
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)	(vii)	(viii)	(ix)	(x)

उपरोक्त प्रपत्र में रजिस्टर संधारित होने से आवेदनों की अद्यतन प्रगति से अधिकारी अपने को अवगत तथा अधिभोग अनुमति निर्गत होने तक कार्य का अनुश्रवण कर सकते थे | परन्तु नगर पंचायत, सिलाव द्वारा उपरोक्त प्रपत्र में रजिस्टर का संधारण नहीं किया जाता है | इसके अलावा निकाय द्वारा अन्य सूचनाए यथा निर्मित घरों कि संख्या, अधिभोग अनुमति की संख्या, प्रपत्र XIII मे निर्गत पूर्णता सूचना, अभियन्ताओं, आर्किटेक्ट, स्ट्रक्चरल अभियंता द्वारा प्रस्तुत सावधिक प्रगति प्रतिवेदन, भवन उपविधि के उल्लंघन से संबन्धित आवेदन / शिकायत, सूचना के अधिकार के तहत प्राप्त शिकायतों, निरीक्षण आदि भी संधारित नहीं पाया गया |

इससे यह स्पष्ट होता है कि नगर परिषद् मे इन सूचनाओं का कोई संधारण नहीं होता है ।

विहित प्रपत्र में रजिस्टर एवं संदर्भित सूचनाओं के संधारण नहीं किए जाने से नगर परिषद् लंबित आवेदनों कि वास्तविक संख्या, सावधिक प्रगति प्रतिवेदन, पूर्णता कि स्थिति, अधिभोग कि स्थिति आदि से अनभिज्ञ है ।

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि नगर परिषद् , कौंटी नगर परिषद् क्षेत्र में बिहार भवन उपविधि के सफल क्रियान्वयन का अनुश्रवण करने मे विफल रहा ।

अतः विहित प्रपत्र में सुचना संधारित नहीं किए जाने के कारणों से लेखापरीक्षा को अवगत कराया जाए |

(ग) बिहार अग्निशमन सेवा प्राधिकार के अनापत्ति प्रमाण पत्र के बिना ही नक्शा स्वीकृत किया जाना

बिहार भवन उपविधि कि कंडिका 5 (6) (v) के अनुसार 15 मीटर और उससे अधिक ऊंचाई वाले या 500 वर्गमीटर से अधिक जमीनी आच्छादन वाले सभी भवनों के लिए बिहार अग्नि सेवा अधिनियम 2014 के अध्याय VI के अधीन अधिसूचित किए जाने वाले प्राधिकार से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाएगा |

हाइ राइज़ भवनो के स्वीकृत नक्शा के नमूना जाँच में यह देखा गया कि भवन पंजी में हाई राइज भवन का वर्गीकरण ही नहीं किया गया है, जिससे यह पता नहीं चल सका कि कितने भवनों को अग्निशमन पदाधिकारी के अनापत्ति प्रमाण पत्र के बिना ही नक्शा स्वीकृत किया गया |

(घ) लेबर सेस मद मे राशि की वसूली नहीं किया जाना

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा Writ Petitition (Civil) No. 318 of 2006 के आदेश के क्रम में मुख्य सचिव, बिहार सरकार, पटना के पत्र दिनांक 05-01- 2010 के क्रम में वैसे रिहायशी भवन जिसका लागत 10 लाख रूपये से अधिक था उनसे एक प्रतिशत राशि नक्शा स्वीकृत करने के समय लेबर सेस वसूल करना था | अतः नगर परिषद् कार्यालय तथा वास्तुविदों द्वारा नक्शों में भवन निर्माण की प्राक्कलित राशि दर्शानी थी |

उपरोक्त प्रावधान, आदेश के अनुपालन में नक्शा पारित करते समय कार्यालय तथा वास्तुविदों द्वारा प्राक्कलित राशि का वर्णन नहीं किया गया एवं निर्माण श्रमिकों के कल्याणार्थ कुल निर्माण लागत का एक प्रतिशत लेबर सेस की वसूली नही की गयी | अतः यह संयुक्त श्रमायुक्त सह सचिव बिहार भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, श्रम संसाधन विभाग, पटना में जमा नहीं हो पा रहा है | यह माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा Writ Petitition (Civil) No. 318 of 2006 के आदेश के क्रम में मुख्य सचिव, बिहार सरकार, पटना के पत्र दिनांक 05-01- 2010 द्वारा सूचित, का उल्लंघन है |

नगर परिषद् , तथा वास्तुविदों द्वारा नक्शों में भवन निर्माण की प्राक्कलित राशि नहीं दर्शायी गयी थी, इसके कारण लेखा परीक्षा द्वारा नहीं काटे गए लेबर सेस की राशि ज्ञात नहीं की जा सकी |

(च) स्वीकृत नक्शों को निकाय के वेबसाइट पर Upload नहीं किया जाना

नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक 473 दिनांक 12.08.16 के द्वारा सभी नगर निगम / नगर परिषद / नगर पंचायत को G+3/S+3 (11 mt.) एवं इससे ज्यादा तल्लों के ऊंचाई वाले भवनों के सभी स्वीकृत नक्शों एवं भविष्य में उक्त श्रेणी के भवनों की स्वीकृति के उपरांत नक्शों के प्रति को निकाय के website पर upload करना सुनिश्चित किए जाने हेतु निर्देशित किया गया था | इसके अतिरिक्त सभी G+3/S+3 के भवनों

के लिए यह कारवाई सुनिश्चित करने के बाद अन्य भवनों के स्वीकृत स्वीकृत नक्शों को भी निकाय के website पर upload करना था | परंतु नगर विकास एवं आवास विभाग के निर्देश के बावजूद भी परिषद् द्वारा स्वीकृत नक्शों को निकाय के website पर upload नहीं किया जा रहा है |

उपरोक्त सभी वर्णित आपत्तियों से यह स्पष्ट है की नगर परिषद् , काँटी द्वारा बिहार भवन उपविधि 2014 के क्रियान्वयन में शिथिलता बरती जा रही है तथा इसके सफल क्रियान्वयन का अनुश्रवण हेतु समुचित व्यवस्था नहीं है|

लेखापरीक्षा के आपति में कार्यालय द्वारा जबाब दिया गया कि लेखापरीक्षा के दिशा निर्देश का पालन किया जायेगा |

दिशा निर्देश का पालन कर साक्ष्य के साथ लेखापरीक्षा कार्यालय को सूचित करे |

सन्दर्भ संख्या: OBS-405660

विषय: सड़क का चौड़ीकारण PCC पथ एवं नाला निर्माण कार्य की समीक्षा।

1. थर्मल पावर ऐस डेम बांध से बालिका मध्य विद्यालय तक के सड़क का चौड़ीकारण एवं PCC पथ (4700 मीटर) आकार के पथ निर्माण कार्य की समीक्षा।

कार्य का नाम: **थर्मल पावर ऐस डेम बांध से बालिका मध्य विद्यालय तक के सड़क का चौड़ीकारण एवं PCC पथ (4700 मीटर) आकार के पथ निर्माण कार्य की समीक्षा।**	
पथ की लम्बाई	4700 मीटर
संवेदक	Asiana Constract Pvt. Ltd.
एकरारनामा संख्या	01/SBD/2017-18
एकरारनामा की राशि	26977119/-
कार्य प्रारंभ की तिथि	20.11.2017
कार्य पूर्ण होने की तिथि	17.06.2019
अद्यतन भुगतान	23703969/-
मापीपुस्त संख्या	01
कार्य की स्थिति	अपूर्ण

उपलब्ध कराये गये अभिलेखों यथा कार्य संचिका, प्राक्कलन, एकरारनामा, मापी पुस्त आदि के जांच में निम्नांकित अनियमितता पाई गई -

(क) कार्य अपूर्ण होने के कारण निष्फल व्यय, राशि **₹ 237.04** लाख।

उपरोक्त कार्य वर्ष एकरारनामा के अनुसार दिनांक 20.11.2017 से ही प्रारम्भ किया जाना था जिसके पूर्ण होने की तिथि 17.06.2019 थी, परन्तु लेखापरीक्षा को प्राप्त कार्य संचिका के मापीपुस्त में पाया गया की सम्बंधित कार्य 4 माह के विलम्ब से दिनांक 24.03.2018 को शुरू किया गया. 3 वर्ष से अधिक की अवधि बीत जाने के उपरांत भी संबंधित कार्य को अब तक (अगस्त 2022) पूर्ण नहीं कराया गया है। मापी-पुस्त के अनुसार पांचवें एवं चालू विपत्र तक दिनांक 02.02.2022 के बाद कार्य में कोई प्रगति नहीं पायी गई, जिसके कारण इस पथ के निर्माण में किया गया कुल व्यय ₹23703969/- अबतक निष्फल है, जिससे इसके निर्माण के उद्देश्यों की पूर्ति अबतक नहीं हो पाई है। साथ ही , इतनी लम्बी अवधि के अपूर्ण कार्य में प्रगति नहीं होने के कारण किये गए कार्य के क्षतिग्रस्त

हो जाने की भी पूरी संभावना है । उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के जाँच के क्रम में यह पाया गया कि संबंधित कार्य के अवधि विस्तार की स्वीकृति हेतु न तो सम्बंधित एजेंसी द्वारा अनुमोदन किया गया एवं न ही इस सम्बन्ध में कार्यालय नगर परिषद् , कौंटी द्वारा अवधि विस्तार से संबंधित स्वीकृति आदेश निर्गत किया गया। इस संबंध में लेखापरीक्षा द्वारा अवधि विस्तार के स्वीकृति के संबंध में साक्ष्य की मांग की गई परंतु कार्यालय नगर परिषद् , कौंटी द्वारा इस संबंध में कोई भी साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया जा सका।

(ख) एकरारित मात्रा से कार्य कम/नहीं कराया जाना।

लेखापरीक्षा द्वारा मापीपुस्त (MB No. 01) की जांच में पाया गया कि प्रथम मापी दिनांक 24.03.2018 अर्थात कार्य शुरू होने के 3 माह के विलम्ब से हुई। कार्य की दूसरी मापी दिनांक 15.05.2019 एवं तीसरी मापी दिनांक 06.01.2020 को हुई, कार्य की तीसरी मापी के पूर्व ही दिनांक 17.06.2019 को कार्य पूर्ण होने की अवधि समाप्त हो चुकी थी । कार्य की चौथी मापी दिनांक 28.01.2021 एवं कार्य की पांचवीं मापी दिनांक 03.02.2022 तक पथ का कार्य अपूर्ण था । अतः स्पष्ट है कि संवेदक द्वारा किए गए कार्य की प्रगति काफी धीमी थी । जाँच में यह भी पाया गया कि संवेदक द्वारा निष्पादित कराये गए कार्य में भी कार्य के कई महत्वपूर्ण घटकों को आंशिक तथा पूर्ण रूप से नहीं कराया गया। अतः एकरारनामा के अनुसार नहीं/कम किए गए कार्य की विवरणी निम्नवत् है:

Construction of PCC Road From Thermal Power aishdam to Girls Middle School								
क्रम संख्या	कार्य का विवरण	यूनिट	एकरारनामा के अनुसार आवश्यक मात्रा	MB के अनुसार कार्य की मात्रा	कम किया गया कार्य	दर	कम किये गए कार्य का मूल्य	एकरारनामा के अनुसार कुल मूल्य
1	Supplying and fitting on plinth wish	M^3	3487.27	2153.93	1333.34	386.86	515815.9	1349085
2	Providing 100 A one Brick on edge soling joints	M^2	7761.38	2041.65	5719.73	434.18	2483392	3369836
3	Construction of granular sub base	M^3	1188.5	1139.323	49.177	4023.89	197882.8	4782393
4	Providing unreinforced plane cement concrete pavement	M^3	2987	2981.592	5.408	5855.14	31664.6	17489303
5	Centering and shuttering including strutting propping etc.	M^2	2181.57	1963.59	217.98	166.3	36250.07	362795

6	Centering and shuttering including strutting propping etc.	M^3	119.97	0	119.97	166.7	19999	19999
7	Earth work in excavation in foundation tranche	M^3	44.87	41.1	3.77	205.2	773.604	9207
8	Providing 100 A one Brick on edge soling joints	M^2	28.98	19.44	9.54	268.46	2561.108	7780
9	Providing Plain cement conrete in foundation	M^3	2.17	1.45	0.72	5051.83	3637.318	10962
10	Providing reinforced cement concrete in foundation	M^3	18.05	13.08	4.97	5995.04	29795.35	108211
11	Providing reinforced for RCC work	Kg	1624.5	1143.12	481.38	56.22	27063.18	91329
Total							**3348835**	**27600900**
Amount to be Paid to the Agency				**(27600900-3348835) Below 2.26%**				**23703968/-**
Amount paid to Agency on 5th Running Bill								**23703969/-**

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि कार्य की धीमी प्रगति के कारण संबंधित उद्देश्यों को पूरा नहीं किया जा सका। साथ ही निष्पादित किये गये कार्य में भी कई महत्वपूर्ण घटकों का कार्य अव तक नहीं किया गया है।

(ग) माइलस्टोन न प्राप्त करने की दशा में संवेदक को अनुचित लाभ ₹10.79 लाख।

लेखापरीक्षा के जाँच के क्रम में यह पाया गया कि SBD एकरारनामा के प्रावधान में उल्लेखित वित्तीय प्रगति के अनुसार संवेदक को निर्धारित अवधि के अंदर कार्य के विभिन्न चरणों के माइलस्टोन को प्राप्त करने का प्रावधान है जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

Sl. No.	**Financial progress**	**Time allowed (from date of start)**	**Amount to be with held in case of non achievement of milestone**
1	1/8th (of whole work)	1/4th (of whole work)	In the event of not achieving the necessary progress as assessed from the running payments, 1% of the tendered value of work will be withheld for failure of each milestone.
2	3/8th (of whole work)	1/2th (of whole work)	
3	3/4th (of whole work)	3/4th (of whole work)	
4	Full	Full	

328

लेखापरीक्षा के द्वारा मापीपुस्त के जांच में एजेंसी के वित्तीय प्रगति यानि भुगतान का विवरण निम्न है:

क्रम संख्या	चालू विपत्र संख्या	वित्तीय प्रगति पूरा होने की तिथि	वित्तीय प्रगति	विपत्र की सकल राशि
1	2	3	4	5
1	1st	04.05.2018	3802793	3802793
2	2nd	09.07.2019	9176352	5373559
3	3rd	08.02.2020	15120666	5944314
4	4th	05.03.2021	21753305	6141014
5	5th	26.04.2022	23703969	2442289

उपरोक्त SBD प्रावधान के अनुसार संवेदक द्वारा दिनांक 04.04.2018 तक (कुल अवधि का 1/4) कुल कार्य के वित्तीय प्रगति का 1/8 भाग की प्राप्ति कर लेनी थी, परंतु कार्य से संबंधित MB ही दिनांक 20.01.2017 को निर्गत की गई, जिससे यह ज्ञात होता है कि संवेदक प्रथम माइलस्टोन को प्राप्त करने में विफल रहा। इसी प्रकार दिनांक 20.08.2018 तक (कुल अवधि का 1/2) कुल कार्य का 3/8, दिनांक 30.01.2019 तक (कुल अवधि का 3/4) कुल कार्य का 3/4 एवं दिनांक 17.06.2019 तक संपूर्ण कार्य को पूर्ण कर लेना था, परंतु संवेदक के वित्तीय प्रगति से यह स्पष्ट होता है कि संवेदक द्वारा कार्य के किसी भी माइलस्टोन को निर्धारित अवधि के अंदर पूरा नहीं किया गया। जिसकी विवरणी नीचे दी गई है:

Sl. No.	**Achievement of financial progress to be done**	**Time allowed (from date of start)**	**Time allowed (date)**	**Achievement**
1	1/8th (of whole work)	1/4th (of whole work)	04.04.2018	Not achieved (<1/8th)
2	3/8th (of whole work)	1/2th (of whole work)	20.08.2018	Not achieved (<3/8th)
3	3/4th (of whole work)	3/4th (of whole work)	30.01.2019	Not achieved (<3/4th)
4	**Full**	**Full**	**Full**	**Not achieved**

उपरोक्त स्थिति में एकरारनामा के अनुसार संवेदक द्वारा प्रत्येक माइलस्टोन में विफल होने की दशा में प्रत्येक माइलस्टोन के लिए भुगतान विपत्र द्वारा एकरारनामा की कुल राशि ₹26977119/- का 1% यानि सभी चारों माइलस्टोन के लिए कुल 4% (राशि ₹1079085/-) रोका जाना चाहिए था, परंतु कार्य नगर परिषद् कोंटी द्वारा ऐसी कोई राशि नहीं रोकी गई।

(घ) सुरक्षित जमा राशि की कम कटौती कर संवेदक को अदेय सहायता, राशि रु. 7.11 लाख।

एस ० वी ० डी ० के क्लाउज -1 (A) के अनुसार जिस व्यक्ति/व्यक्तियों की निविदा (s) को स्वीकार किया जा सकता है (बाद में ठेकेदार कहा जाता है) सरकार को अनुबंध के तहत किए गए कार्य के लिए उसे कोई भुगतान करते समय सकल राशि से 8% (आठ प्रतिशत) की कटौती करने की अनुमति देगा। प्रत्येक चालू बिल की राशि, जब तक कि सुरक्षा जमा की पूरी राशि, अनुबंध मूल्य या कार्य के

मूल्य (जो भी अधिक हो) का 10% (दस प्रतिशत) न हो जाए। यदि कार्य का मूल्य अनुबंध मूल्य से अधिक है, तो अधिक कार्य के लिए सुरक्षा जमा (10%) वसूल किया जाएगा।

लेखापरीक्षा के जांच के क्रम में पाया गया कि संवेदक के चालू विपत्र से 8% सुरक्षित जमा राशि की कटौती के स्थान पर केवल 5% की ही कटौती की गई थी, जिससे संवेदक को कुल राशि रु. 711119/- का अदेय सहायता का लाभ पहुचाया गया, जिसकी विवरणी निम्न है-

क्रम संख्या	चालू विपत्र संख्या	विपत्र की सकल राशि	कटौती (5%)	प्रावधान के अनुसार कटौती (8%)	राशि का अंतर
1	2	3	4	5	6 (5-4)
1	1st	3802793	190140	304223	114084
2	2nd	5373559	268677	429885	161207
3	3rd	5944314	297216	475545	178329
4	4th	6141014	307051	491281	184230
5	5th	2442289	122114	195383	73269
कुल योग			1185198/-	1896318/-	711119/-

अत: उपरोक्त विवरणी से स्पष्ट है कि SBD के प्रावधान के अनुरूप सुरक्षित जमा राशि की कटौती न कर संवेदक को अनुचित तरीके से कुल राशि रु. 711119/- का अदेय सहायता का लाभ पहुचाया गया.

(ङ.) Liquidated Damage के रूप में कम कटौती 12.69 लाख ।

संवेदक द्वारा निर्धारित समयावधि में कार्य पूर्ण नहीं किये जाने की स्थिति में SBD प्रावधानों के एकरारित राशि का 2 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से अधिकतम 10 प्रतिशत तक कटौती किये जाने का प्रावधान है ।

लेखापरीक्षा द्वारा अभिलेखों के जाँच में पाया गया कि उक्त कार्य को दिनांक 17.06.2019 तक पूरा करना था , जबकि कार्य वर्तमान में भी अपूर्ण है । कार्य की अंतिम मापी दिनांक 03.02.2022 को की गई थी। ऐसी स्थिति में एकरारित राशि ₹ 26977119/- का 10 प्रतिशत अर्थात ₹ 2697712/ - की कटौती Liquidated Damage के रूप में की जानी थी, परन्तु पांचवें चालू विपत्र तक मात्र 1428339/- रूपये की कटौती Liquidated Damage के रूप में की गई । इस प्रकार Liquidated Damage के रूप में ₹1269373/- (2697712-1428339) की कम कटौती कर संवेदक को अदेय वित्तीय सहायता प्रदान की गई, जिसकी विवरणी निम्न है-

क्रम संख्या	चालू विपत्र संख्या	दिनांक	विपत्र की सकल राशि	LD की कटौती	प्रावधान के अनुसार कटौती (10%)	कुल कम कटौती
1	2	3	4	5	6	7
1	1st	04.05.2018	3802793	0	एकरारित राशि 26977119/- का 10% अर्थात ₹ 2697712/ -	(2697712-1428339)
2	2nd	09.07.2019	5373559	0		
3	3rd	08.02.2020	5944314	594432		
4	4th	05.03.2021	6141014	614101		
5	5th	26.04.2022	2442289	219806		
कुल योग				1428339/-	2697712/ -	1269373/-

(च) एकरारनामा के प्रावधानों के अनुरूप संवेदक पर कारवाई नहीं किया जाना.

SBD के Clause 3 (VII) के अनुसार: Contract can be Determined/Rescined, If the work is not started by the contractor within 1/8th of the stipulated time subject to the maximum of 45 days.

उपरोक्त प्रावधान के आलोक में लेखापरीक्षा के जांच के क्रम में पाया गया कि कार्य शुरू होने की निर्धारित तिथि- 20.11.2017 से कुल 4 माह के विलम्ब से दिनांक 24.03.2018 कार्य शुरू किया गया, बावजूद इसके एकरारनामा के प्रावधानों का पालन नहीं करते हुए संवेदक के विरुद्ध कोई कारवाई नहीं की गई, जिसके परिणाम स्वरूप कार्य पूर्ण होने की तिथि- 17.06.2019 के 3 वर्ष से अधिक की अवधि बीत जाने के उपरान्त अव तक (अगस्त 2022) तक कार्य को पूर्ण नहीं कराया जा सका है.

(छ) संयुक्त भौतिक सत्यापन में पाई गई विसंगतियां.

सम्बंधित पथ निर्माण कार्य के संयुक्त भौतिक सत्यापन में निम्न विसंगतियां पाई गई-

कार्य का नाम: थर्मल पावर ऐस डेम बांध से बालिका मध्य विद्यालय तक के सड़क का चौड़ीकारण एवं PCC पथ (4700 मीटर) आकार के पथ निर्माण कार्य

जाएगी। नगर निकाय किसी भी समय किराया मूल्य या कर की दरों में इन पाँच वर्षों के अन्दर किसी समय सरकार के अनुमोदन से संशोधन कर सकेगी। आगे, बिहार नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2013 की धारा 127 की उप - धारा (8) के एवं भवनों पर वार्षिक किराया मूल्य का न्यूनतम 9 प्रतिशत व अधिकतम 15 प्रतिशत धारा 127 (7) के प्रावधानों के अन्तर्गत सम्पत्ति उद्गृहित कर सकेगी, परन्तु यह कि नगरपालिका वर्तमान में लागू कर को धारा 127 की उप - धारा (8) के अंतर्गत राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना घटा नहीं सकेगी।

लेखापरीक्षा टिप्पणी : -

(क) वार्षिक किराया मूल्य से संबंधित सूचनाएं लेखापरीक्षा कार्यालय को निम्नांकित प्रारूप में उपलब्ध कराया जाय :-

क्र.सं.	वार्षिक किराया मूल्य के अंतिम पुनरीक्षण कि तिथि	वार्षिक किराया मूल्य के सम्पति कर कि वर्तमान दर	सड़को का वर्गीकरण अंतिम बार कब किया गया?	होल्डिंग्स का GIS Mapping किया गया अथवा नहीं?

4 सेवा स्तर मानक (Service Level Benchmark) :-

तेरहवीं वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में राज्य सरकार द्वारा मार्च 2011 की अधिसूचना के माध्यम से स्थानीय निकाय द्वारा प्रदत्त आवश्यक सेवाओं (जलापूर्ति, सिवरेज, स्ट्रोम वॉटर ड्रेनेज व ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सेवा प्रक्षेत्रों) के लिए मानक निर्धारित किए गए हैं।

सेवा स्तर मानक के अंतर्गत यथोक्त चार सेवा प्रक्षेत्र में विहित सूचकों / संकेतकों के निर्धारित मानक लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धियों संलग्न प्रपत्र -4 में लेखापरीक्षा कार्यालय उपलब्ध कराया जाय। आगे चारों सेवा प्रक्षेत्रों के अंतर्गत विभिन्न संकेतकों के निर्धारित मानक लक्ष्यों के विरुद्ध कम उपलब्धि के कारणों से भी लेखापरीक्षा कार्यालय को अवगत कराया जाय

उपरोक्त के सम्बन्ध में लेखापरीक्षा के द्वारा पृच्छा किये जाने के साथ-साथ अभिलेखों की मांग की गई परन्तु इस समबन्ध में नगर परिषद् द्वारा अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया एवं जवाब दिया गया कि समीक्षोपरान्त उत्तर प्रेषित कर दिया जायेगा.

उपरोक्त वर्णित आपत्तियों पर बिन्दुवार जवाब एवं कृत कारवाई से साक्ष्य सहित यथाशीघ्र लेखापरीक्षा कार्यालय को सूचित किया जाए।

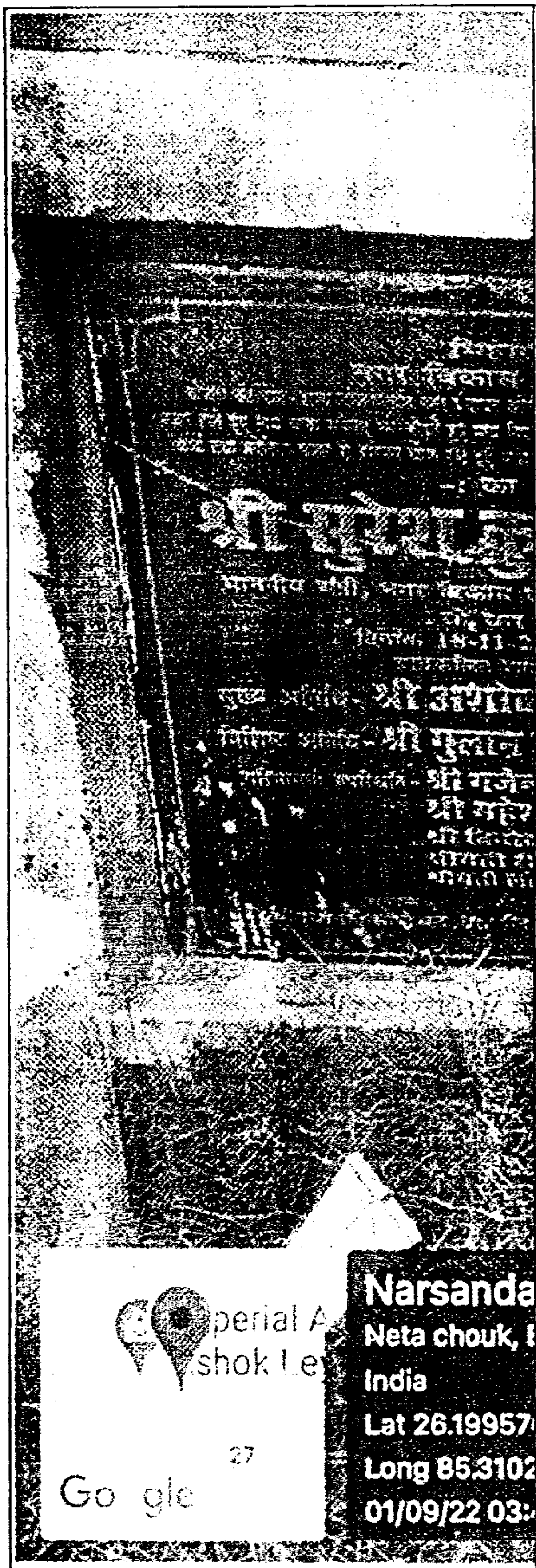
Narsanda
Neta chouk,
India
Lat 26.19957
Long 85.3102
01/09/22 03:

Narsanda
Neta chouk,
India
Lat 26.19957
Long 85.3101
01/09/22 03:

323

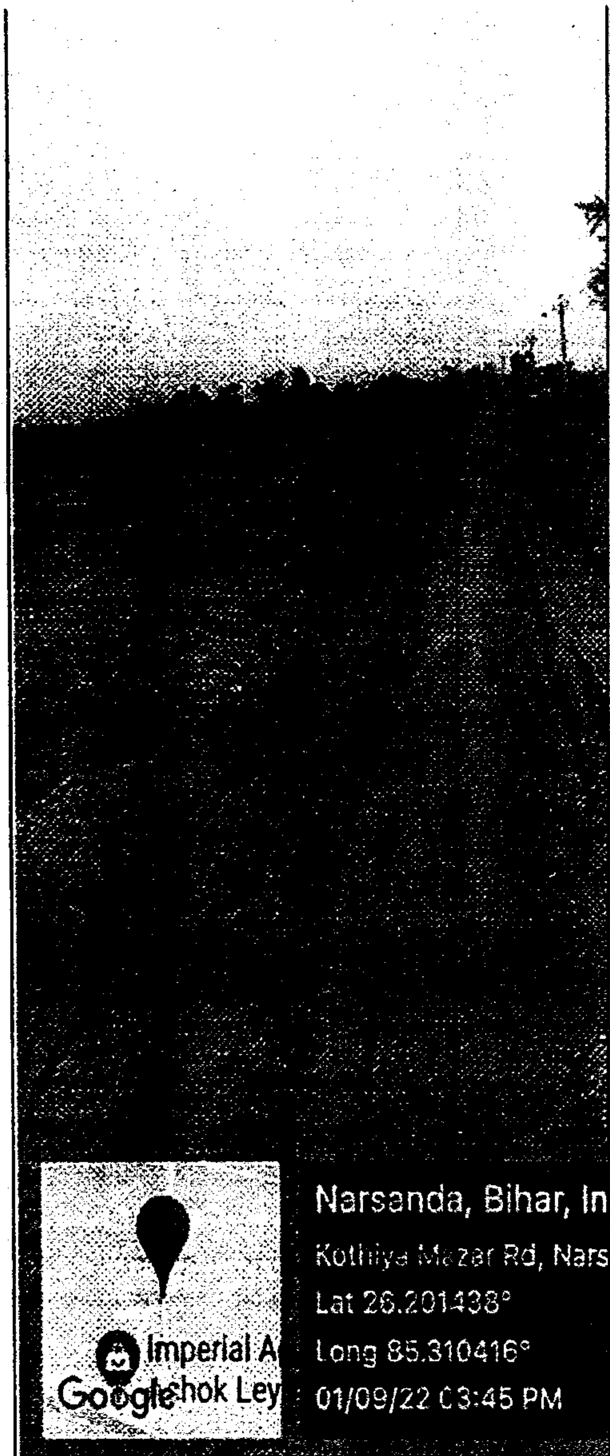	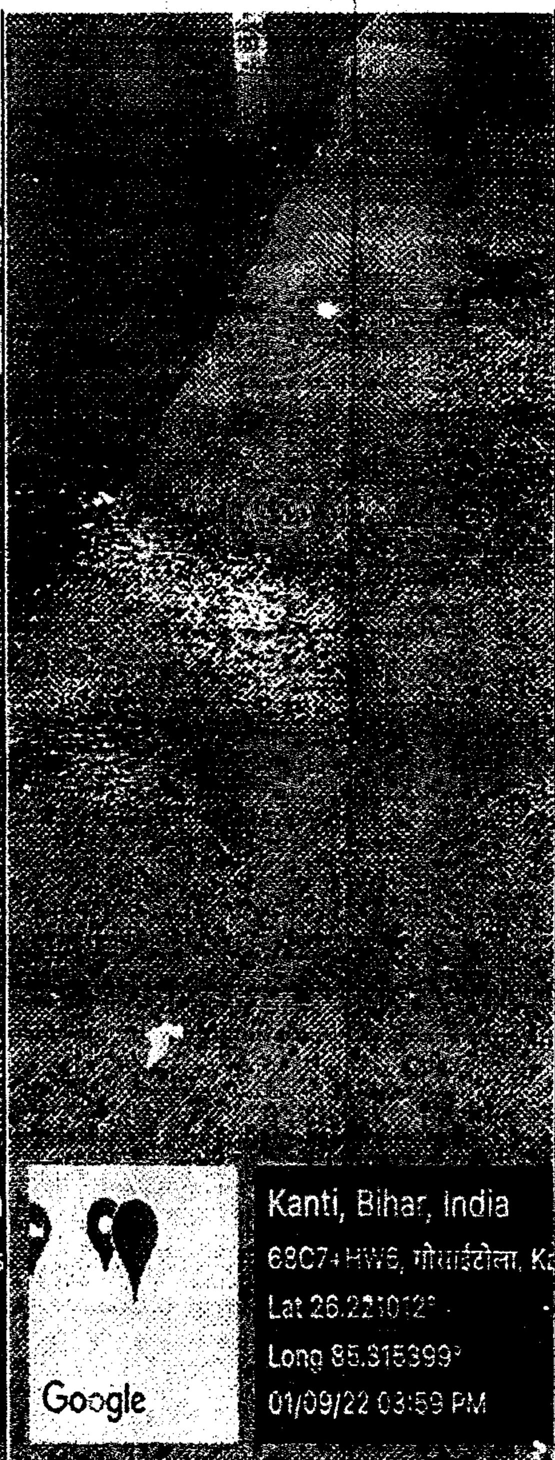
एकरारनामा की राशि	26977119/-
अद्यतन भुगतान	23703969/-

322

उपरोक्त पथ के संयुक्त भौतिक सत्यापन में पाया गया कि पथ के सतह की गुणवत्ता निम्न स्तर की थी, Surface course का कार्य ठीक ढंग से नहीं कराया गया था, जिससे पथ क्षतिग्रस्त होने की अवस्था में है. पथ के पास ही काँटी थर्मल प्लांट के फ्लाई ऐस के डंप होने से कुछ दुरी तक फ्लाई ऐस पथ पर फैला हुआ पाया गया. सम्बंधित पथ पर बड़े- बड़े माल वाहक वाहनों के गुजरने से पथ को क्षति पहुच रही थी. पथ की चौड़ाई में समरूपता नहीं पायी गई, साथ ही सम्बंधित पथ का कार्य अब तक पूर्ण नहीं कराया गया है, जिससे पथ अनेक स्थानों पर क्षतिग्रस्त पाया गया.

उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आलोक कार्य की दैनीय स्थिति के रहते हुए कार्यालय नगर परिषद्, काँटी द्वारा संवेदक को Terminate/Debar/Blacklisted करने लिए अनुशंसा नहीं किये जाने, शेष बचे हुए कार्य को पूर्ण कराने के लिए कार्यालय नगर परिषद् , काँटी द्वारा कार्रवाई किये जाने, संवेदक द्वारा कार्य पूर्ण होने अवधि बीत जाने उपरान्त अब तक अवधि विस्तार हेतु स्वीकृति प्राप्त नहीं किये जाने, कार्य के धीमी प्रगति होने के बावजूद संवेदक के विरूद्ध कार्रवाई नहीं किये जाने तथा एकरारनामा के अनुसार कार्य को निष्पादित नहीं किये जाने, एकरारनामा के शर्तों के अनुसार संवेदक द्वारा निर्धारित माइलस्टोन नहीं प्राप्त नहीं किये जाने, सुरक्षित जमा राशि की कटौती न कर संवेदक को अनुचित तरीके से अदेय सहायता का लाभ पहुचाने, एस ० बी ० डी ० के क्लाउज -2 के प्रावधानों के अनुसार Liquidated Damage के रूप में कम कटौती किए जाने, एकरारनामा के प्रावधानों के अनुसार एजेंसी द्वारा, कार्य शुरू करने के निर्धारित तिथि बीत जाने के उपरान्त भी एकरारनामा determined/Recined नहीं किये जाने एवं संयुक्त भौतिक सत्यापन में पाई गई विसंगतियो के सम्बन्ध में जवाब दिया गया कि लेखापरीक्षा के दिशानिर्देशो के आलोक में संवेदक को नोटिस निर्गत कर विसंगतियों का सुधार कर लिया जायेगा.

जवाब संतोषप्रद नहीं है क्योंकि संवेदक द्वारा कार्य के निम्न निष्पादन किये जाने के बावजूद कोई युक्तिसंगत कारवाई नहीं किये जाने के साथ-साथ संवेदक को अनुचित तरीके के लाभ पहुचाया गया. अतः आपतिवार साक्ष्य सहित जवाब लेखापरीक्षा कार्यालय को प्रेषित किया जाए.

सन्दर्भ संख्या: OBS-406496

2. वार्ड न. 08 में रेलवे स्टेशन रोड से लेकर NH-28 होते हुए वार्ड- 08 स्थित मन तक दोनों तरफ RCC नाला निर्माण कार्य की समीक्षा।

कार्य का नाम: वार्ड न. 08 में रेलवे stationस्टेशन रोड से लेकर NH-28 होते हुए वार्ड- 08 स्थित मन तक दोनों तरफ RCC नाला निर्माण कार्य।	
नाला की लम्बाई	1650 मीटर
संवेदक	M/s Mithila Construction
एकरारनामा संख्या	02/F2/2019-20
एकरारनामा की राशि	14567108/- (10% Below)
कार्य प्रारंभ की तिथि	05.07.2019
कार्य पूर्ण होने की तिथि	04.01.2020
अद्यतन भुगतान	12513573/-
मापीपुस्त संख्या	08
कार्य की स्थिति	अपूर्ण

कार्यालय, कार्यपालक अभियंता, बुडको, वैशाली द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों यथा कार्य संचिका, प्राक्कलन, एकरारनामा, मापी पुस्त आदि के जांच में निम्नांकित अनियमितता पाई गई -

(क) निम्न स्तर के कार्य निष्पादन एवं अपूर्ण कार्य के कारण निष्फल व्यय, राशि ₹ 125.14 लाख।

उपरोक्त कार्य वर्ष एकरारनामा के अनुसार दिनांक 05.07.2019 से ही प्रारम्भ किया जाना था जिसके पूर्ण होने की तिथि 04.01.2020 थी, परन्तु लेखापरीक्षा को प्राप्त कार्य संचिका के मापीपुस्त में पाया गया की सम्बंधित कार्य 3 माह के विलम्ब से दिनांक 17.10.2019 को शुरू किया गया. 2 वर्ष से अधिक की अवधि बीत जाने के उपरांत भी संबंधित कार्य को अब तक (अगस्त 2022) पूर्ण नहीं कराया गया है। मापी-पुस्त के अनुसार पाचवें एवं चालू विपत्र तक दिनांक 27.06.2021 के बाद कार्य में कोई प्रगति नहीं पायी गई, निम्न स्तर के कार्य निष्पादन एवं अपूर्ण कार्य के कारण कार्य पर किया गया कुल व्यय ₹12513573/ अबतक निष्फल है, जिससे इसके निर्माण के उद्देश्यों की पूर्ति अबतक नहीं हो पाई है। साथ ही, उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के जाँच के क्रम में यह पाया गया कि संबंधित कार्य के अवधि विस्तार की स्वीकृति हेतु न तो सम्बंधित एजेंसी द्वारा अनुमोदन किया गया एवं न ही इस सम्बन्ध में कार्यालय, कार्यपालक अभियंता, बुडको, वैशाली द्वारा अवधि विस्तार से संबंधित स्वीकृति आदेश निर्गत किया गया। इस संबंध में लेखापरीक्षा द्वारा अवधि विस्तार के स्वीकृति के संबंध में साक्ष्य की मांग की गई परंतु कार्यालय, कार्यपालक अभियंता, बुडको, वैशाली द्वारा इस संबंध में कोई भी साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया जा सका।

(ख) एकरारित मात्रा से कार्य कम/नहीं कराया जाना।

लेखापरीक्षा द्वारा मापीपुस्त (MB No. 08) की जांच में पाया गया कि प्रथम मापी दिनांक 17.10.2019 अर्थात कार्य शुरू होने के 3 माह के विलम्ब से हुई। कार्य की दूसरी मापी दिनांक 25.06.2020 हुई जबकि कार्य पूर्ण करने की तिथि 04.01.2020 को समाप्त हो चुकी थी. इसीप्रकार कार्य की तीसरी मापी दिनांक 03.08.2020, चौथी मापी दिनांक 23.03.2021 एवं पांचवी मापी दिनांक 27.06.2021 को हुई. कार्य की पांचवी मापी दिनांक 27.06.2021 तक नाला निर्माण का कार्य अपूर्ण था, उसके बाद कार्य में कोई प्रगति नहीं पाई गई. बुडको, वैशाली द्वारा निर्गत कार्य पूर्णता से सम्बंधित कोई भी प्रमाण पत्र संचिका में उपलब्ध नहीं पायी गई। अभिलेखों की जाँच में यह भी पाया गया कि संवेदक द्वारा निष्पादित कराये गए कार्य में भी कार्य के कई महत्वपूर्ण घटकों को आंशिक तथा पूर्ण रूप से नहीं कराया गया। अतः एकरारनामा के अनुसार नहीं/कम किए गए कार्य की विवरणी निम्नवत् है:

रेलवे स्टेशन रोड से लेकर NH-28 होते हुए वार्ड- 08 स्थित मन तक दोनों तरफ RCC नाला निर्माण कार्य								
क्रम सं.	कार्य का विवरण	यूनिट	एकरारनामा के अनुसार आवश्यक मात्रा	MB के अनुसार कार्य की मात्रा	कम किया गया कार्य	दर	कम किये गए कार्य का मूल्य	एकरारनामा के अनुसार कुल मूल्य
1	Excavation for roadwork in soil with hydraulic excavator	M^3	2111.920	1826.03	285.89	117.16	33494.87	247433.00
2	Supplying and Filling in plinth with local sand and under Drain	M^3	129.940	112.58	17.36	238.600	4142.10	31004.00
3	Providing and laying in position cement concrete of	M^2	173.25	150.15	23.1	2940.80	67932.48	509494.00

	specified grade							
4	Providing reinforced cement concrete of foundation	M³	1044.45	901.54	142.91	4902.30	700587.69	5120207.00
5	Providing Reinfocement for R.C.C. Work	KG	75200.40	63787.02	11413.38	76.70	875406.25	5767871.00
6	Centring and shuttering including strutting, propping etc.	M²	9223.50	8035.50	1188	186.30	221324.40	1718338.00
7	Carriage of Materials:-							
8	Cement	MT	447.23	384.79	62.44	290.27	18124.46	129817.00
9	Sand	M³	525.32	455.32	70	1777.70	124439.00	933861.00
10	Chips	M³	1041.98	899.10	142.88	1933.13	276205.61	2014283.00
11	L Sand	M³	129.94	112.58	17.36	262.05	4549.19	34051.00
12	MS Reinforcement	MT	75.20	63.76	11.44	290.27	3320.69	21828.00
13	Diffence Cost of Materials							
14	Cement	MT	447.23	384.79	62.44	-765.85	-47819.67	-342511.00
Total							**2280849.40**	**16185676.00**
Amount to be Paid to the Agency				**(16185676.00-2280849.40) Below 10%**				**12514343.90**
Amount paid to Agency on 5th Running Bill								**12513573.00**

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि निष्पादित किये गये कार्य में भी कई महत्वपूर्ण घटकों का कार्य अब तक नहीं किया गया है।

३१९

(ग) (i) **Liquidated Damage की राशि को अनुचित तरीके से संवेदक को वापस किया जाना, राशि रु. 10.32 लाख।**

F2 एकरारनामा के Clause 2 के अनुसार: The time allowed for carrying out the work as entered in the tender shall be strictly observed by the contractor and shall be reckoned from the date on which the written order to commence work is given to the contractor . The work shall throughout the stipulated period of the contract be carried on with all due diligence (time being deemed to be the essence of the contract on the part of the contractor) and the contractor shall pay as compensation an amount equal to percent on the amount of the estimated cost of the whole work as shown by the tender for every day that the work remain uncommenced or unfinished after the proper dates bound in all cases in whiche the time allowed for any work exceeds one month to complete one fourth of the whole of the work before one half of such time elapsed and three fourths of the work before three fourths of such time has elapsed . In the event of the contractor failing to comply with this condition , he shall be liable to pay as compensation an amount equal to ½ percent , on he said estimated cost of the whole work for every day that the due quantity work remains incomplete . Provided always that the entire amount of compensation to be paid under the provisions this clause shall not exceed 10 percent on the estimated cost of the work as shown in the tender.

लेखापरीक्षा द्वारा अभिलेखों के जाँच में पाया गया कि उक्त कार्य को दिनांक 04.01.2020 तक पूरा करना था , जबकि कार्य वर्तमान में भी अपूर्ण है । कार्य की अंतिम मापी दिनांक 27.06.2021 को की गई थी। कार्यालय, कार्यपालक अभियंता, बुडको, वैशाली द्वारा संवेदक के विपत्र संख्या 02, 03, 04, एवं 05 से क्रमश: 131018.00, 88706.00, 378608.00 एवं 433577.00 कुल राशि रु. 1031909/- की कटौती Liquidated Damage के रूप में की गई, परन्तु Liquidated Damage की कुल राशि 1031909/- को संवेदक को अनुचित तरीके से दिनांक 26.07.2022 को वापस कर दी गई, **जिसकी विवरणी निम्न है-**

क्रम संख्या	विपत्र संख्या	विपत्र की राशि	Liquidated Damage के रूप में कटौती	वापास करने की तिथि
1	2	3	4	5
1	2nd RA Bill	1310175/-	131018/-	26.07.2022
2	3rd RA Bill	887063/-	88706/-	26.07.2022
3	4th RA Bill	3786079/-	378608/-	26.07.2022
4	5th RA Bill	4335773/-	433577/-	26.07.2022
		कुल योग	1031909/-	

अत: उपरोक्त विवरणी से स्पष्ट है कि एकरारनामा के प्रावधान का उल्लंघन कर Liquidated Damage की राशि रु. 1031909/- संवेदक को अनुचित तरीके से बिना कार्य पूर्ण हुए वापस कर दी गई.

(ii) Liquidated Damage की कम कटौती राशि रु. 5.87 लाख.

कार्यालय, कार्यपालक अभियंता, बुडको, वैशाली द्वारा संवेदक से Estimated cost के 10% तक यानि कुल 1618567.60 की राशि की कटौती **Liquidated Damage** के रूप में की जानी चाहिए थी, परन्तु संवेदक से मात्र रु. 1031909/- की कटौती की गई, जो कुल रु. 586658.60 (1618567.60 - 1031909.00) कम है.

(घ) बैंक गारंटी नवीनीकारण नहीं किये जाने के कारण संवेदक को अदेय सहायता, राशि 12.73 लाख।

लेखापरीक्षा द्वारा जांच के क्रम में पाया गया कि संवेदक द्वारा रूप में समर्पित की गई Additional Performance Guarantee की कुल राशि रु. 1273622/- की बैंक गारंटी कार्य अपूर्ण रहते दिनांक 20.02.2021 को व्यपगत हो गई, जिसका कार्यालय, कार्यपालक अभियंता, बुडको, वैशाली द्वारा नवीनीकारण नहीं कराया गया जिसके कारण संवेदक को अनुचित तरीके से कुल राशि रु. 1273622/- की अदेय सहायता का लाभ पहुचाया गया. जिसकी विवरणी निम्न है-

318

क्रम संख्या	बैंक गारंटी संख्या	बैंक गारंटी निर्गत होने की तिथि	बैंक गारंटी व्यपगत होने की तिथि	बैंक गारंटी की राशि
1	2	3	4	5
1	BG No. IBG 109022	21.08.2020	20.02.2021	545266/-
2	BG No. IBG 109024	21.08.2020	20.02.2021	728356/-
कुल योग				1273622/-

(ड.) बिना अभिश्रव पास किये संवेदक को अनियमित भुगतान, राशि रु. 4.34 लाख.

लेखापरीक्षा द्वारा जांच के क्रम में पाया गया कि कार्यालय, कार्यपालक अभियंता, बुडको, वैशाली द्वारा संवेदक के पांचवे विपत्र के पास किये बिना कुल राशि रु. 4335773/- का दिनांक 18.05.2022 को अनियमित भुगतान किया गया.

(च) बिना सर्वेक्षण के तकनिकी स्वीकृति प्रदान किया जाना.

लेखापरीक्षा द्वारा जांच के क्रम में पाया गया कि कार्यालय, कार्यपालक अभियंता, बुडको, वैशाली के सहायक अभियन्ता द्वारा कार्यपालक अभियन्ता, नगर विकास प्रमंडल, हाजीपुर को दिनांक 26.11.2021 के समर्पित अपने प्रतिवेदन में बताया गया की संवेदक द्वारा कुल 1430 मीटर नाला बनाया गया है एवं शेष निर्माण अतिक्रमण रहने के कारण पूर्ण होना संभव प्रतीत नहीं होता है, जिससे यह विदित होता है कि कार्य का सर्वेक्षण किये बिना ही सम्बंधित कार्य को तकनिकी स्वीकृति प्रदान की गई.

(छ) नल-जल योजना के पाईप लाइन का क्षतिग्रस्त किया जाना.

लेखापरीक्षा द्वारा जांच के क्रम में पाया गया कि कार्यालय, कार्यपालक अभियंता, बुडको, वैशाली क्रियान्वित की जा रही सम्बंधित नाला निर्माण के कार्य के अंतर्गत संवेदक द्वारा कार्य करने के क्रम में नगर परिषद् काँटी के वार्ड संख्या 01, 03, 07 एवं 08 के नल-जल योजना के पाईप लाइनों को पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया गया है, जिसकी मरम्मती अब तक बुडको, वैशाली द्वारा नहीं करायी गई है तथा इन सब विसंगतियो के व्याप्त रहते Liquidated Damage के रूप में कटौती किये गए समस्त राशि को संवेदक को वापास कर दिया गया.

(ज) योजना हेतु प्रदान की गई शेष सहायक अनुदान का अप्राप्त विवरण, राशि रु. 32.42 लाख.

लेखापरीक्षा द्वारा जांच के क्रम में पाया गया कि नगर परिषद्, काँटी को प्राप्त कुल सहायक अनुदान की राशि रु. 16355600/- बुडको, वैशाली को हस्तांतरित कर दी गई. कार्यालय, कार्यपालक अभियंता, बुडको, वैशाली द्वारा प्राप्त अभिलेख के अनुसार पांचवे चालू विपत्र (दिनांक 18.05.2022) तक योजना में कुल राशि रु. 12513573/- का ही व्यय हो पाया है साथ ही दिनांक 27.06.2021 के बाद कार्य में कोई प्रगति नहीं पाई गई. इसप्रकार सम्बंधित योजना में अब तक बुडको, वैशाली के पास सहायक अनुदान की राशि रु. 3842027/- (16355600 - 12513573) अवशेष पड़ी हुई है, जो कि न तो अब तक नगर परिषद् काँटी को वापस की गई है एवं न ही इस राशि का अब तक कोई उपयोग किया जा सका है.

उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में सम्बंधित कार्य नगर परिषद् क्षेत्र से सम्बन्धित होने के वावजूद वर्तमान स्थिति में निम्न स्तर के कार्य निष्पादन एवं लम्बी अवधि से कार्य अपूर्ण होने के कारण निष्फल व्यय किये जाने के उपरान्त कार्यालय नगर परिषद्, काँटी द्वारा कार्रवाई किये जाने, संवेदक द्वारा कार्य पूर्ण होने अवधि बीत जाने उपरान्त अब तक अवधि विस्तार हेतु स्वीकृति प्राप्त नहीं किये जाने, एकरारनामा के अनुसार नहीं अथवा कम कार्य कराये जाने के कारण, Liquidated Damage की राशि को अनुचित तरीके से संवेदक को वापस किये जाने, Liquidated Damage की राशि का कम कटौती किये जाने, Additional Performance Guarantee के रूप में बैंक गारंटी का नवीनीकरण नहीं कराये जाने, बिना अभिश्रव पास किये संवेदक को राशि रु. 4.34 लाख का अनियमित भुगतान किये जाने, बिना सर्वेक्षण के तकनिकी स्वीकृति प्रदान किये जाने, नल-जल योजना के

पाईप लाइन के क्षतिग्रस्त होने के उपरान्त मरम्मती नहीं कराये जाने, साथ ही कुल क्षति की राशि का मूल्यांकन कर लेखापरीक्षा को अवगत कराये जाने, बुडको, वैशाली के पास सहायक अनुदान की राशि रु. 3842027/- अवशेष पड़ी हुई है, जो कि न तो अब तक नगर परिषद् कौंटी को वापस की गई है एवं न ही इस राशि का अब तक कोई उपयोग किया जा सका है. अत: इस राशि का बुडको वैशाली के पास पड़े रहने के कारणों के सम्बन्ध में जवाब दिया गया कि नगर परिषद्, कौंटी क्षेत्र का सम्बंधित कार्य बुडको वैशाली, हाजीपुर द्वारा कराया जा रहा है, अत: बुडको वैशाली हाजीपुर से पत्राचार करा लेखापरीक्षा कार्यालय को अवगत करा दिया जायेगा. अत: उपरोक्त जवाब के आलोक में किये जाने वाले कृत कारवाई से लेखापरीक्षा कार्यालय को साक्ष्य सहित जवाब प्रेषित किया जाए.

सन्दर्भ संख्या: OBS-406501

3. वार्ड न. 10 में यासीन के घर से शंकर राय के घर होते हुए विशपुर चौक से मीनापुर रोड तक PCC पथ एवं नाला निर्माण कार्य की समीक्षा।

कार्य का नाम: वार्ड न. 10 में यासीन के घर से शंकर राय के घर होते हुए विशपुर चौक से मीनापुर रोड तक PCC पथ एवं नाला निर्माण कार्य	
पथ एवं नाला की लम्वाई	1200 मीटर एवं 500 मीटर
संवेदक	M/s Mithila Construction
एकरारनामा संख्या	03/F2/2019-20
एकरारनामा की राशि	11494218/- (10% Below)
कार्य प्रारंभ की तिथि	05.07.2019
कार्य पूर्ण होने की तिथि	04.01.2020
अद्यतन भुगतान	9544143/-
मापीपुस्त संख्या	09 एवं 10
कार्य की स्थिति	अपूर्ण

कार्यालय, कार्यपालक अभियंता, बुडको, वैशाली द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों यथा कार्य संचिका, प्राक्कलन, एकरारनामा, मापी पुस्त आदि के जांच में निम्नांकित अनियमितता पाई गई -

(क) निम्न स्तर के कार्य निष्पादन एवं अपूर्ण कार्य के कारण निष्फल व्यय, राशि ₹ 95.44 लाख।

उपरोक्त कार्य वर्ष एकरारनामा के अनुसार दिनांक 05.07.2019 से ही प्रारम्भ किया जाना था जिसके पूर्ण होने की तिथि 04.01.2020 थी, परन्तु लेखापरीक्षा को प्राप्त कार्य संचिका के मापीपुस्त में पाया गया की सम्बंधित कार्य 1 माह के विलम्ब से दिनांक 12.08.2019 को शुरू किया गया. 2 वर्ष से अधिक की अवधि बीत जाने के उपरांत भी संबंधित कार्य को अब तक (अगस्त 2022) पूर्ण नहीं

कराया गया है। मापी-पुस्त के अनुसार तीसरे एवं चालू विपत्र तक दिनांक 30.12.2019 के बाद कार्य में कोई प्रगति नहीं पायी गई, निम्न स्तर के कार्य निष्पादन एवं अपूर्ण कार्य के कारण कार्य पर किया गया कुल व्यय ₹9544143/- अबतक निष्फल है, जिससे इसके निर्माण के उद्देश्यों की पूर्ति अबतक नहीं हो पाई है। साथ ही , संयुक्त भौतिक सत्यापन में पाया गया कि इतनी लम्बी अवधि के अपूर्ण कार्य में प्रगति नहीं होने के कारण किया गया कार्य क्षतिग्रस्त अवस्था में है तथा नाले का निर्माण बेतरतीब तरीके से किया गया है. घरो का कनेक्शन नाले से नहीं किया गया है. नाले के दोनों छोर खुले हुए, जिससे कि नाला के भरने का खतरा है. नाले से जल निकासी का कोई कनेक्शन नहीं है, जिससे कारण कार्य के संबंधित उद्देश्यों को पूरा नहीं किया जा सका। उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के जाँच के क्रम में यह पाया गया कि संबंधित कार्य के अवधि विस्तार की स्वीकृति हेतु न तो सम्बंधित एजेंसी द्वारा अनुमोदन किया गया एवं न ही इस सम्बन्ध में कार्यालय, कार्यपालक अभियंता, बुडको, वैशाली द्वारा अवधि विस्तार से संबंधित स्वीकृति आदेश निर्गत किया गया। इस संबंध में लेखापरीक्षा द्वारा अवधि विस्तार के स्वीकृति के संबंध में साक्ष्य की मांग की गई परंतु कार्यालय, कार्यपालक अभियंता, बुडको, वैशाली द्वारा इस संबंध में कोई भी साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया जा सका।

(ख) एकरारित मात्रा से कार्य कम/नहीं कराया जाना।

लेखापरीक्षा द्वारा मापीपुस्त (MB No. 09 एवं 10) की जांच में पाया गया कि प्रथम मापी दिनांक 12.08.2019 अर्थात कार्य शुरू होने के 1 माह के विलम्ब से हुई। कार्य की दूसरी मापी दिनांक 10.12.2019 एवं तीसरी मापी दिनांक 30.12.2019 को हुई. कार्य की तीसरी मापी दिनांक 30.12.2019 तक पथ का कार्य अपूर्ण था, उसके बाद कार्य में कोई प्रगति नहीं पाई गई. संयुक्त भौतिक सत्यापान में कार्य का निरीक्षण किया गया, जिसमे पाया गया कि कार्य की गुणवता निम्न स्तर की थी. विदित हो कि बुडको, वैशाली द्वारा लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराये गए संचिका में संवेदक द्वारा कार्य पूर्ण बताया गया है, परन्तु बुडको, वैशाली द्वारा निर्गत कार्य पूर्णता से सम्बंधित कोई भी प्रमाण पत्र संचिका में उपलब्ध नहीं पायी गई। अभिलेखों की जाँच में यह भी पाया गया कि संवेदक द्वारा निष्पादित कराये गए कार्य में भी कार्य के कई महत्वपूर्ण घटकों को आंशिक तथा पूर्ण रूप से नहीं कराया गया। अतः एकरारनामा के अनुसार नहीं/कम किए गए कार्य की विवरणी निम्नवत् है:

यासीन के घर से शंकर राय के घर होते हुए विशपुर चौक से मीनापुर रोड तक PCC पथ एवं नाला निर्माण कार्य								
क्रम संख्या	कार्य का विवरण	यूनिट	एकरारनामा के अनुसार आवश्यक मात्रा	MB के अनुसार कार्य की मात्रा	कम किया गया कार्य	दर	कम किये गए कार्य का मूल्य	एकरारनामा के अनुसार कुल मूल्य
1	Excavation for roadwrok in soil hydraulic excavator or 0.9 cum bucket capacity	M^3	337.5	194.52	142.98	117.16	16751.54	

	inculding cutting							
2	Supplying and Filling in Plinth	M^3	28.13	16.2	11.93	238.6	2846.50	
3	Provinding and laying in position cement concrete of specified grade	M^3	37.5	22.68	14.82	2940.8	43582.66	
4	Provinding reinforced cement concrete in foundation	M^3	202.5	118.4	84.1	4902.3	412283.43	
5	Providing Reinforcement for R.C.C. work	KG	15187.5	8737.89	6449.61	76.7	494685.09	
6	Centring and shuttering Including strutting, propping etc.	M^2	1725	892.74	832.26	186.3	155050.04	
7	Construction of embankment with approved material obtained	M^2	2031.36	2029.54	1.82	243.41	443.01	
8	Providing designation fly ash brick edge soling joints	M^2	1440	0	1440	495.4	713376.00	
9	Granular Sub-Base with Coarse Graded Material	M^3	657	656.72	0.28	790.28	221.28	
10	Providing Cement Concrete Pavement	M^3	876	875.27	0.73	4681.3	3417.35	

11	Centring and shuttering including struttin, propping etc.	M^2	480	479.6	0.4	185.9	74.36	
12	Carriage of Materials:-							
13	Cement	MT	437.78	400.28	37.5	290.27	10885.13	
14	Sand	M^3	535.99	438.11	97.88	1777.7	174001.28	
15	Chips	M^3	1791.06	1706.82	84.24	1933.13	162846.87	
16	L Sand	M^3	28.13	16.2	11.93	262.05	3126.26	
17	MS Reinforcement	MT	15.19	8.73	6.46	290.27	1875.14	
							2195465.91	
	Difference Cost of Materials:-							
18	Cement	MT	437.78	400.28	37.5	-765.85	-28719.38	
						Total	**2166746.53**	
Amount to be Paid to the Agency				**(12771353-2166746.53) Below 10%**				**9544145.85**
Amount paid to Agency on 5th Running Bill								**9544143.00**

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि निष्पादित किये गये कार्य में भी कई महत्वपूर्ण घटकों का कार्य अब तक नहीं किया गया है।

(ग) अतिरिक्त सुरक्षित जमा राशि को अनुचित तरीके से संवेदक को वापस किया जाना, राशि रु. 10.06 लाख।

<u>F2 एकरारनामा के Memorandom क्लाउज -(C) के अनुसार</u> संवेदक द्वारा अतिरिक्त सुरक्षित जमा राशि के लिए कुल रु. 1005745/- राशि का बैंक गारंटी जमा किया गया था.

लेखापरीक्षा के जांच के क्रम में पाया गया कि कार्यपालक अभियंता, बुडको, वैशाली द्वारा पत्रांक संख्या 317/न. वि. प्र., वैशाली (हाजीपुर) दिनांक 26.07.2022 (राशि रु. 574711/-) एवं पत्रांक संख्या 99/न. वि. प्र., वैशाली (हाजीपुर) दिनांक 01.06.2020 (राशि रु. 431034/-) के माध्यम से अतिरिक्त सुरक्षित जमा की राशि संवेदक को अनुचित तरीके से बिना कार्य पूर्ण हुए वापस कर दिया गया, जिसकी विवरणी निम्न है-

क्रम संख्या	बैंक गारंटी संख्या	बुडको का पत्रांक संख्या	बैंक गारंटी की राशि वापस करने की तिथि	बैंक गारंटी की राशि
1	2	3	4	5
1	BG No. IBG 98303	317/न. वि. प्र., वैशाली (हाजीपुर) दिनांक 26.07.2022	26.07.2022	574711
2	BG No. IBG 98300	पत्रांक संख्या 99/न. वि. प्र., वैशाली (हाजीपुर) दिनांक 01.06.2020	01.06.2020	431034
कुल योग				**1005745/-**

अतः उपरोक्त विवरणी से स्पष्ट है कि एकरारनामा के प्रावधान का उल्लंघन कर अतिरिक्त सुरक्षित जमा की राशि रु. 1005745/- संवेदक को अनुचित तरीके से बिना कार्य पूर्ण हुए वापस कर दी गई.

(घ) बिना सर्वेक्षण के तकनिकी स्वीकृति प्रदान किया जाना.

लेखापरीक्षा द्वारा जांच के क्रम में पाया गया कि कार्यालय, कार्यपालक अभियंता, बुडको, वैशाली द्वारा उपलब्ध कराये गये कार्य संचिका में सर्वेक्षण से सम्बंधित कोई प्रतिवेदन या दस्तावेज या उचित (Proper) विस्तृत नक्शा उपलब्ध नहीं था, साथ ही लेखापरीक्षा द्वारा संयुक्त भौतिक सत्यापान के जांच में यह पाया गया कि सम्बंधित कार्य के अंतर्गत नाले के जल निकासी का कोई कनेक्शन नहीं था, जिसके कारण नाले के दोनों छोर खुले हुए थे एवं न ही घरों का कनेक्शन नाले से किया गया था. पथ की चौड़ाई में भी समरूपता नही थीं.

अतः इससे यह विदित होता है कि पथ का सर्वेक्षण किये बिना ही सम्बंधित कार्य को तकनिकी स्वीकृति प्रदान की गई.

(ङ.) योजना हेतु प्रदान की गई शेष सहायक अनुदान का अप्राप्त विवरण, राशि रु. 32.16 लाख.

लेखापरीक्षा द्वारा जांच के क्रम में पाया गया कि नगर परिषद्, काँटी को प्राप्त कुल सहायक अनुदान की राशि रु. 12760100/- बुडको, वैशाली को हस्तांतरित कर दी गई. कार्यालय, कार्यपालक अभियंता, बुडको, वैशाली द्वारा प्राप्त अभिलेख के अनुसार तीसरे चालू विपत्र (दिनांक 01.10.2021) तक योजना में कुल राशि रु. 9544143/- का ही व्यय हो पाया है साथ ही दिनांक 30.12.2019 के बाद कार्य में कोई प्रगति नहीं पाई गई. इसप्रकार सम्बंधित योजना में अब तक बुडको, वैशाली के पास सहायक अनुदान की राशि रु. 3215957/- (12760100 - 9544143) अवशेष पड़ी हुई है, जो कि न तो अब तक नगर परिषद् काँटी को वापस की गई है एवं न ही इस राशि का अब तक कोई उपयोग किया जा सका है.

(च) संयुक्त भौतिक सत्यापन में पाई गई विसंगतियां.

सम्बंधित योजना में पथ एवं नाला निर्माण कार्य के संयुक्त भौतिक सत्यापन में निम्न विसंगतियां पाई गई-

यासीन के घर से शंकर राय के घर से होते हुए विशपुर चौक से मीनापुर रोड तक बुडको अंतर्गत कराये गए पथ एवं नाला निर्माण कार्य का संयुक्त भौतिक सत्यापन (दिनांक 1 सितम्बर 2022):

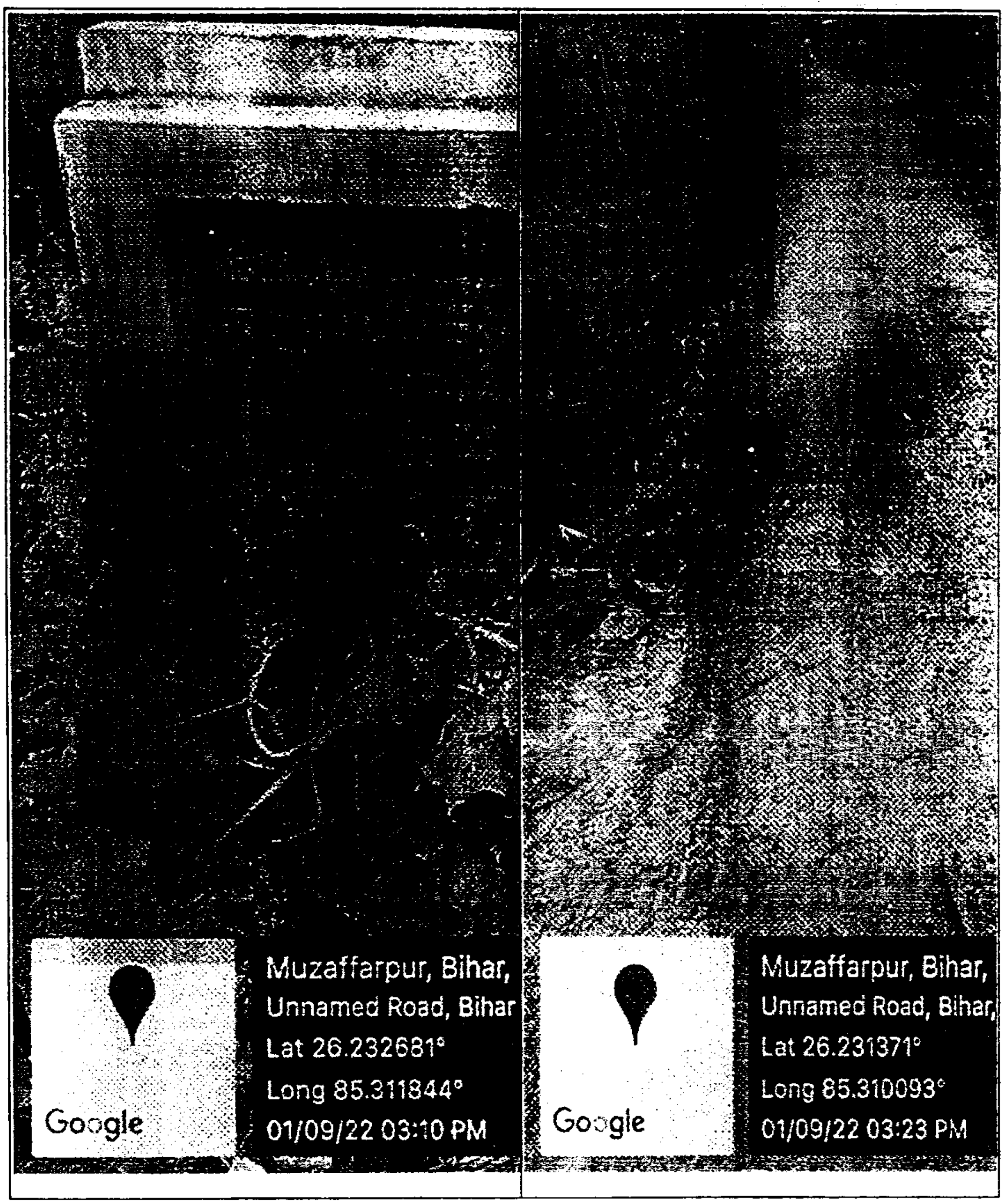

	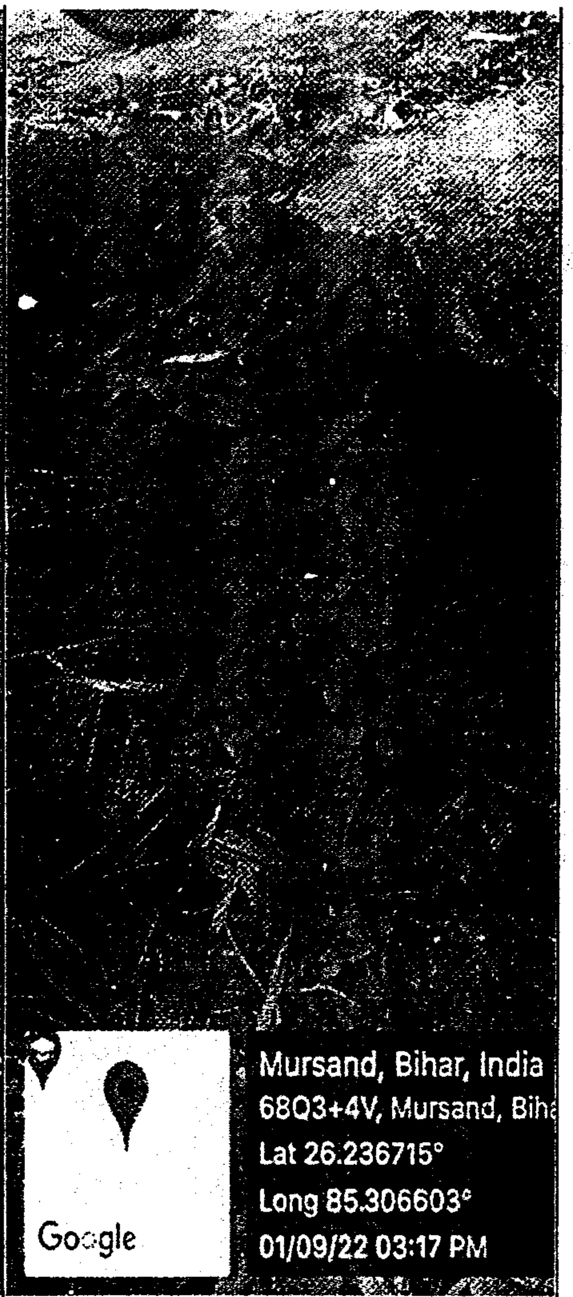
वार्ड संख्या 10	
मापीपुस्त के अनुसार योजना में व्यय की गई राशि	रु. **9544143/-**

उपरोक्त पथ एवं नाला निर्माण कार्य के संयुक्त भौतिक सत्यापन में पाया गया कि पथ के सतह की गुणवता निम्न स्तर की थी, Surface course का कार्य ठीक ढंग से नहीं कराया गया था, जिससे पथ कई स्थानों पर क्षतिग्रस्त है. स्थानीय लोगों द्वारा बताया गया कि पथ के रख-रखाव का कार्य नहीं किया जाता है. जिससे पथ क्षतिग्रस्त अवस्था में है. पथ की चौड़ाई में समरूपता नहीं पायी गई. साथ ही नाला निर्माण तो किया गया है परन्तु आस पास के घरो का कनेक्शन नाले से नहीं किया गया है. नाले के दोनों छोर खुले हुए, जिससे कि नाला के भरने का खतरा है.

310

नाले से जल निकासी का कोई कनेक्शन नहीं है. नाले का निर्माण पथ के कुल दुरी के समानांतर न होकर केवल कुछ दुरी तक ही है. नगर परिषद् के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया था कि बुडको द्वारा कोई अभिलेख समर्पित नहीं किये जाने के कारण नाले की लम्बाई ज्ञात नहीं है, परन्तु संयुक्त भौतिक सत्यापण के उपरान्त बुडको द्वारा सम्बंधित कार्य का अभिलेख समर्पित किया गया, अत: अभिलेख के अनुसार नाले की लम्बाई 500 मीटर है.

उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में कार्य नगर परिषद् क्षेत्र से सम्बन्धित होने के वावजूद वर्तमान स्थिति में निम्न स्तर के कार्य निष्पादन एवं लम्बी अवधि से कार्य अपूर्ण होने के कारण निष्फल व्यय किये जाने के उपरान्त कार्यालय नगर परिषद्, काँटी द्वारा कार्रवाई किये जाने, संवेदक द्वारा कार्य पूर्ण होने अवधि बीत जाने उपरान्त अब तक अवधि विस्तार हेतु स्वीकृति प्राप्त नहीं किये जाने, एकरारनामा के अनुसार नहीं अथवा कम कार्य कराये जाने, कार्य अपूर्ण होने की दशा में अतिरिक्त सुरक्षित जमा राशि को संवेदक को अनुचित तरीके से वापस किये जाने, बिना सर्वेक्षण के तकनिकी स्वीकृति प्रदान किये जाने, बुडको, वैशाली के पास सहायक अनुदान की राशि रु. 3215957/- अवशेष पड़ी हुई है, जो कि न तो अब तक नगर परिषद् काँटी को वापस की गई है एवं न ही इस राशि का अब तक कोई उपयोग किया जा सका है. अत: इस राशि का बुडको वैशाली के पास पड़े रहने के कारण एवं संयुक्त भौतिक सत्यापन में व्याप्त विसंगतियों के होने के कारणों के सम्बन्ध में जवाब दिया गया कि नगर परिषद्, काँटी क्षेत्र का सम्बंधित कार्य बुडको वैशाली, हाजीपुर द्वारा कराया जा रहा है, अत: बुडको वैशाली हाजीपुर से पत्राचार करा लेखापरीक्षा कार्यालय को अवगत करा दिया जायेगा. अत: उपरोक्त जवाब के आलोक में किये जाने वाले कृत कारबाई रो साक्ष्य सहित जवाब लेखापरीक्षा कार्यालय को प्रेषित किया जाए.

सन्दर्भ संख्या: OBS-405670

विषय: निधि की उपलब्धता के बावजूद LED स्ट्रीट लाईट योजना का अपूर्ण होना.

As per agreement, Background 1. Urban Development & Housing Department (UD & HD) vide letter of intent no 7054 dated 30-10-2017 confirmed that UD & HD would like to initiate the Energy Efficient Street Lighting Programme for the state of Bihar for the replacement of existing conventional street light by Energy efficient LED street light . Article No. 2.3 of agreement, The complete investment for the project would be borne by EESL . The Project Financing would be done using debt and equity in the ratio of 80:20 . EESL shall undertake project implementation on its own or through an implementation partner , with EESL acting as facilitator . All capital investment and operational expenditure required for the in - scope project tasks shall be arranged by EESL The cost recovery of the same shall be done by monetizing cost savings achieved as part of the project implementation done through retrofitting of conventional street lights fixtures with LED street light fixtures.

नगर परिषद्, काँटी (मुजफ्फरपुर) द्वारा लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराये गए अभिलेखों के जांच के क्रम में यह पाया गया कि भारत सरकार के उपक्रम के रूप में कार्यरत कार्यकारी एजेंसी Energy Efficiency Services Limited (EESL) द्वारा नगर परिषद्, काँटी (मुजफ्फरपुर) में LED स्ट्रीट लाईट का कार्य कराया गया, परन्तु विभिन्न मदों में राशि उपलब्ध रहते योजना को अब तक पूर्ण नहीं कराया गया है.

309

नगर परिषद्, काँटी (मुजफ्फरपुर) एवं Energy Efficiency Services Limited (EESL) के साथ नगर परिषद्, काँटी के अंतर्गत स्ट्रीट लाईट योजना के क्रियान्वयन हेतु दिनांक 13.07.2018 को एकरारनामा हुआ. एकरारनामा के शर्तो के अनुसार कार्य 14 से 18 सप्ताह में पूर्ण हो जाना चाहिए, परन्तु 4 वर्ष से भी अधिक समय बित जाने के उपरान्त अब तक सम्बंधित योजना को पूरा नहीं किया जा सका है, नगर परिषद्, काँटी (मुजफ्फरपुर) द्वारा नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना को पत्रांक संख्या 659 दिनांक 12.08.2022 के माध्यम से भेजे गए प्रगति प्रतिवेदन के आधार पर योजना की प्रगति निम्न है.

क्रम सo	अधिष्ठापित होने वाले स्ट्रीट लाइटों की संख्या	अगस्त 2022 तक अधिष्ठापित स्ट्रीट लाइटों की संख्या	कार्यरत स्ट्रीट लाइटों की संख्या	अकार्यरत स्ट्रीट लाइटों की संख्या	अभियुक्ति
1	1750	1080	469	611	EESL द्वारा कार्यालय को बिल नहीं प्रस्तुत किया गया है.

पुन: यह भी उल्लेखनीय है कि सम्बंधित योजना को एकरारनामा के शर्तो के अनुसार कार्य 14 से 18 सप्ताह में पूर्ण हो जाना चाहिए था परन्तु वर्त्तमान समयावधि तक न ही योजना को पूर्ण किया गया एवं न ही Energy Efficiency Services Limited (EESL) द्वारा योजना के अंतर्गत व्यय की गई राशि से सम्बंधित कोई विपत्र नगर परिषद्, काँटी को समर्पित किया गया, जबकि नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक संख्या-13/ना० सु०-04-14/2021/1532/न०वि०एवं आ०वि० दिनांक 22.09.2021 के द्वारा नगर परिषद् को यह बताया गया कि EESL के बकाया राशि के सम्बन्ध में आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्पष्ट प्रतिवेदन की मांग की गई थी, जिसके सम्बन्ध में नगर परिषद् से EESL द्वारा किये गए कार्य, किये गए कार्य हेतु नियमानुसार भुगतेय राशि, इसके विरुद्ध भुगतान किये गए राशि एवं किये गए कार्य के विरुद्ध अनुमान्य राशि का भुगतान नहीं किये जाने के कारणों सहित स्पष्ट प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया था, परन्तु नगर परिषद्, काँटी के प्रतिवेदन से यह स्पष्ट है कि Energy Efficiency Services Limited (EESL) द्वारा न ही अब तक कार्य पूर्ण किया गया है एवं न ही किये गए कार्य से सम्बंधित भुगतान हेतु विपत्र समर्पित किया गया है.

रख-रखाव (Operation & Maintenance) का क्रियान्वयन न होना.

एकरारनामा के Article 14.1 के Implementation Plan एवं नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार के संकल्प (ज्ञापांक 2 ब०/ना०सु०-03-18/2013/7054/न०वि०एवं आ० वि०/ दिनांक: 30.10.2017) के अनुसार Energy Efficiency Services Limited (EESL) द्वारा सभी LED lights एवं Fixtures का रख-रखाव एवं मरम्मति भी सुनिक्षित करायी जाएगी. service सर्विस लेवल एकरारनामा के प्रावधान के अनुसार 72 घंटे में ख़राब हुए LED लाईट को ठीक नहीं किया जायेगा तो इसके लिए 25/- रु० प्रतिदिन प्रति पोल पेनल्टी का प्रावधान किया गया है.

कार्यालय, नगर परिषद्, कौंटी के पत्रांक संख्या 276 दिनांक 26.03.2021 एवं पत्रांक संख्या 275 दिनांक 26.03.2021 से यह स्पष्ट विदित होता है कि Efficiency Services Limited (EESL) द्वारा एकरारनामा की शर्तो की अवेहलना करते हुए नगर परिषद्, कौंटी के अंतर्गत अधिष्ठापित LED स्ट्रीट लाईटों के रख-रखाव (Operation & Maintenance) का कार्य क्रियान्वित नहीं किया जा रहा है. विभागीय स्तर पर प्रमंडलीय समीक्षात्मक बैठकों में जनप्रतिनिधियों द्वारा LED Street Light के अधिष्ठापन एवं अधिष्ठापित स्ट्रीट लाईटों के रख-रखाव सम्बन्धी शिकायते प्राप्त होने के बावजूद इस सम्बन्ध में अब तक उचित कार्यवाई नगर परिषद्, कौंटी द्वारा नहीं की गई है, जिसका योजना एवं नागरिक सुविधा पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव से इंकार नहीं किया जा सकता है.

शिकायत निवारण तंत्र का अभाव.

सर्विस लेवल एकरारनामा के प्रावधान के अनुसार 72 घंटे में खराब हुए LED लाईट को ठीक नहीं किया जायेगा तो इसके लिए 25/- रु० प्रतिदिन प्रति पोल पेनल्टी का प्रावधान किया गया है.

उपरोक्त प्रावधान के आलोक में नगर परिषद्, कौंटी में LED स्ट्रीट लाईटों के रख-रखाव (Operation & Maintenance) के ख़राब क्रियान्वयन (Poor Implementation) होने के बावजूद भी नगर परिषद्, कौंटी में लोक शिकायती तंत्र का अभाव पाया गया. इस सम्बन्ध में लेखापरीक्षा द्वारा पृच्छा किये जाने के बावजूद भी लोक शिकायत निवारण से सम्बंधित कोई भी अभिलेख नगर परिषद्, कौंटी में संधारित नहीं पाया गया एवं न ही इस सम्बन्ध में नगर परिषद्, कौंटी द्वारा अपनाई जा रही किसी प्रक्रिया से लेखापरीक्षा को अवगत कराया गया.

उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में विभिन्न मदों में राशि के अव्यवहृत रहते हुए एवं नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार द्वारा EESL द्वारा किये गए कार्य, किये गए कार्य हेतु नियमानुसार भुगतेय राशि, इसके विरुद्ध भुगतान किये गए राशि एवं किये गए कार्य के विरुद्ध अनुमान्य राशि का भुगतान नहीं किये जाने के कारणों सहित स्पष्ट प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किये जाने के बावजूद भी नगर परिषद्, कौंटी द्वारा इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाई नहीं किये जाने के कारणों, एकरारनामा के शर्तो के अनुसार 14 से 18 सप्ताह में कार्य पूर्ण होने के स्थान पर 2 वर्ष से भी अधिक समय बित जाने के बाद भी अब तक कार्य पूर्ण नहीं किये जाने, साथ ही LED स्ट्रीट लाईट योजना से सम्बंधित विस्तृत अद्यतन प्रगति प्रतिवेदन लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराये जाने, दिसम्बर 2019 से कार्यरत एजेंसी Energy Efficiency Services Limited (EESL) द्वारा अब तक भुगतान से सम्बंधित कोई भी विपत्र समर्पित नहीं किये जाने, LED Street Light के अधिष्ठापन एवं अधिष्ठापित स्ट्रीट लाईटों के रख-रखाव सम्बन्धी शिकायते प्राप्त होंने के बावजूद नगर परिषद्, कौंटी द्वारा इस सम्बन्ध में अब तक उचित कार्यवाई नहीं किये जाने, जबकि सर्विस लेवल एकरारनामा के प्रावधान के अनुसार 72 घंटे में ख़राब हुए LED लाईट को ठीक नहीं किया जायेगा तो इसके लिए 25/- रु० प्रतिदिन प्रति पोल पेनल्टी का प्रावधान किया गया है एवं नगर परिषद्, कौंटी में LED स्ट्रीट लाईटों के रख-रखाव (Operation & Maintenance) के ख़राब क्रियान्वयन (Poor Implementation) होने के बावजूद लोक शिकायत निवारण हेतु नगर परिषद्, कौंटी द्वारा कोई ठोस कदम उठाये जाने के सम्बन्ध में जवाब दिया गया कि इस सम्बन्ध में विभाग से दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कारवाई कर लेखापरीक्षा कार्यालय को सूचित कर दिया जायेगा.

कृपया कृत कार्यवाई से साक्ष्य सहित जवाब लेखापरीक्षा कार्यालय को प्रेषित किया जाए.

सन्दर्भ संख्या: OBS-405680

विषय: डोर टू डोर साफ़- सफाई कार्यो की समीक्षा

(क) एकरारनामा के प्रावधानों की अवेहलना करते हुए अनियमित भुगतान, राशि रु. 252.16 लाख.

नगर परिषद, काँटी (मुजफ्फरपुर) द्वारा Door-to-door सफाई कार्यो के जांच के क्रम में पाया गया कि नगर परिषद् द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 से 2021-22 की अवधि में एकरारनामा में उल्लेखित प्रावधानों के अनुरूप भुगतान नहीं किया गया, जिसकी विवरणी निम्न है.

क्रम संख्या	कार्य की अवधि	संस्थान का नाम	एकरारनामा के प्रावधान	भुगतान की गई राशि (रु)	अभियुक्ति
1	सितम्बर 2019 मार्च 2020	स्वर्ग	प्रावधान 5: कार्य विपत्र की गुणवता जांचोपरांत ही भुगतान किया जायेगा. निर्धारित मूल्य रु 40.00/- प्रति household/प्रति दुकान के हिसाब से दैनिक लोग बुक बिल के साथ प्रस्तुत करने के 15 दिनों के अंदर भुगतान होगा।	2391333 (Annexure Attached)	विपत्र के साथ निरीक्षण से सम्बंधित कोई प्रतिवेदन एवं दैनिक लोग बुक संलग्न नहीं.
			प्रावधान 6(3) :नगर पंचायत काँटी वार्ड संख्या 3 में स्थित Processing site पर गिले कचड़े का दैनिक प्रसंकरण एवं निपटारा करना.		Processing site के निरीक्षण में पाया गया की Processing Site निर्माणाधीन अवस्था में है, जहा कोई भी Processing का कार्य नहीं किया जा रहा था.
			प्रावधान 6(4) : Sanitary land fill site पर सूखे कचड़े का निपटारा करना.		कचड़े के निपटान से सम्बंधित कोई साईट अब तक चयनित नहीं किया गया है.
2	अप्रैल 2020 से मई 2021	अमलेश रंजना समाज सेवा संस्था	प्रावधान 5: कार्य विपत्र की गुणवता जांचोपरांत ही भुगतान किया जायेगा. निर्धारित मूल्य रु 83.50/- प्रति	10754800 (Annexure Attached)	विपत्र के साथ निरीक्षण से सम्बंधित कोई प्रतिवेदन एवं दैनिक लोग बुक संलग्न नहीं.

306

			household/प्रति दुकान के हिसाब से दैनिक लोग बुक बिल के साथ प्रस्तुत करने के 15 दिनों के अंदर भुगतान होगा।		
			प्रावधान 6(4) : Sanitary land fill site पर सूखे कचड़े का निपटारा करना.		कचड़े के निपटान से सम्बंधित कोई साईट अब तक चयनित नहीं किया गया है.
			प्रावधान 14 : सभी सफाई कर्मियों का पारिश्रमिक भुगतान उनके खाता में NEFT/NET Banking द्वारा करना सुनिशित करेंगे एवं इसकी सूचना कार्यालय को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा.		सम्बंधित संचिका में संस्था द्वारा प्रति माह विपत्र के साथ ऐसा कोई दस्तावेज समर्पित नहीं पाया गया.
3	जून 2021 से जुलाई 2022	प्रताप सेवा संकल्प	प्रावधान 6: कार्य की गुणवत्ता जांचोपरांत ही भुगतान किया जायेगा. निर्धारित मूल्य कुल 6 वार्डो के लिए रु 210000.00 के हिसाब से दैनिक log book बिल के साथ प्रस्तुत करने के बाद ही भुगतान होगा.	5880000 (Annexure Attached)	प्रकाशित निविदा संख्या 03/2021 के अनुसार कुल 12 वार्डो का कार्य कराया जाना था, परन्तु सम्बंधित संस्था के साथ केवल 6 वार्डो पर ही एकरारनामा किया गया. दैनिक log book की प्रति संचिका में उपलब्ध नहीं पाई गई.
			प्रावधान 11 : सभी सफाई कर्मियों का पारिश्रमिक भुगतान उनके खाता में NEFT/NET Banking द्वारा करना सुनिशित करेंगे एवं इसकी सूचना कार्यालय को		सम्बंधित संचिका में संस्था द्वारा प्रति माह विपत्र के साथ ऐसा कोई दस्तावेज समर्पित नहीं पाया गया.

			उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा.		
4	जून 2021 से जुलाई 2022 (विस्तृत क्षेत्र)	प्रताप सेवा संकल्प	सम्बंधित संस्था को माह जून 2021 से नवम्बर 2021 तक बिना एकरारनामा साथ ही दिसम्बर 2021 से जुलाई 2022 तक बिना तकनिकी रूप से सफल हुए सीधे वित्तीय बीड के आधार पर एकरारनामा कर कार्य आवंटित किया गया.	6189571 (Annexure Attached)	बिना एकरारनामा एवं तकनिकी रूप से सफल हुए बिना सीधे वित्तीय बीड के आधार पर एकरारनामा कर अनियमित भुगतान किया गया.
कुल योग				25215704/-	

यह भी उल्लेखनींय है कि एकरारनामा के अनुसार संस्था को भारत सरकार/राज्य सरकार के श्रम संसाधन विभाग द्वारा वैधानिक दिशा निर्देश का पालन करना होगा एवं न्यूनतम पारिश्रमिक से कम भुगतान नहीं करना होगा साथ ही सम्बंधित संस्था नियमानुसार कर्मचारी भविष्य निधि योजना एवं कर्मचारी राज्य बीमा योजना से आच्छादित करेंगे.

नगर परिषद्, कौंटी (मुजफ्फरपुर) द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 से 2021-22 की अवधि में विभिन्न एजेंसीयों द्वारा उपरोक्त प्रावधानों से सम्बंधित कोई भी दस्तावेज या प्रतिवेदन सम्बंधित संचिकाओ में उपलब्ध नहीं पाया गया एवं लेखापरीक्षा द्वारा मांग किये जाने के बावजूद भी ऐसा कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया, जिससे यह ज्ञात हो कि उपरोक्त प्रावधानों का पालन किया जा रहा था अथवा नहीं.

वित्तीय वर्ष 2019-20 से 2020-21 की अवधि में नगर परिषद्, कौंटी (मुजफ्फरपुर) द्वारा Door-to-door साफ़-सफाई कार्यो के लिए निविदा या एकरारनामा में दैनिक मजदूरों की संख्या को निर्धारित नहीं किया गया था एवं सम्बंधित एजेंसीयों द्वारा कार्य में लगे मजदूरों की पारिश्रमिक भुगतान उनके खाता में NEFT/NET Banking द्वारा transfer किये जाने सम्बन्धी Statement/सुचना कार्यालय को प्रस्तुत किये बिना एवं उपस्थिति पंजी माह-वार समर्पित किये बिना नगर परिषद्, कौंटी (मुजफ्फरपुर) द्वारा मजदूरी का भुगतान किया गया. एकरारनामा के नियम/शर्त में यह उल्लेख है कि नगर परिषद्, कौंटी में संस्था को भारत सरकार/राज्य सरकार के श्रम संसाधन विभाग द्वारा वैधनिक दिशा-निर्देश का पालन करना होगा, परन्तु सम्बंधित कार्य में लगे नगर परिषद्, कौंटी में कार्यरत सफाई कर्मियों की विस्तृत उपस्थिति पंजी भी सम्बंधित संस्थानों द्वारा प्रस्तुत नहीं की गई, जिसके कारण न्यूनतम मजदूरी एवं कुल भुगतान की गई मजदूरी की गणना करना संभव नहीं है, इसप्रकार उपस्थिति पंजी समर्पित किये बिना मजदूरी का भुगतान किया गया.

अत: उपरोक्त प्रावधानों का पालन किये बिना सम्बंधित एजेंसीयों द्वारा प्रति माह केवल कुल मासिक राशि को दर्शाते हुए भुगतान विपत्र प्रस्तुत किया जाता रहा एवं उसी के आधार पर विपत्रो का भुगतान किया गया.

एकरारनामा के शर्तो की अवहेलना करते वित्तीय वर्ष 2019-20 से 2021-22 तक नगर परिषद्, कौंटी (मुजफ्फरपुर) द्वारा विभिन्न एजेंसीयों को Door-to-door साफ़-सफाई कार्यो के लिए कुल राशि रु. 25215704/- का अनियमित भुगतान किया गया.

(ख) बिना अभिश्रव पास किये अनियमित भुगतान, राशि रु. 124.66 लाख.

लेखापरीक्षा के जांच के क्रम में पाया गया कि फ़रवरी 2020 से मई 2021 तक की अवधि के Door-to-door सफाई कार्यो हेतु स्वर्ग संस्था के माह सितम्बर 2019, अक्टूबर 2019, नवम्बर 2019 एवं फ़रवरी 2020 से मार्च 2020 तथा अमलेश रंजना समाज सेवा संस्था के अप्रैल 2020 से मई 2021 के अभिश्रव बिना पास किये नगर परिषद्, काँटी द्वारा कुल रु. 12466133/- (Annexure/key documents 1 key documents 2) का अनियमित भुगतान किया गया.

(ग) एजेंसियो को अनुचित तरीके से अतिरिक्त भुगतान, राशि 23.49 लाख.

नगर परिषद्, काँटी (मुजफ्फरपुर) के अंतर्गत आने वाले 12 वार्डो के साफ़-सफाई और ठोस एवं गीला कचरा पृथक्करण कार्यो के निष्पादन हेतु अवधि सितम्बर 2019 से मार्च 2020 तक कुल 5113 हाउसहोल्ड के लिए प्रति माह रु 40/- प्रति हाउसहोल्ड के दर से एकरारनामा किया गया, इसी प्रकार अवधि अप्रैल 2020 से मई 2021 तक कुल 8500 हाउसहोल्ड के लिए प्रति माह रु 83.5/- प्रति हाउसहोल्ड के दर से एकरारनामा किया गया, परन्तु लेखापरीक्षा के जांच के क्रम में यह पाया गया कि उपरोक्त दोनों अवधियों सितम्बर 2019 से मार्च 2020 एवं अप्रैल 2020 से मई 2021 के लिए क्रमशः 8500 हाउसहोल्ड (3387 अधिक) एवं 9200 हाउसहोल्ड (700 अधिक) के लिए भुगतान किया गया, जो निविदा एवं एकरारनामा के प्रावधानों का उल्लंघन है. इस सम्बन्ध में लेखापरीक्षा द्वारा पृच्छा किये जाने के बावजूद नगर परिषद् द्वारा अधिक हाउसहोल्ड के भुगतान से सम्बंधित कोई भी दस्तावेज या आधार प्रस्तुत नहीं किया गया. पुनः कोरोना आपदा के समय दिनांक 24.03.2020 को स्वर्ग संस्था को RTGS के माध्यम से कुल रु 100000/- अग्रिम भुगतान किया गया था, जिसका समायोजन नगर परिषद् द्वारा नहीं किया गया. जिसकी विवरणी निम्न है-

क्रम संख्या	अवधि	8500 हाउसहोल्ड पर किया गया कुल भुगतान	5113 हाउसहोल्ड पर की जाने वाली कुल भुगतान की राशि	अतिरिक्त भुगतान (रु.)
1	2	3	4	5 (3-4)
1.	Sep 2019 & Oct 2019 (24 days)	612000	409040	202960
2.	Oct 2019 (7 days) & Nov 2019	419333	252241	167092
3.	Dec-2019	340000	204520	135480
4.	Jan-2020	340000	204520	135480
5.	Feb 2020 & March 2020	680000	409040	270960
A	कुल	**2391333/-**	**1479361/-**	**911972/-**
B	असमायोजित अग्रिम (दिनांक 24.03.2020)			**100000/-**
	कुल योग (A+B)			**1011972/-**

क्रम संख्या	अवधि	9200 हाउसहोल्ड पर किया गया कुल भुगतान	8500 हाउसहोल्ड पर की जाने वाली कुल भुगतान की राशि	अतिरिक्त भुगतान
1.	April 2020 & May 2020	1536400	1419500	116900
2.	Jun-2020	768200	709750	58450

3.	July 2020 & Aug 2020	1536400	1419500	116900
4.	Sep 2020 & Oct 2020	1536400	1419500	116900
5.	Nov 2020 & Dec 2020	1536400	1419500	116900
6.	Jan-2020	768200	709750	58450
7.	Feb 2021 & March 2021	1536400	1419500	116900
8.	April 2021 & May 2021	1536400	1419500	116900
C	कुल	10754800	9936500	818300
कुल अतिरिक्त भुगतान (A+B+C)				1830272
Annexure attached				

उपरोक्त के अलावे नगर परिषद, काँटी (मुजफ्फरपुर) के अंतर्गत आने वाले 12 वार्डो के साफ़-सफाई और ठोस एवं गीला कचरा पृथक्करण कार्यो के निष्पादन हेतु अवधि सितम्बर 2019 से मई 2021 तक नगर परिषद, काँटी द्वारा अनुचित तरीके से संस्था के विपत्र में से कटौती की जाने राशि का भुगतान कर वापस लौटाने की प्रक्रिया अपनाई जा रही थी, जिसके अंतर्गत सम्बंधित अवधि में संस्थान के विपत्र में से कटौती की जाने वाली राशि का भुगतान कर वसूली नहीं की गई. जिसके विवरणी निम्न है-

Sl. No.	Period	Excess Payment	Remarks
1	September 2019-March 2020	77400	Deducted amount refunded to Agency
2	April 2020-May 2021	441060	
Grand Total		518460/-	(Annexure Attached)

उपरोक्त विवरणी से स्पष्ट है कि सितम्बर 2019 से मई 2021 तक कुल राशि 518460/- का अतिरिक्त भुगतान किया गया.

अतः सम्बंधित दोनों अवधियों में विभिन्न संस्थानों को कुल रु. 2348732/- (1830272+518460) का अनियमित भुगतान किया गया.

(घ) वित्तीय बीड की तुलना किये बिना एकरारनामा किया जाना.

लेखापरीक्षा के जांच के क्रम में पाया गया कि जून 2021 से जुलाई 2022 तक की अवधि के Door-to-door सफाई कार्यो को निर्गत करने हेतु वित्तीय बीड के समय दो निविदादाताओ क्रमशः स्वर्ग संस्थान एवं प्रताप सेवा संकल्प संस्था के दरों की तुलना किये बिना कार्य प्रताप सेवा संकल्प संस्था को निर्गत किया गया. स्वर्ग संस्थान द्वारा वितीय बीड के समय रु. 69.50 प्रति माह प्रति हाउसहोल्ड कोट किया गया था, जबकि प्रताप सेवा संकल्प संस्था द्वारा रु. 210000/- प्रति माह कोट किया गया था. अतः स्वर्ग संस्थान द्वारा कोट किये दर रु. 69.50 प्रति माह प्रति हाउसहोल्ड का मासिक मुल्यांकन किये बिना कार्य प्रताप सेवा संकल्प संस्था को निर्गत कर दिया गया.

(ड.) अनुचित तरीके से बिना तकनिकी बीड के एकरारनामा एवं बिना एकरारनामा के कार्य का आवंटन.

लेखापरीक्षा के जांच के क्रम में पाया गया कि जून 2021 से जुलाई 2022 तक की अवधि में नगर परिषद, काँटी के विस्तुत क्षेत्र के लिए Door-to-door सफाई कार्यो की निविदा (निविदा संख्या 07/2021-22) में बिना तकनिकी बीड के संपन्न कराये, केवल वित्तीय बीड के आधार पर प्रताप सेवा संकल्प संस्था से एकरारनामा कर कार्य का आवंटन किया गया. जिसमे प्रताप सेवा संकल्प संस्था को अब तक कुल रु. 6189571/- का

अनियमित भुगतान किया गया है, यह भी उल्लेखनीय है कि संस्थान के साथ एकरारनामा करने के तिथि 15.11.2021 के पूर्व ही माह जून 2021 से नवम्बर 2021 तक संस्था को बिना एकरारनामा किये सम्बंधित अवधि के कार्यो के लिए भी अनियमित भुगतान किया गया है.

(च) संस्थानों द्वारा ठोस अपशिस्ट प्रसंस्करण का कार्य नहीं किया जाना.

लेखापरीक्षा के जांच एवं संयुक्त भौतिक सत्यापन के क्रम में पाया गया कि नगर परिषद् कौंटी क्षेत्रान्तर्गत अवधि सितम्बर 2019 से जुलाई 2022 तक ठोस अपशिस्ट प्रसंस्करण का कार्य नहीं किया जा रहा था, बावजूद इसके संस्थानों के विपत्र से कटौती की जाने वाली राशि का मुल्यांकन एवं कटौती किये बिना पूरा भुगतान किया गया.

(छ) कचड़े के निपटान के लिए डंपिंग साईट के भूमि का चयन नहीं किया जाना.

लेखापरीक्षा के जांच के क्रम में पाया गया कि नगर परिषद् कौंटी क्षेत्रान्तर्गत कचड़ो के निपटान के लिए कोई भी डंपिंग साईट उपलब्ध नहीं थी. इस सम्बन्ध में नगर परिषद् कौंटी द्वारा भूमि आवंटन के लिए अंचलाधिकारी, मीनापुर (मुजफ्फरपुर) से पत्रांक 1019 दिनांक 12.08.2021 द्वारा अनुरोध किया गया था परन्तु इस सम्बन्ध में अब तक कोई अग्रतेर कार्यवाई नहीं हो पाई है. लेखापरीक्षा द्वारा पृच्छा किये जाने पर मौखिक तौर पर बताया गया कि कचड़ो का निपटान निजी भूमियों पर किया जाता है, जो SWM 2016 नियमावली के प्रतिकूल है.

(ज) साफ़-सफाई कार्यो का निष्पादन नहीं किया जाना.

नगर परिषद्, कौंटी (मुजफ्फरपुर) से लेखापरीक्षा द्वारा अप्रैल 2016 से अगस्त 2019 तक कुल 41 माह के साफ़-सफाई कार्यो के सम्बन्ध में पृच्छा किये जाने के उपरान्त साफ़-सफाई से सम्बंधित कोई भी अभिलेख नगर परिषद् द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया. तथा मौखिक तौर पर बताया गया कि सम्बंधित अवधि में किसी भी संस्थान द्वारा साफ़-सफाई का कार्य नहीं किया जा रहा था. अत: इस अवधि के दौरान नगर परिषद् द्वारा साफ़-सफाई कार्यो का निष्पादन नहीं किया गया.

यह भी उल्लेखनीय है कि माह जून 2021 से जुलाई 2022 तक संस्था द्वारा Door-to-door सफाई कार्यो हेतु समर्पित किये गए विपत्र से नगर परिषद् द्वारा सफाई कार्यो के लिए प्रदान की जाने वाली मशीनरी की राशि की कटौती संस्था के विपत्र से नहीं की गई थी, जिससे यह विदित होता है कि सम्बंधित अवधि में Door-to-door सफाई कार्यो का निष्पादन तत्परता से नहीं किया जा रहा था.

(झ) साफ़-सफाई कार्यो का समीक्षा नहीं किया जाना.

नगर परिष्द्, कौंटी (मुजफ्फरपुर) द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 से 2021-22 की अवधि में विभिन्न संस्थानों द्वारा किये गए Door-to-door सफाई कार्यो का प्रतिदिन/माहवार निरीक्षण एवं समीक्षा से सम्बंधित कोई प्रतिवेदन/दस्तावेज/अभिलेख संचिका में उपलब्ध नहीं थे.

एकरारनामा के नियम/शर्त के आलोक में लेखापरीक्षा द्वारा कार्यालय, नगर परिषद्, कौंटी (मुजफ्फरपुर) से किये गए समीक्षा या निरीक्षण कार्य से सम्बंधित प्रतिवेदनों/दस्तावेजों/अभिलेखों की मांग की गई, परन्तु ऐसा कोई भी प्रतिवेदन/दस्तावेज/अभिलेख लेखापरीक्षा के समक्ष प्रस्तुत नहीं गया.

(ञ) भौतिक सत्यापन में पाई गई विसंगतिया.

लेखापरीक्षा द्वारा ठोस कचड़ा प्रबंधन (SWM) के संयुक्त भौतिक सत्यापन क्रम में निम्न विसंगतिया पाई गई:

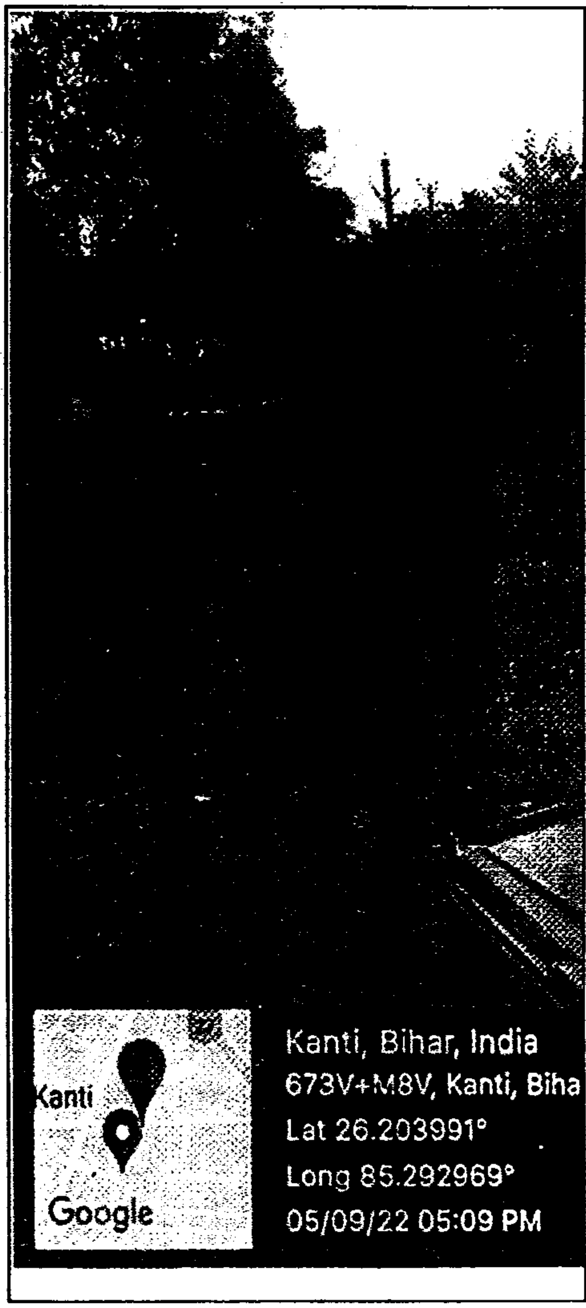

300

वार्ड न०- 03

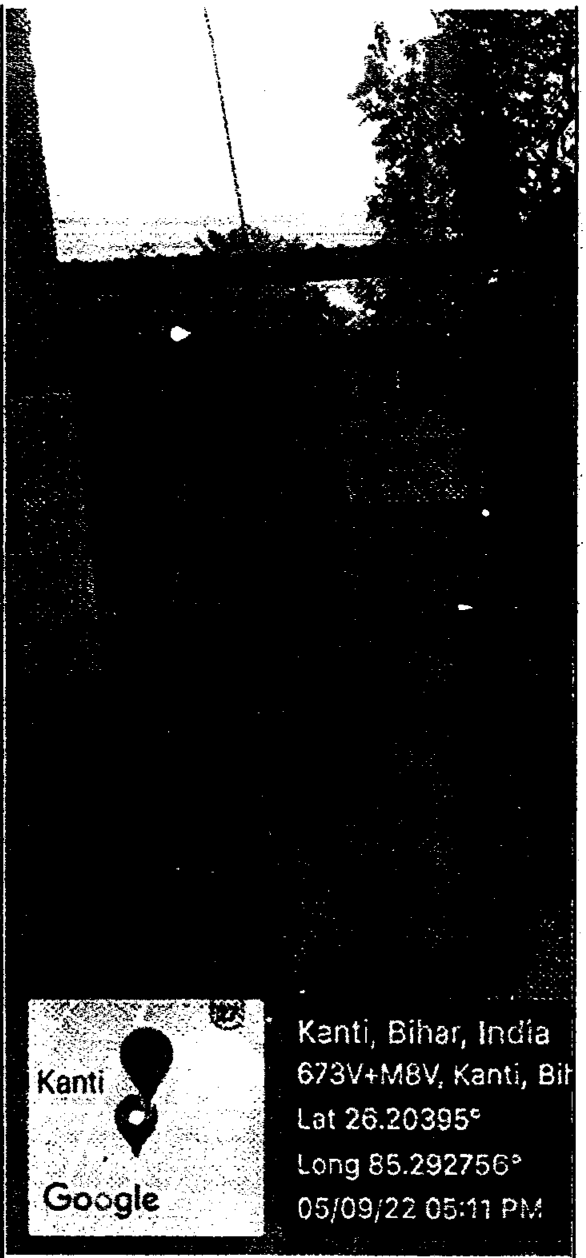

ठोस कचड़ा प्रबंधन केंद्र, नगर परिषद्, कॉंटी

उपरोक्त ठोस कचड़ा प्रबंधन केंद्र का संयुक्त भौतिक सत्यापन दिनांक 05.09.2022 को लेखापरीक्षा दल द्वारा किया गया, जिसमे यह पाया गया कि ठोस कचड़ा प्रबंधन केंद्र निर्माणाधीन अवस्था में थी, जहा सूखे अथवा गिले कचड़ो के प्रसंस्करण का कोई भी कार्य निष्पादित नहीं किया जा रहा था.

(ट) साफ़-सफाई कार्यो से सम्बंधित शिकायत-निवारण तंत्र का अभाव.

नगर परिषद्, कॉंटी (मुजफ्फरपुर) द्वारा एकरारनामा के नियम/शर्त में यह स्पष्ट उल्लेख है कि अधोहस्ताक्षरी को संस्था के किसी प्रकार की लापरवाही अथवा शिकायत पर सुचना देते हुए एकरारनामा को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा.

उपरोक्त नियम/शर्त के आलोक में नगर परिषद्, काँटी (मुजफ्फरपुर) द्वारा ऐसा कोई अभिलेख/प्रतिवेदन/ शिकायत निवारण पंजी, नगर परिषद् में संधारित नहीं पाया गया, जिससे यह ज्ञात हो कि साफ़-सफाई कार्यो से सम्बंधित शिकायती तंत्र का पालन या शिकायतों का निवारण स-समय किया जा रहा था अथवा नहीं, जबकि भिन्न- भिन्न अवधियों में साफ़ सफाई कार्यो हेतु कई शिकायते सम्बंधित संचिकाओ में पाई गई.

उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में माह सितम्बर से जुलाई 2022 तक की अवधि में कार्यो का बिना निरीक्षण किये एकरारनामा के शर्तो की अवहेलना करते हुए एवं कार्य में लगे मजदूरों की उपस्थिति पंजी माह-वार समर्पित किये बिना विभिन्न एजेंसीयों को Door-to-door साफ़-सफाई कार्यो के लिए कुल राशि रु. 25215704/- का अनियमित भुगतान किये जाने, फ़रवरी 2020 से मई 2021 तक की अवधि के Door-to-door सफाई कार्यो हेतु बिना अभिश्रव पास किये संस्थानों को अनियमित भुगतान किये जाने, सितम्बर 2019 से मई 2021 तक नगर परिषद्, काँटी द्वारा अनुचित तरीके से संस्था के विपत्र में से कटौती की जाने राशि का भुगतान कर वापस लौटाने की प्रक्रिया अपनाये जाने एवं उन कटौतियों की वसूली नहीं किये जाने, एकरारनामा से अधिक हाउसहोल्ड पर भुगतान किये जाने, संस्था को 24.03.2020 को अग्रिम भुगतान कर समायोजित नहीं किये जाने, जून 2021 से जुलाई 2022 तक की अवधि के Door-to-door सफाई कार्यो के वित्तीय बीड की तुलना किये बिना संस्था को कार्य आवंटित किये जाने, जून 2021 से जुलाई 2022 तक की अवधि में बिना तकनिकी बीड के एकरारनामा किये जाने एवं बिना एकरारनामा के कार्य का भुगतान किये जाने, संस्थानों द्वारा ठोस अपशिस्ट प्रसंस्करण का कार्य नहीं किये जाने, सम्बंधित कार्य सम्पादित नहीं किये जाने के बावजूद संस्थानों के विपत्र से कटौती की जाने वाली राशि का मुल्यांकन एवं कटौती किये बिना पूर्ण भुगतान किये जाने, अप्रैल 2016 से अब तक लम्बी अवधि बीत जाने के उपरान्त अब तक कचड़े के निपटान हेतु डंपिंग साईट के भूमि आवंटित नहीं किये जाने तथा कचड़ो की डंपिंग संस्था के द्वारा निष्पादित किये जाने, नगर परिषद् क्षेत्र में अप्रैल 2016 से अगस्त 2019 तक साफ़-सफाई कार्यो से सम्बंधित अभिलेख लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराये जाने तथा सम्बंधित अवधि में नगर परिषद् क्षेत्र में साफ़ सफाई कार्यो का निष्पादन किये जाने, साफ़-सफाई कार्यो की समीक्षा अथवा निरीक्षण से सम्बंधित अभिलेख लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराये जाने, ठोस कचड़ा प्रबंधन केंद्र (SWM) के अब तक शुरू नहीं किये जाने के कारण जबकि उपरोक्त संस्थानों द्वारा ठोस कचड़ा प्रसंस्करण के कार्य का निष्पादन भी किया जाना था एवं नगर परिषद् द्वारा साफ़-सफाई कार्यो से सम्बंधित शिकायती तंत्र का पालन या शिकायतों का निवारण किये जाने के सम्बन्ध में जवाब दिया गया कि साफ़ सफाई कार्यो का नगर निकाय स्तर पर सजगता से क्रियान्वयन किया जा रहा है, विसंगतियों का सुधार कर लेखापरीक्षा के दिशानिर्देशो का पालन किया जायेगा. पुन: माह जून 2021 से जुलाई 2022 तक संस्थानों के विपत्र से नगर परिषद् द्वारा उपलब्ध मशीनरी की राशि की कटौती नहीं किये जाने के सम्बन्ध में केवल 3 माह हेतु साक्ष्य सहित जवाब दिया गया कि मार्च 2022 से मई 2022 कुल 3 माह के मशीनरी हेतु कटौती की राशि संस्थान द्वारा कुल रु. 67680/- जमा कर दिया गया है, उपरोक्त जवाब संतोषप्रद नहीं है, अत: आपतिवार साक्ष्य सहित विस्तृत जवाब लेखापरीक्षा कार्यालय को शीघ्र प्रेषित करे.

सन्दर्भ संख्या: OBS-405694

विषय: प्रधानमंत्री आवास योजना-सबके लिए आवास (शहरी) की समीक्षा

प्रधानमंत्री आवास योजना-सबके लिए आवास (शहरी) के दिशानिर्देशिका के कंडिका 1.1 के अनुसार वर्ष 2015-22 के दौरान शहरी क्षेत्र के लिए "प्रधानमंत्री आवास योजना-सबके लिए आवास (शहरी)" मिशन को कार्यान्वित

किया जायेगा और यह मिशन वर्ष 2022 तक सभी पात्र परिवारों/लाभार्थियों को आवास प्रदान करने के लिए राज्यों और संघ राज्यों क्षेत्रो के माध्यम से कार्यान्वयन अभिकरणों को केंद्रीय सहायता प्रदान करेगा.

(क) प्रधानमंत्री आवास योजना-सबके लिए आवास (शहरी) पर अलाभकारी व्यय रु. 2907.20 लाख.

नगर परिषद्, काँटी (मुजफ्फरपुर) की लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना-सबके लिए आवास (शहरी) के अंतर्गत कुल व्यय की गई राशि रु. 351570000/- में से सभी 4 क़िस्त के रूप में 315 लाभुको को प्राप्त कुल रु. 60850000/- की राशि का लाभकर उपयोग किया जा सका है, शेष वित्तीय वर्ष 2015-16 से वर्तमान समयावधि तक व्यय की गई कुल राशि रु. 290720000/- का व्यय आवास पूर्ण न होने के कारण पूर्णतः लाभकारी नहीं रहा, <u>जिसकी विवरणी निम्न है</u>.

Amount distributed to Beneficiaries under PMAY (Urban)(Amount in lakh)											
Year	No. of Sanctioned DUs	No. of Work order given to Beneficiaries	1st Instal	Amt.	2st Instal	Amt.	3st Instal	Amt.	4st Instal	Total Amount given to Beneficiaries	Remaining fund
15-16	1561	1465	1399	699.5	1217	1217.0	712	142.0	268		
18-19	1717	1616	1043	521.5	392	392.0	186	37.2	25		
18-19	948	871	481	240.5	183	183.0	50	10.00	22	73.00	1.4
Total	4226	3952	2923	1461.5	1792	1792	948	189.2	315	73.00	1.4
कुल वितरित की गई राशि (1461.5+1792+189.2+73)										3515.70 लाख	
सभी 4 क़िस्त प्राप्त करने वाले लाभुको को वितरित की गई कुल राशि (315 X सभी 4 क़िस्त)										608.50 लाख	
अलाभकारी व्यय = कुल वितरित की गई राशि – सभी 4 क़िस्त प्राप्त करने वाले लाभुको को वितरित की गई कुल राशि (3515.70-608.50)										2907.20 लाख	

उपरोक्त विवरणी से स्पष्ट है कि वित्तीय वर्ष 2015-16 से वर्तमान समयावधि तक कुल राशि रु. 351570000/- का व्यय किये जाने के उपरान्त भी सम्बंधित कुल 3637 लाभुको (3952-315) को पहली, दूसरी, तीसरी एवं अंतिम क़िस्त न प्राप्त होने से आवास के अपूर्ण होने की स्थिति में अबतक किया गया कुल राशि रु. 290720000/- का व्यय अलाभकारी है, जबकि आवासों के पूर्ण निर्माण के अभाव में, किये गए आंशिक निर्माण के क्षतिग्रस्त होने की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता है.

(ख) प्रधानमंत्री आवास योजना-सबके लिए आवास (शहरी) की असंतोषजनक प्रगति.

नगर परिषद्, काँटी (मुजफ्फरपुर) के अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना-सबके लिए आवास (शहरी) हेतु वित्तीय वर्ष 2015-16 से 2021-22 के बीच कुल स्वीकृत 4226 आवास आवंटनो में से कुल 3952 लाभुको के आवास हेतु कार्य आदेश निर्गत किया गया, परन्तु वर्त्तमान समयावधि तक केवल 315 (7.97%) लाभुको को ही आवास निर्माण हेतु सभी 4 क़िस्त दिया गया. <u>जिसके विवरणी निम्न है</u>:

Progress Report of PMAY (Urban), NP Kanti										
Year	No. of Sanctioned DUs	No. of Workorder given to Beneficiaries	1st Instal	(%)	2st Instal	(%)	3st Instal	(%)	4st Instal	(%)
15-16	1561	1465	1399	89.62	1217	77.96	712	45.61	268	17.17
18-19	1717	1616	1043	60.75	392	22.83	186	10.83	25	1.46
18-19	948	871	481	50.74	183	19.30	50	5.27	22	2.32
Total	**4226**	**3952**	**2923**	**69.17**	**1792**	**42.40**	**948**	**22.43**	**315**	**7.45**

उपरोक्त विवरणी से स्पष्ट है कि कुल स्वीकृत 4226 आवास आवंटनो में से कुल 3911 (4226-315) यानि 92.55% लाभुको को उनके आवास निर्माण हेतु पहली, दूसरी, तीसरी या अंतिम क़िस्त उपलब्ध नहीं करायी जा सकी, जिसके कारण योजना की प्रगति काफी असंतोषजनक रही. साथ ही साथ वितीय वर्ष 2016-17, 2017-18, 2019-20, 2020-21 एवं 2021-22 में आवास निर्माण हेतु एक भी कार्य आदेश निर्गत नहीं किया जाना मिशन वर्ष 2022 तक सभी पात्र परिवारों/लाभार्थियों को आवास प्रदान करने के लक्ष्य के प्रति उदासीनता को दर्शाता है.

(ग) सर्वेक्षण के अनुसार वास्तविक मांग के अनुरूप आवास का आवंटन नहीं किया जाना.

प्रधानमंत्री आवास योजना-सबके लिए आवास (शहरी) के दिशानिर्देशिका के कंडिका 8.3 के अनुसार राज्य/ शहर आवास की वास्तविक मांग के आकलन हेतु उचित माध्यम से मांग सर्वेक्षण करेंगे। मांग सर्वेक्षण को मान्यता देते समय राज्यों/शहरों को केवल आवास स्कीम का लाभ लेने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों से शहर में संभावित अस्थायी प्रयासन पर विचार करना चाहिए तथा ऐसे प्रवासियों को लाभार्थियों की सूची से हटा देना चाहिए। मांग सर्वेक्षण और अन्य उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर, शहर सभी के लिए आवास कार्य योजना (एचएफएपीओए) तैयार करेंगे। एचएफएपीओए में दिशानिर्देशों के पैरा 3 में उल्लिखित चार विकल्पों में से चयनित कार्यक्रम के साथ शहर में पात्र लाभार्थियों द्वारा आवास की मांग निहित होनी चाहिए । लाभार्थियों के संबंध में सूचना राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उचित प्रारूप में एकत्र की जानी चाहिए लेकिन अनुलग्नक 4 में दिए अनुसार सूचना होनी चाहिए। एचएफएपीओए तैयार करते समय राज्य/संघ राज्य क्षेत्र और कार्यान्वयन एजेंसियों को शहर में पहले से उपलब्ध किफायती आवास स्टाक पर भी विचार करना चाहिए जैसा कि जनगणना आंकड़ों में दर्शाया गया है कि बड़ी संख्या में आवास खाली पड़े है।

लेखापरीक्षा के क्रम में पाया गया कि नगर परिषद् क्षेत्र अंतर्गत कराये गए सर्वेक्षण के विरुद्ध के वित्तीय वर्ष 2015-16 से 2021-22 कुल 7 वित्तीय वर्षों में केवल 3952 आवासों के लिए ही कार्य-आदेश निर्गत किया गया, जिसमे से केवल 315 आवासों को ही अब तक पूर्ण कराया गया है. यह भी उल्लेखनीय है कि वर्ष 2016-17, 2017-18, 2019-20, 2020-21 एवं 2021-22 में एक भी आवास निर्माण हेतु कार्य-आदेश निर्गत नहीं किया गया. वास्तविक मांग के अनुसार कम मात्रा में आवास निर्माण हेतु कार्य-आदेश निर्गत हुए साथ ही साथ कुल कार्य-आदेश के विरुद्ध पूर्ण किये गए आवासों की संख्या (कुल 315) से योजना के प्रति उदासीनता का पता चलता है, फलस्वरूप नगर परिषद, इस्लामपुर योजना के उदेश्यों को प्राप्त करने में विफल रही.

296

(घ) प्राथमिकता के आधार पर लाभुको का चयन नहीं किया जाना.

प्रधानमंत्री आवास योजना-सबके लिए आवास (शहरी) के दिशानिर्देशिका के कंडिका 6.5 के अनुसार एएचपी परियोजनाओं में चिन्हित पात्र लाभार्थियों को आवासों का आवंटन एसएलएसएमसी द्वारा यथा अनुमोदित पारदर्शी प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए किया जाना चाहिए तथा चयनित लाभार्थी एचएफएपीओए का हिस्सा हों। आवंटन में प्राथमिकता शारीरिक रूप से निःसहाय लोगों , वरिष्ठ नागरिकों , अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों, एकल महिलाओं, उभयलिंगी तथा समाज के अन्य कमजोर तथा उपेक्षित वर्गों को दी जाए। आवंटन करते समय, अशक्त व्यक्तियों तथा वरिष्ठ नागरिकों वाले परिवारों को प्राथमिक रूप से भूतल अथवा नीचे तलों पर आवासों का आवंटन किया जाए ।

नगर परिषद, काँटी (मुजफ्फरपुर) के लेखापरीक्षा के क्रम में प्राथमिकता के आधार पर लाभुको का चयन किये जाने सम्बन्धी प्रतिवेदन/अभिलेख/दस्तावेजो की मांग लेखापरीक्षा की ओर से की गई, परन्तु इस सम्बन्ध में नगर परिषद, इसलामपुर द्वारा कोई भी अभिलेख लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया जा सका.

(ङ.) भौतिक सत्यापन में पाई गई विसंगतिया.

प्रधानमंत्री आवास योजना-सबके लिए आवास (शहरी) हेतु तीसरी एवं अंतिम क़िस्त प्राप्त लाभुको का लेखापरीक्षा द्वारा किये गए भौतिक सत्यापन क्रम में निम्न विसंगतिया पाई गईः

295

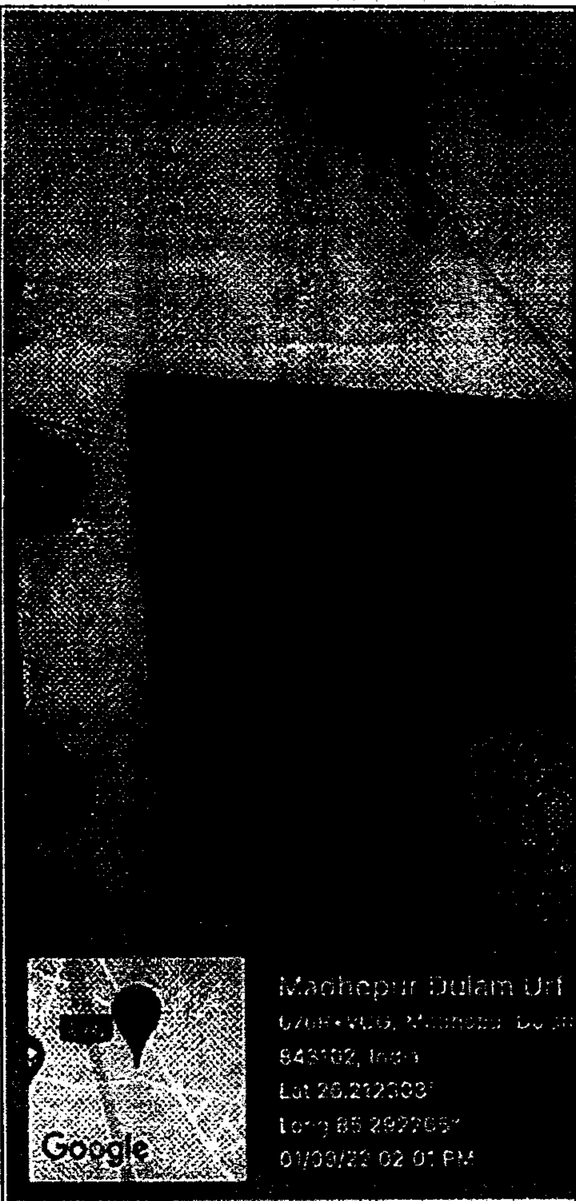

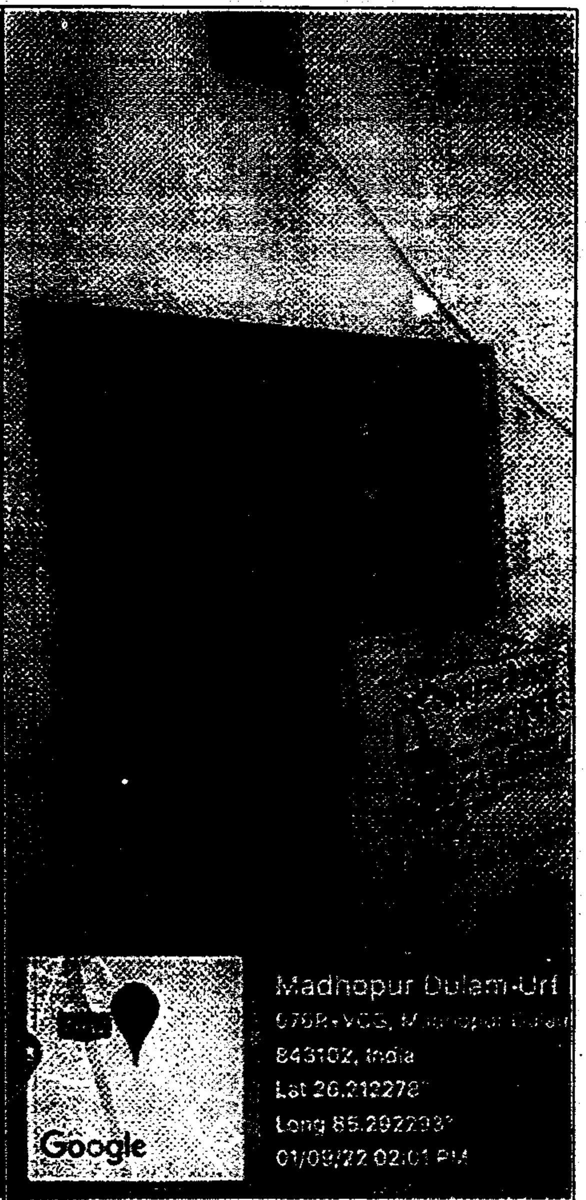

तालिका: 01	
लाभार्थी का नाम- ललिता देवी वार्ड नo- 07	प्राप्त सहायता राशि: 200000/-

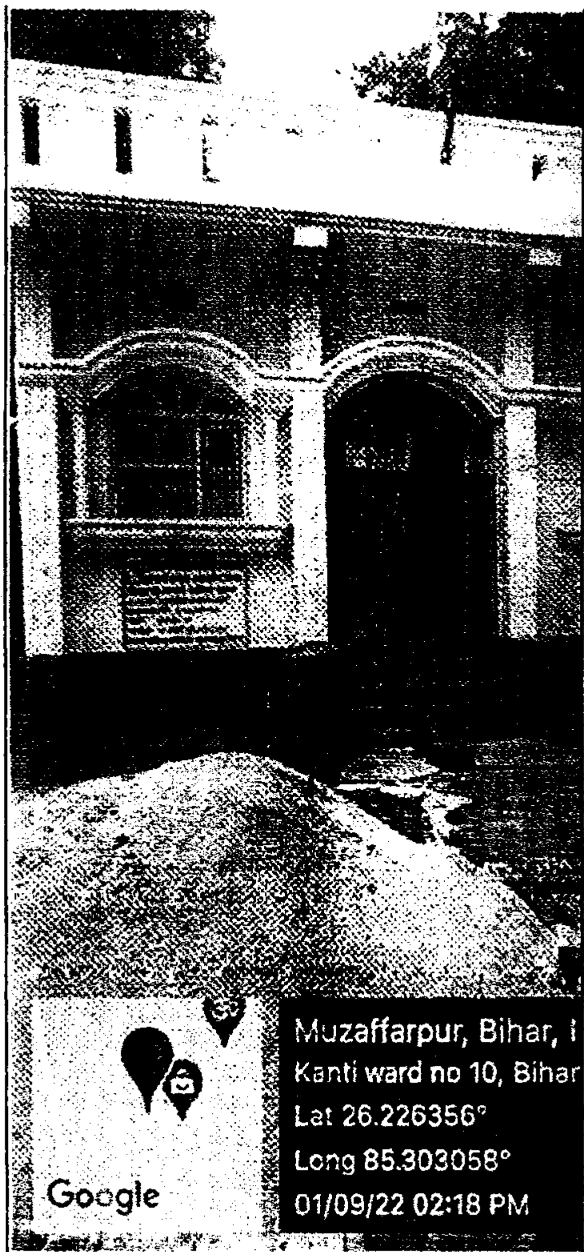

तालिका: 02	
लाभार्थी का नाम- रामअशीष प्रसाद वार्ड नo- 10	प्राप्त सहायता राशि: 150000/-

तालिका 1: उपरोक्त योजना के अंतर्गत पाया गया कि सभी क़िस्त मिलने के बावजूद सम्बंधित लाभुक के आवास के अन्दर प्लास्टर नहीं किया गया था.

तालिका 2: लाभुक के द्वारा बताया गया कि आवास के लिए 3 किस्ते ही प्राप्त हो सकी है. शेष आवास निर्माण का कार्य स्वयं द्वारा व्यवस्था करके कराई गई है. लाभुक के द्वारा यह भी बताया गया कि नाली के निर्माण नहीं होने के कारण आवास के जल निकासी की समस्या है.

(च) निगरानी एवं मूल्यांकन तंत्र का अभाव.

योजना की निर्देशिका के कंडिका 17 के अनुसार मिशन की निगरानी सभी तीन स्तरों पर की जायेगी : नगर , राज्य और केन्द्र सरकार। सीएसएमसी एचएफएपीओए की तैयारी, वार्षिक कार्यान्वयन योजनाओं (एआईपी) और परियोजना कार्यान्वयन की निगरानी करेगी। मिशन द्वारा उपयुक्त निगरानी तंत्र विकसित किया जायेगा। राज्यों और नगरों के लिए भी मिशन और उसके विभिन्न संघटकों की प्रगति के लिए निगरानी तंत्र का विकास करना अपेक्षित होगा।

नगर परिषद, काँटी (मुजफ्फरपुर) के लेखापरीक्षा के क्रम में योजना की निगरानी एवं निरीक्षण सम्बन्धी प्रतिवेदन/अभिलेख/दस्तावेजो की मांग लेखापरीक्षा की ओर से किये जाने के बावजूद इस सम्बन्ध में नगर परिषद, काँटी द्वारा कोई भी अभिलेख लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया जा सका.

उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में वित्तीय वर्ष 2015-16 से वर्तमान समयावधि तक कुल राशि रु. 351570000/- का व्यय किये जाने के उपरान्त भी सम्बंधित लाभुको को पहली, दूसरी, तीसरी या अंतिम क़िस्त न प्राप्त होने से आवास के अपूर्ण होने की स्थिति में अबतक किये गए कुल राशि रु. 290720000/- का व्यय पूर्णतः लाभकारी न होने के कारण, योजना की प्रगति मात्र 7.45% होने एवं कुल स्वीकृत 4226 आवास आवंटनो में से कुल 3911 यानि 92.55% लाभुको को उनके आवास निर्माण हेतु पहली, दूसरी, तीसरी या अंतिम क़िस्त उपलब्ध नहीं कराये जा सकने, जबकि योजना का लक्ष्य 2022 तक सभी पात्र परिवारों/लाभार्थियों को आवास प्रदान करना था, वित्तीय वर्ष 2015-16 से 2021-22 तक आवासों की स्वीकृति होने के उपरान्त कुछ लाभुको को आवास हेतु स्वीकृति एवं कार्यदेश प्राप्त होने के बावजूद आवास हेतु चयनित नहीं किये जाने का के कारण अथवा उन्हें पुनः चयनित किये जाने सम्बन्धी साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराये जाने, वास्तविक मांग हेतु सर्वेक्षण किये जाने के उपरान्त भी कम मात्र में आवास आवंटित किये जाने, योजनान्तर्गत प्राथमिकता के आधार पर लाभुको का चयन नहीं किये जाने, लेखापरीक्षा द्वारा भौतिक सत्यापन में अंतिम क़िस्त एवं तीसरे क़िस्त प्राप्त होने के बावजूद लाभुको के आवास निर्माण में विसंगतियो के होने का कारण एवं योजना की निगरानी एवं निरीक्षण हेतु नगर परिषद, काँटी (मुजफ्फरपुर) द्वारा किये गए प्रयासों के सम्बन्ध में जवाब दिया गया कि निधि आवंटन प्राप्त नहीं होने के कारण लाभुको को सभी किस्तों की राशि नहीं प्राप्त हो पायी है, आवंटन उपलब्ध होते लाभुको को क़िस्त की राशि निर्गत कर दी जाएगी. जवाब संतोषप्रद नहीं है कृपया आप्तिवार साक्ष्य सहित जवाब लेखापरीक्षा कार्यालय को प्रेषित किया जाए.

सन्दर्भ संख्या: OBS-405819

विषय: बिहार नगरपलिका अधिनियम 2007 के तहत विभिन्न समितियों का गठन बिहार नगरपालिका लेखा नियमावली, 2014 के अनुसार पंजियों का संधारण नहीं किया जाना एवं अन्य अनियमिताएं

1. विभिन्न समितियों का गठन (Formation of Various Committees)

(क) सशक्त स्थाई समिति- बिहार नगरपलिका अधिनियम 2007 की धारा 21 एवं 22 में प्रावधान है कि प्रत्येक नगरपालिका में सशक्त स्थाई समिति का गठन हो व नगरपालिका की सारी कार्यकारी शक्तियाँ इसमें निहित रहेंगी जिसका प्रयोग मुख्य पार्षद, सशक्त स्थाई समिति द्वारा सौपे गए कार्यों में संपादन हेतु करेगा I

(ख) नगरपालिका लेखा समिति - बिहार नगरपलिका अधिनियम 2007 की धारा 98 में प्रावधान है कि प्रत्येक नगरपालिका हर वर्ष अपने प्रथम बैठक में ही अथवा उतरोतर बैठक में नगरपालिका लेखा समिति का गठन करेगा जो नगरपालिका में हुए व्यय हेतु नगरपालिका द्वारा स्वीकृत विनियोग राशि व नगरनिकाय के वार्षिक वित्तीय

092

खताओं को दर्शाती लेखाओं की जाँच करेगा तथा बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 के अधीन आन्तरिक लेखापिक्षा व नगरपालिका के लेखाओं पर नियुक्त लेखापरीक्षक के प्रतिवेदन की संवीक्षा व जाँच करेगा I साथ ही आन्तरिक लेखापरीक्षा व लेखापरीक्षक के प्रत्येक अंकेक्षण प्रतिवेदन में विहित कंडिका के विरुद्ध कार्यवाही/अनुपालन प्रतिवेदन की समीक्षा व अनुमोदन करेगा I

(ग) विषय समिति (Subject Committee)- Rule 32 of BMA 2007 provided that a Municipal Corporation or a Class 'A' Municipal Council, from time to time to constitute Subject Committee consisting of Councillors to deal with the matters (a) water supply, drainage and sewerage and solid waste management (b) urban environment management and land use control ,and (c) slum up-gradation and basic services for urban poor. The recommendations of a Subject committee were to be submitted to the ESC for its Consideration.

2. विभिन्न पंजियों का संधारण (Maintenance of Records):- बिहार नगरपालिका लेखा नियमावली,2014 के नियम 3 के तहत नगरपालिका को निम्न पंजियों का संधारण विहित प्रपत्र में करना है I

(i) परिसम्पत्ति पंजी (बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 की धारा 105 के अनुसार सशक्त स्थायी समिति को BMAR 2014 के प्रपत्र संख्या 38 (Immovable Properties Register) एवं 39 (Movable Properties Register) में परिसंपत्ति पंजी का संधारण करना है।
(ii) माँग एवं वसूली पंजी (Demand Register)
(iii) अग्रिम पंजी (Advance Register)
(iv) भंडार पंजी (Stock Register)
(v) सरकारी अनुदान पंजी (Government Grant Register) (बिहार नगरपालिका लेखा नियमावली 2014 के नियम 69 के अनुसार सरकार अथवा अन्य स्रोतों से प्राप्त अनुदानों का संधारण अनुदान पंजी (प्रपत्र संख्या 28) में करना है।
(vi) लेखापाल की रोकडवही (Accountant Cash Book)
(vii) योजना पंजी (Scheme Register)
(viii) दैनिक संग्रहण पंजी (Daily Collection Register)
(ix) विज्ञापन शुल्क की पंजी (Advertisement tax Register)
(x) जमा पंजी (Register of Deposits)
(xi) भूमि पंजी (Land Register)
(xii) रॉयल्टी पंजी (Royalty Register)
(xiii) संपत्तियों के किराये से आय से संबंधित पंजी :- नगरपालिका की अपनी सम्पत्तियों जैसे दुकानों भूमि, इत्यादि के मासिक किरायों के सामयिक संग्रहण हेतु माँग वही BMAR प्रपत्र सं. 23 में विवरणी रखेगी एवं ससमय संग्रह पर नजर रखेगी।

द्वि - प्रविष्टि प्रणाली में लेखाओं का संधारण :-

बिहार नगरपालिका लेखा नियमावली 2014 के नियम 4 के अनुसार सभी नगरपालिकाओं को अपने लेखा पुस्तकों को द्वि - प्रविष्टीय लेखांकन प्रणाली (Double entry system) के अनुसार संभूति लेखांकन प्रणाली (Accrual accounting system) का अनुसरण करते हुए रखेगी।

3. वार्षिक किराया मूल्य (Annual Rental Value) :-

विहार नगरपालिका (संशोधन) विधेयक , 2013 की धारा 127 की उप - धारा (7) (iii) के अनुसार संपूर्ण निर्मित क्षेत्र का विभिन्न वर्गों के होल्डिंग के लिए प्रति वर्ग फुट किराया प्रति 5 वर्ष में 15 प्रतिशत से अन्यून बढ़ायी

291

सन्दर्भ संख्या: OBS-406357

विषय: स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत निर्मित सामुदायिक शौचालय पर अलाभकारी व्यय - रु० 16.86 लाख।

प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार के पत्रांक 2614 दिनांक 29-05-15 के द्वारा जारी संकल्प के अनुसार " स्वच्छ भारत मिशन " (नगरीय) " योजना को राज्य के सभी नगर निकायों में लागु किया गया है I संकल्प के अनुसार अनुमानत: ऐसे परिवार जिनके घर में शौचालय नहीं है के 20 % परिवार ऐसे हैं जिनके पास व्यक्तिगत शौचालय बनाने हेतु जगह भी उपलब्ध नहीं है I इन परिवारों को सामुदायिक शौचालय की सुविधा उपलब्ध कराना आवश्यक है I पुनः विभाग के पत्रांक 1331 दिनांक 26.02.2016 के तहत यह निर्देश दिया गया था कि सामुदायिक शौचालय कम से कम बनाया जाये I शहरी स्थानीय निकाय यह प्रयास करें कि प्रत्येक शौचालय विहीन परिवारों को निजी शौचालय उपलब्ध हो जाये I अत्यन्त विशेष परिस्थिती में यदि सामुदायिक शौचालय बनाने की आवश्यकता हो तो उसका निर्माण कराकर उसे नजदीक के भूमिहीन शौचालय विहिन परिवारों को एक-एक सीट व्यक्तिगत रूप से संधारण हेतु सौंप दी जाये I सामुदायिक शौचालय का सामूहिक संधारण करना अव्यवहारिक है I तदनुसार सामुदायिक शौचालय बना देने के बाद उसका व्यैक्तिक संधारण उनके माध्यम से कराया जाये जिनके घर में निजी शौचालय नहीं बन पा रहा हो I आगे नगर परिषद् के द्वारा मुख्यमंत्री निश्चय योजना अंतर्गत शहरी क्षेत्रो में लागू हर घर शौचालय योजना के कार्यान्वयन का निर्णय लिया गया I आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा निर्गत स्वच्छ भारत (शहरी) निर्देशिका के कंडिका 5.3 के अनुसार सामुदायिक शौचालय के निर्माण के लिए ऐसे शहरी परिवारों के समूह को लाभार्थियों के रूप में चयन किया जाना था जिनके सदस्यो द्वारा खुले में शौच करने की प्रथा हो और जिनके पास व्यक्तिगत शौचालय कि वयवस्था नहीं हो एवं जिनके लिए व्यक्तिगत शौचालय का निर्माण सुगम नहीं हो I कंडिका 5.4 के अनुसार जब पर्याप्त संख्या में समूह के रूप में ऐसे परिवारों की पहचान कर लिया जाये तो सम्बंधित नगर निकाय के द्वारा सामुदायिक शौचालय के निर्माण के लिए चयनित परिवारों के समूह के रहने वाले स्थान के नजदीक एक उपयुक्त स्थल का चयन किया जाना चाहिए I आगे, कंडिका 5.7 के अनुसार स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत निर्मित सामुदायिक शौचालय देख-रेख के लिए 5 वर्षो का अनुरक्षण संविदा (मेंटिनेंस कॉन्ट्रैक्ट) किया जाना चाहिए I

नगर परिषद् काँटी द्वारा नगर विकास एवं आवास विभाग के निर्देश के आलोक में सामुदायिक शौचालय के निर्माण को क्रियान्वित किये जाने का निर्णय लिया गया I लेखापरीक्षा के द्वारा स्वच्छ भारत मिशन के तहत सामुदायिक शौचालय के निर्माण से सम्बंधित योजनाओ के नमूना जाँच में पाया गया कि नगर परिषद् के द्वारा स्वच्छ भारत मिशन के तहत सामुदायिक शौचालय के निर्माण का निर्णय लिया गया था I संक्षिप्त विवरणी निम्नांकित है :-

क्र०स०	सामुदायिक शौचालय के निर्माण का स्थल	कार्यादेश की तिथि	कार्य पूर्ण करने की विहित तिथि	कार्य पूर्ण करने की वास्तविक तिथि	संवेदक का नाम	भुगतान (लाख में)	दिनांक
01	वार्ड 07 में सामुदायिक शौचालय निर्माण I	16-06-20	16-08-20	10.08.20	श्री सरोज कुमार	9.72	09.01.21
02	वार्ड 14 में सामुदायिक शौचालय निर्माण I	04-03-20	03-05-20	25.03.20	श्री आफताब आलम	7.14	09.01.21

290

उपरोक्त वर्णित योजना का संयुक्त भौतिक सत्यापन लेखापरीक्षा दल के सदस्यों और लेखापरीक्षित इकाई के कर्मचारीयो के द्वारा किया गया था और पाया गया कि योजना के अंतर्गत निर्मित सामुदायिक शौचालय का उपयोग नहीं किया जा रहा था और इनकी भौतिक स्थिति काफी खराब थी I

नगर परिषद् द्वारा निविदा के माध्यम से सामुदायिक शौचालय का निर्माण किया जा रहा था परन्तु आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा निर्गत स्वच्छ भारत (शहरी) निर्देशिका के कंडिका 5.7 के अंतर्गत निर्मित सामुदायिक शौचालय देख-रेख के लिए 5 वर्षो का अनुरक्षण संविदा (मेंटिनेंस कॉन्ट्रैक्ट) नहीं किया गया था साथ ही साथ ऐसे शहरी परिवारों के समूह जिनके सदस्यो द्वारा खुले में शौच करने की प्रथा हो और जिनके पास व्यक्तिगत शौचालय कि वयवस्था नहीं हो अथवा जिनके लिए व्यक्तिगत शौचालय का निर्माण सुगम नहीं हो के चयन से सम्बंधित कोई भी साक्ष्य संचिका में उपलब्ध नहीं पाया गया था I

उपर्युक्त तथ्यों से यह स्पष्ट है कि नगर परिषद् कौंटी में स्वच्छ भारत मिशन के तहत निर्मित उपरोक्त सामुदायिक शौचालय का उचित देख-रेख नगर परिषद् कार्यालय द्वारा नहीं किया गया था जिसके कारण नगर परिषद् कौंटी में स्वच्छ भारत मिशन के तहत निर्मित उपरोक्त सामुदायिक शौचालय कि भौतिक स्थिति काफी खराब थी और साथ ही साथ शौचालय का उपयोग स्थानीय नागरिको के द्वारा नहीं किया जा रहा था I इस प्रकार उपरोक्त सामुदायिक शौचालय के निर्माण पर किया गया व्यय कुल रु० 16.86 लाख का व्यय अलाभकारी था I

आगे जाँच में पाया गया कि विभागीय निर्देशों के अनुसार यदि सामुदायिक शौचालय बनाने की आवश्यकता हो तो उसका निर्माण कराकर उसे नजदीक के भूमिहीन शौचालय विहिन परिवारों को एक-एक सीट व्यक्तिगत रूप से संधारण हेतु सौंपा जाना था I सामुदायिक शौचालय का सामूहिक संधारण करना अव्यवहारिक था I तदनुसार सामुदायिक शौचालय बना देने के बाद उसका व्येक्तिक संधारण उनके माध्यम से कराया जाना था जिनके घर में निजी शौचालय नहीं बन पा रहा हो I उक्त निर्देशों के अनुपालन से सम्बंधित कोई भी साक्ष्य संचिका में उपलब्ध नहीं पाया गया था I

पुनः जाँच में पाया गया कि क्रमांक 2 पर वर्णित योजना के अंतर्गत L.S.Item लगाने का कार्य भी उसी संवेदक को दिनांक 01.07.20 को दिया गया जिसे पूर्ण करने का समय दिनांक 01.09.20 तीन माह निर्धारित था परन्तु इस समयावधी का अनुपालन नहीं किया गया था तथा लेखा परीक्षा की तिथि (अगस्त 22) तक पूर्ण नहीं किया गया था I

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में वस्तुस्थिति से अवगत कराये जाने के साथ-साथ स्वच्छ भारत मिशन के तहत निर्मित सामुदायिक शौचालयों का उचित देख-रेख नहीं किये जाने तथा निर्माण के समय शौचालयों का समुचित उपयोग सुनिश्चित नहीं किये जाने के सम्बन्ध में जवाब दिया गया कि लेखापरीक्षा के दिशानिर्देशों का पालन करते हुए सामुदायिक शौचालयो की साफ-सफाई को सुदृढ़ किया जायेगा.

जवाब संतोषप्रद नहीं है क्योंकि सामुदायिक शौचालयों की स्थिति दैनीय है अत: विसंगतियो के सम्बन्ध में साक्ष्य सहित जवाब प्रेषित किया जाए.

सन्दर्भ संख्या: OBS-406371

विषय: नल- जल योजना कार्यान्विन में निष्फल व्यय रूपए 37.04 लाख, संवेदक को अदेय लाभ: रूपये 1.14 लाख।

कार्यालय नगर परिषद कौंटी के मुख्यमंत्री पेयजल योजना के अंतर्गत अल्पकालीन पुनर्निविदा आमन्त्रण सूचना संख्या 04/2017-18 के लेखा परीक्षा के दौरान नमूना जाँच में पाया गया कि हर घर नल योजना के क्रियान्वयन में कई प्रकार की अनियमितता बरती गयी है. विस्तृत विवरणी निम्नांकित है:-

क्रम० स०	विवरणी	
1	योजन का नाम, संख्या एवं वर्ष	नगर परिषद कौंटी वार्ड न. 07 में 500 घरों में नल-जल का आपूर्ति कार्य भाग, 04/2017-18
2	मद	हर घर नल-जल योजना
3	प्राक्कलित राशि	4401768
4	एकरारित राशि	4401768
5	अंतिम भुगतान	2933800
6	कार्यादेश कि तिथि	09.05.2018
7	कार्य समाप्ति की निर्धारित तिथि	06 माह (03.11.2018)
8	कार्य समाप्ति की वास्तविक तिथि	20.08.2019
9	किये गए कार्य का मूल्य	3704331
10	तकनीकी स्वीकृति	दिनाक 08.07.2017
11	संवेदक	श्री शैलेन्द्र कुमार
12	निविदा उद्धहरित दर	बी0 ओ0 क्यू0 के दर पर
13	निविदा का निष्पादन	लाटरी के आधार पर

कार्य पूर्ण करने का समय छह माह निर्धारित था परन्तु इस समयावधी का अनुपालन नहीं किया गया था. कार्यालय द्वारा विलंब से कार्य समाप्ति पर एकरारनामा के क्लॉज़ 2 के अनुसार कांट्रेक्टर से कुल एस्टीमेट वैल्यू के ½ % प्रतिदिन के दर से अधिकतम 10 प्रतिशत तक कंपनसेशन वसूल किया जाना था जिसे नहीं किया गया बल्कि कंपनसेशन संवेदक को भूगतित राशि के 10% के दर से लिया गया। इस प्रकार 1.14 लाख (4401768×10%-3259814×10%=1141954) का अदेय लाभ संवेदक को दिया गया।

योजना से सम्बंधित संचिका के जाँच में सम्बंधित वार्ड का नजरी नक्शा संलग्न नहीं पाया गया साथ ही योजना के प्राक्लन में किस आधार पर पाइपलाइन की लम्बाई निर्धारित की गयी और किस आधार पर योजना के अंतर्गत 500 लाभुक परिवारों का चयन किया गया इस सम्बन्ध में भी कोई साक्ष्य संचिका में संलग्न नहीं पाया गया ।

नलकूप में 500 परिवार के लिए न्यूनतम 7.5 HP के सबमर्सिबल पंप का प्रावधान किया जाना चाहिए। सबमर्सिबल पंप उच्च गुणवत्ता का भारतीय मानक IS 8034:2002 के अनुरूप एवं राष्ट्रिय स्तर की कम्पनी जैसे Kirloskar, Crompton, KSB द्वारा बनाया गया हो और कम से कम एक साल की वारंटी प्राप्त हो। यदि एक वार्ड में 250 से कम ऐसे परिवार हो जिनमे पेयजल कनेक्शन नहीं है तो एक योजना में एक से अधिक वार्डो के परिवार भी लिए जा सकते हैं।

परिणाम विपत्र के अनुसार कार्य नहीं किया जाना :- योजना से सम्बंधित परिणाम विपत्र, तकनीकी अनुमोदन और मापी पुस्त के जाँच क्रम में पाया गया कि योजना के अंतर्गत बोरिंग का कार्य कुल 160 मीटर की गहराई तक किया जाना था लेकिन वास्तविक में इस योजना के अंतर्गत सिर्फ 132 मीटर गहराई तक ही बोरिंग का कार्य किया गया था। विवरणी इस प्रकार है :-

क्रं स०	परिणाम विपत्र के अनुसार किया जाने वाला कार्य	मात्रा	मापी पुस्त के अनुसार किये गए कार्य की मात्रा
1.	Boring work		
	400mm dia bore from GL to 30M	30M	30M
	350mm dia bore from 30M to 90 M	60 M	32M
	350mm dia bore from 90 M to 160 M	70 M	70M

कम गहराई तक ही बोरिंग किये जाने के कारन पानी की गुणवत्ता प्रभवित होने से इंकार नहीं किया जा सकता है। तकनीकी अनुमोदन में अनुमोदित गहराई से कम गहराई तक ही बोरिंग किये जाने के कारणों से लेखापरीक्षा को अवगत कराया जाये।

योजना के प्रक्लन में 7.5 HP के सबमर्सिबल पंप का प्रावधान किया गया था। योजना से सम्बंधित संचिका में सबमर्सिबल पंप के खरीद से सम्बंधित विपत्र संलग्न नहीं पाया गया जिसके कारण लेखापरीक्षा मे यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि सबमर्सिबल पंप किस गुणवत्ता का था और यह भारतीय मानक IS 8034:2002 के अनुरूप था अथवा नहीं। संचिका में विपत्र नहीं होने के कारण लेखापरीक्षा मे यह भी सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि सबमर्सिबल पंप किस राष्ट्रिय स्तर की कम्पनी जैसे Kirloskar, Crompton, KSB द्वारा बनाया गया हो और इसपर कम से कम एक साल की वारंटी प्राप्त थी अथवा नहीं।

कार्यपालक पदाधिकारी, काँटी के पत्रांक 314 दिनांक 09/05/2018 के द्वारा संवेदक को कार्यादेश दिए गए थे जिसमे निम्नलिखित दिशा दिशा निर्देश दिए गए थे:-

(क) योजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व, मध्य एवं कार्य पूर्ण होने के बाद फोटोग्राफ लेना आवश्यक था।

(ख) कार्य समानुपाती रूप से ससमय पूरा हो इसके लिए कार्यक्रम (कार्य योजना) समर्पित करेंगे।

(ग) कार्य में व्यवहृत सामग्रियों की शत-प्रतिशत जाँच सहायक अभियंता से कराने के बाद ही व्यव्हार में लायेंगे।

(घ) संवेद्कों को भुगतान योजना के पूर्ण मद हेतू किया जायेगा, (घ) संवेदकों को भुगतान योजना के पूर्ण मद हेतू किया जायेगा जो कि तृतीय पक्ष गुणवत्ता निरीक्षण के संतोषप्रद प्रतिवेदन के बाद किया जायेगा।

(ड) कार्य स्थल के प्रारंभिक एवं अंतिम बिंदु पर योजना संबंधी सुचना पट्ट लगाना आवश्यक है जो लोहे के Angle पर PCC से जाम हो ।लेखा परीक्षा के दौरान जाँच में पाया गया की उपरोक्त दिशा निर्देश के अनुपालन संबंधित साक्ष्य संचिका में सलग्न नहीं पाए गए। संचिका में कोई भी कार्य योजना संलग्न नहीं थी तथा सभी सामानों की गुणवत्ता संवंधी रिपोर्ट संलग्न नहीं थी। कार्य के दौरान लगाये गए सभी सामग्री/उपकरण की गुणवता संबधित कोई रिपोर्ट सलंग्न नहीं रहने से कार्य की गुणवत्ता संदिग्ध प्रतीत होती है।

कार्यालय के स्तर पर पूर्ण रूप से पर्यवेक्षण नहीं की गयी क्योंकि कार्य पूर्ण करने में विलंब होने पर संवेदक के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गयी थी।

योजना के अंतर्गत कुल लाभान्वितों की संख्या 500 निर्धारित थी। परन्तु सलग्न लाभान्वितों की सूची के अभाव में लाभान्वितों की संख्या के बारे में लेखा परीक्षा किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुँच सकी।

योजना की संयुक्त भौतिक जाँच में पाया गया की योजना के अंतर्गत जल की सप्लाई नहीं हो रही है तथा मोटर स्टार्टर वगैरह अधिष्ठापित नहीं पाया गया।

योजना की संयुक्त भौतिक जाँच में पाया गया की योजना के अंतर्गत जल की सप्लाई शुरुआत से ही बाधित है। कार्यालय में इस योजना के अंतर्गत संचालित जल आपूर्ति योजनाओं के नियमित देख रेख की व्यवस्था नहीं रहने से योजना के सुचारू संचालन पर प्रशन चिंह लगता है जैसा की संयुक्त भौतिक जाँच में पाया गया है। उपरोकत तथ्यों से यह परिलक्षित होता है की योजना का क्रियान्वयन दोषपूर्ण ढंग से किया गया था।

नगर विकास एवं आवास विभाग बिहार सरकार के पत्रांक: 7932 दिनांक: 27.10.2016 के द्वारा जारी मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजना के मार्गदर्शिका के अनुसार :

- बोरिंग हेतु चयनित उपयुक्त स्थल से आच्छादित होने वाले क्षेत्रों के नजरी नक्शा में सभी सड़कों की लम्बाई को दर्शाना I:

नगर निकाय को ऐसे वार्डों के नजरी नक़्शे में सभी सड़कों पर पूर्व से विधमान एवं प्रस्तावित पाइपलाइन दर्शानी होगी और कम से कम 250 एवं अधिकतम 1500 ऐसे परिवारों को चिन्हित करना है जिनके पास पेयजल कनेक्शन उपलब्ध नहीं है I यदि कोई सड़क दो वार्डों को विभाजित करती है तो सड़क के दूसरी ओर के घरों को शामिल करना होगा II वार्ड के नक्शें में योजना के सभी अवयवों को दर्शाया जाना आवश्यक होगा I

आच्छादित होने वाले क्षेत्रों में परिवारों की संख्या/कुल जनसँख्या का आकलन:-

स्थानीय निकायों में वार्डवार एवं सड़कवार परिवारों की संख्या/कुल जनसँख्या एवं जिनके पास गृह जल संयोजन उपलब्ध नहीं है का आकलन नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार के बुनियादी सर्वेक्षण में प्राप्त गणना के आधार पर किया जा सकता है I

आच्छादित क्षेत्र की जनसंख्या एवं सड़क की लम्बाई के आधार पर बोरिंग/पंप मोटर एवं वितरण प्रणाली का 135 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के आधार पर डिजाईन करना :-

सबमर्सिबल पंप उच्च गुणवत्ता का भारतीय मानक IS 8034:2002 के अनुरूप एवं राष्ट्रीय स्तर की कंपनी जैसे Kirloskar, Crompton,KSB द्वारा बनाया गया हो और कम से कम एक साल का वारंटी प्राप्त हो ।

गृह जल संयोजन कार्य हेतु 1/8Brass Ferrule का प्रावधान होना चाहिए :-

प्रत्येक घर को गृह जल संयोजन 1/8 साइज़ के Brass Ferrule से ही उपलब्ध कराया जाए I नगर निकायों द्वारा गृह जल संयोजन देने के क्रम में मकान मालिक का नाम, पता, आधार नंबर, मोबाइल नंबर एवं तस्वीर अपने अभिलेख में रखने के अतिरिक्त उनसे एक प्रमाणपत्र भी लेना सुनिश्चित किया जायेगा की उनके घर में नल का जल उपलब्ध हो गया है I नल जल कनेक्शन से सम्बंधित सभी जानकारी विभाग द्वारा विकसित MIS पर Upload करना आवश्यक होगा I

योजनाओं का कार्यान्वयन :-

पाइपलाइन रोड लेवल से कम से कम 1 मीटर की गहराई में बिछाई जानी चाहिए I 3 मीटर से कम की चौडाई वाले गली में जो मोटेरबल नहीं है पाइपलाइन रोड लेवल से कम से कम 1 फीट की गहराई में बिछाई जानी चाहिए I पाइपलाइन के गड्ढे भरने के पूर्व पाइपलाइन के अंतिम छोर को बंद कर एवं पाइपलाइन के प्रथम छोर पर Pressureguage लगाकर निर्धारित pressure जाँच करनी चाहिए I पाइपलाइन की टेस्टिंग के समय डूडा के अभियंता आवश्यक रूप से स्थल पर उपस्थित रहें I यदि पाइपलाइन निर्धारित प्रेशर से पूर्व ही लीक करे तो संवेदक को पूरी पाइपलाइन को सुधारने हेतू निर्देश प्रदान करें I

संधारण :-

नलकूप से पेयजल सीधे पाइपलाइन के माध्यम से निर्धारित क्षेत्र के सभी परिवारों को प्रतिदिन निश्चित समय पर प्रात: एवं संध्या में 8-8 घंटे वितरित किया जायेगा ताकि प्रतिदिन 135 लीटर प्रतिदिन पानी उपलब्ध हो सके II

लेखा परीक्षा के दौरान संचिका जाँच एवं भौतिक निरिक्षण में मार्गदर्शिका के उपरोक्त शर्तों के अनुपालन से संबंधित कोई भी साक्ष्य नहीं पाए गए तथा नल जल की सप्लाई पूर्णत बाधित थी।

उपरोक्त तथ्यौं के आलोक में वस्तुस्थिति से अवगत कराये जाने के साथ साथ कार्य में बरती गयी अनियमितता के कारणों, विलंब शुल्क की कटौती कम किए जाने एवं व्यय को निष्फल माने जाने के सम्बन्ध में जवाब दिया

286

गया कि लेखापरीक्षा के दिशानिर्देशो का पालन करते हुए विसंगतियों का सुधार कराने का पूरा प्रयास किया जायेगा.

उपरोक्त जवाब के आलोक में किये जाने वाले कृत कारवाई से एवं व्याप्त विसंगतियों के सम्वन्ध में साक्ष्य सहित जवाब लेखापरीक्षा कार्यालय को प्रेषित किया जाए.

सन्दर्भ संख्या: OBS-406429

विषय: अनियमित क्रय : रु0 7.70 लाख ,आपूर्तिकर्ता को अदेय लाभ : रु0 0.077 लाख एवं बिना जरुरत का क्रय: रु0 4.48 लाख I

According to the General Financial Rules 2017 under rule 149 (VII) The Government Buyers may ascertain the reasonableness of prices before placement of order using the Business Analytics (BA) tools available on GeM including the Last Purchase Price on GeM, Department's own Last Purchase Price etc.

कार्यालय के द्वारा उपलब्ध कराए गए डस्टबीन से संबंधित क्रय संचिका के नमूना जाँच में पाया गया की नगर परिषद कोंटी के द्वारा 10 लीटर क्षमता वाला डस्टबिन **Waste Containers Or Rigid Liners- Dust Bin Or Garbage Bin Or Household Bin** कुल 12000 डस्टबिन क्रय करने का निर्णय लिया गया I इस हेतु कार्यालय द्वारा जेम पोर्टल पर बीड संख्या- GGEM/2018/B/113661 dt. 01.11.2018 आमंत्रित की गयीI

इस बीड में कुल 21 कंपनियों ने भाग लिया I तकनीकी मूल्यांकन में इनमे से 05 निविदादाताओं को अयोग्य करार दिया गया I सिर्फ सोलह निविदाकारों को सफल घोषित किया गया I वित्तीय निविदा में इन तीन निविदाकारों में से L1 निविदाकार Nagpur Polyfilms, Pvt. Ltd. को Contract no. GEMC-511687724953814 दिनांक 01.12.2018 के माध्यम से क्रयादेश दिया गया I कार्यादेश में 31.12.2018 तक सामग्री आपूर्ति करने को कहा गया I इसके वाद संचिका में संलग्न आपूर्तिकर्ता के पत्र के अनुसार 16,अनुसार कुल 12000 डस्टबीन (6000 ब्लू डस्टबीन + 6000 हरा डस्टवीन) की आपूर्ति दिनांक 15.01.2019 को की गयी I डस्टबीन का वितरण निम्नानुसार की गयी :-

वार्ड नंबर	सामग्री आपूर्तिकर्ता का नाम	सामग्री डस्टबिन 10 लीटर हरा	सामग्री डस्टबिन 10 लीटर ब्लू	कुल संख्या	अभिश्रव संख्या / तिथि
1.	नागपुर पोलीफिल्म्सप्राइवेट लिमिटेड I	-	-	234	Eway bill no.261073205897 Dated: 15.01.2019
2.		-	-	467	
3.		-	-	539	
4.		-	-	342	
5.		-	-	106	
6.		-	-	165	

7.		"	"	419	
8.		"	"	411	
9.		"	"	398	
10.		"	"	434	
11.		"	"	395	
12.		"	"	523	
13.		"	"	356	
14.		"	"	238	
	कुल योग	"	"	5027	

शेष 6973 (12000-5027=6973) डस्टबिन के बारे में लेखा परीक्षा किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुँच सकी। I स्टॉक पंजी में उपरोक्त डस्टबिन के प्राप्ति से संबंधित इंट्री की गयी थी I उपरोक्त डस्टबिन में से 106-523 के लॉट में डस्टबिन संबंधित वार्ड को जारी किए गए थे I इन डस्टबिन को कैसे वितरीत किये इससे संबंधित साक्ष्य संचिका में संलग्न नहीं पाए गये I इस प्रकार डस्टबिन का वितरण तो किया गया था परन्तु वास्तव में कुल कितने व्यक्तियों को कितने डस्ट बीन दिए गए यह साक्ष्य के अभाव में स्पष्ट नहीं था I इस प्रकार कुल कितने डस्ट बीन लाभूकों को वास्तव में वितरित किए गए इससे संबंधित जानकारी संचिका में सलग्न नहीं पायी गयी I

<u>आपूर्ति किए गए सामग्री के एवज में कार्यालय द्वारा दिनांक 09.04.2019 को कुल रु० 7,69,800 का भुगतान किया गया I</u>

उपरोक्त तथ्यों से यह स्पष्ट होता है कि डस्ट बीन के क्रय में General Financial Rules 2017 के प्रावधानों 149 (VII) का अनुपालन नहीं किया गया था I क्योंकि संचिका में सामग्री के क्रयादेश देने के पूर्व जेम पर उपलब्ध Business Analytics (BA) tools का प्रयोग नहीं किया गया था तथा the Last Purchase Price on GeM, एवं Department's own Last Purchase Price etc.जाने बिना ही क्रयादेश दिया गया था I संचिका की जाँच में उपरोक्त शर्तों के अनुपालन से संबंधित साक्ष्य सलग्न नहीं पाए गए I यह कार्यालय के स्तर पर बरती गयी उचित निगरानी एवं पर्यवेक्षण के अभाव को दर्शाता है I

<u>बिहार वित्त संहिता के नियम 126 केअनुसार</u> :-

Rule 126. Fundamental principles of public buying : Every authority delegated with the financial powers of procuring goods in public interest shall have the responsibility and accountability to bring efficiency, economy, transparency in matters relating to public procurement and for fair and equitable treatment of suppliers and promotion of competition in public procurement. The procedure to be followed in making public procurement must conform to the following yardsticks:-

(i) the specifications in terms of quality, type etc.,as also quantity of goods to be procured, should be clearly spelt out keeping in view the specific needs of the procuring organisations. The specifications so worked out should meet the basic needs of the organisation without including superfluous and non-essential features, which may result in unwarranted expenditure. Care should also be taken to avoid purchasing quantities in excess of requirement to avoid inventory carrying costs;

(ii) offers should be invited following a fair, transparent and reasonable procedure;

284

(iii) the procuring authority should be satisfied that the selected offer adequately meets the requirement in all respects;
(iv) the procuring authority should satisfy itself that the price of the selected offer is reasonable and consistent with the quality required;
(v) at each stage of procurement the concerned procuring authority must place on record, in precise terms, the considerations which weighed with it while taking the procurement decision.
बिहार वितीय संहिता के विभिन फर्मों के बीच प्रतियोगिता के विकास एवं सभी फर्मों को उचित तथा बराबरी की सुविधा उपलब्ध कराने के उपरोक्त प्रावधानों का पुर्णतः अनुपालन संचिका की जाँच में नहीं पाया गया। सामग्री के क्रय से पहले सामान की आवश्यकता / जरुरत हेतु कोई डिमांड या सामग्री मांग पत्र संचिका में सलग्न नहीं पायी गयी। 12000 डस्टबिन की खरीद का आधार आवश्यकता थी यह संचिका के दस्तावेजों से स्पष्ट नहीं था। यह बिहार वितीय संहिता के प्रावधानों के अनुपालन में हुए चुक को परिलक्षित करता है।

सामान्य वित्तीय नियम के नियम 208 केअनुसार :-

Rule 208 (1) Receipt of goods and materials from private suppliers.

(i) While receiving goods and materials from a supplier, the officer- in-charge of stores should refer to the relevant contract terms and follow the prescribed procedure for receiving the materials.

(ii) All materials shall be counted, measured or weighed and subjected to visual inspection at the time of receipt to ensure that the quantities are correct, the quality is according to the required specifications and there is no damage or deficiency in the materials. Technical inspection where required should be carried out at this stage by Technical Inspector or Agency approved for the purpose. An appropriate receipt, in terms of the relevant contract provisions may also be given to the supplier on receiving the materials.

(iii) Details of the material so received should thereafter be entered in the appropriate stock register, preferably in an IT-based system. The officer-in-charge of stores should certify that he has actually received the material and recorded it in the appropriate stock registers.

Rule 209 Receipt/issue of goods and materials from internal divisions of the same organisation.

(i) The indenting officer requiring goods and materials from internal division(s) of the same organisation should project an indent in the prescribed form for this purpose. While receiving the supply against the indent, the indenting officer shall examine, count, measure or weigh the materials as the case may be, to ensure that the quantities are correct, the quality is in line with the required specifications and there is no damage or deficiency in the materials.

Rule 211 Lists and Accounts.

The Officer-in-charge of stores shall maintain suitable item-wise lists and accounts and prepare accurate returns in respect of the goods and materials in his charge making it possible at any point of time to check the actual balances with the book balances. The form of the stock accounts mentioned above shall be determined with reference to the nature of

283

the goods and materials, the frequency of the transactions and the special requirements of the concerned Ministries/Departments.
सामग्रियों की प्राप्ति एवं वितरण के समय उपरोक्त नियमों का अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया गया क्योंकि संचिका में अनुपालन से सम्बंधित साक्ष्य संलग्न नहीं पाए गए।

सामानों की आपूर्ति के पहले बाज़ार का सर्वे नहीं किया गया क्योंकि इससे संबंधित कोई भी साक्ष्य संचिका में सलग्न नहीं पाए गए। आपूर्ति किये गए सामान की गुनवत्ता जाँच नहीं की गयी थी जिस कारण गुणवत्ता संदिग्ध प्रतीत होती है।

जेम के गाइडलाइन्स के नियम 14 (iiiiii) के अनुसार

<u>**Liquidated Damages:** If the Seller fails to deliver any or all of the Goods/Services within the original/re-fixed delivery period(s) specified in the contract, the Buyer will be entitled to deduct/recover the Liquidated Damages for the delay, unless covered under Force Majeur. conditions aforesaid, @ 0.5% per week or part of the week of delayed period as pre-estimated damages not exceeding 10% of the contract value without any controversy/dispute of any sort whatsoever.</u>

आगे जाँच में पाया गया कि कार्यादेश में दिसम्बर 2018 तक डस्टबिन की आपूर्ति का आदेश था परन्तु इसका **अनुपालन नहीं किया गया। स्टॉक पंजी के अनुसार डस्टबिन की आपूर्ति लगभग 1/2 माह देर से की गयी परन्तु आपूर्तिकर्ता के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गयी। इस प्रकार आपूर्तिकर्ता को 0.077 (1% ऑफ़ परचेज प्राइस) लाख का वसूलनीय लाभ दिया गया।**

<u>GEM के गाइडलाइन्स5.2.4.3 के अनुसार Price Reasonability:</u>

GeM shall provide the buyer with multiple tools to help the buyer ascertain price reasonability Such as comparison of prices across other e-commerce sites (wherever available), discount over MRP, Last Purchase Price on GeM and the prices at which transactions have been conducted on GeM for similar items in the recent past. Buyers should also use the Last Purchase Price as recorded by the buying entity in ascertaining price reasonability. The responsibility to ascertain the reasonability of price for any buying on GeM rests solely with the buyer. Buyer will be incentivized to contribute to the price rigor on the platform by sharing relevant information.

आगे जाँच में पाया गया कि जेम के उपरोक्त गाइडलाइन्स के अनुपालन सम्बन्धी साक्ष्य नहीं पाए गए। इस कारण Price Reasonability के बारे में लेखा परीक्षा किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकी।।।

<u>आगे संयुक्त भौतिक जाँच में पाया गया कि शेष डस्टबीन विवाह भवन में रखे गए थे।</u> यह इस बात को परिलक्षित करता है कि डस्टबीन का क्रय बिना जरुरत के किया गया था। इस प्रकार विवाह भवन में रखे गए कुल डस्टबीन 6973 के क्रय पर किया गया कुल व्यय रु० 4.48 लाख (6973×64.15=447318) निष्फल व्यय प्रतीत होता है।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में डस्ट बीन के आपूर्ति का आदेश General Financial Rules 2017 के प्रावधानों 149 (VII) का उल्लंघन कर दिए जाने, जेम के Price Reasonability के प्रावधानों का अवहेलना कर डस्टबीन का क्रय किये जाने, सामान्य वित्त संहिता के नियम 108 (1) एवं 112 के उपरोक्त वर्णित प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित नहीं किये जाने, विहार वित्त संहिता के नियम की 126 (iii) के अनुसार निविदा को प्रकाशित करने के पहले सामग्री की जरुरत का आकलन नहीं किये जाने, सामानों की आपूर्ति के पहले सर्वे नहीं किये जाने, सामग्री की गुनवत्ता जाँच के सम्बन्ध में, कार्यालय द्वारा आपूर्ति आदेश के पूर्व उपकरणों का स्पेसिफिकेशन नहीं प्राप्त किये जाने, डस्टबिन की देर से आपूर्ति करने हेतु आपूर्तिकर्ता के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं किये जाने

282

एवं डस्टबिन प्राप्ति एवं वितरण के समबन्ध में एवं डस्ट बीन क्रयादेश के पूर्व Price Variation clause का पालन नहीं किये जाने के सम्बन्ध में जवाब दिया गया कि सभी डस्टबिन उपयोगी अवस्था में है, अतः सभी डस्टबिनो का वितरण करा लेखापरीक्षा कार्यालय को सूचित कर दिया जायेगा. उपरोक्त विसंगतियों का आपतिवार एवं किये जाने वाले कृत कारवाई से साक्ष्य सहित जवाब देते हुए लेखापरीक्षा कार्यालय को अवगत कराया जाए.

सन्दर्भ संख्या: OBS-406492

विषय: कमजोर आन्तरिक नियंत्रण तथा नियमो के अवहेलना के कारण विभागीय कार्यों में अनियमितता व्यय – रु० 28.46 लाख ।

नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार के द्वारा अपने संकल्प 3557 दिनांक 20-11-14 के द्वारा राज्य योजनाओ जिनकी प्राक्कलित राशि रु०7.50 लाख तक हो को विभागीय रूप से कराने की मंजूरी दी गयी । आगे, विभागीय पत्रांक 5088 दिनांक 04-08-16 के द्वारा यह नगर परिषद् के कार्यपालक पदाधिकारी को यह निर्देश दिया गया कि संकल्प 3557 दिनांक 20-11-14 के द्वारा दिए निर्देशों का कठोरता से पालन किया जाये साथ ही यह निर्देश दिया गया कि अस्थाई अथवा संविदा पर नियुक्त कनीय अभियंताओ से किसी भी स्थिति में विभागीय कार्य नहीं कराया जाये यह पूर्णतः अमान्य है । पूर्णकालिक कनीय अभियंताओ के द्वारा ही विभागीय रूप से योजनाओं का कार्यान्वयन कराया जाना है । एक समय में एक कनीय अभियंता को तीन से अधिक योजना नहीं दी जानी है । यदि अस्थाई अथवा संविदा पर नियुक्त कनीय अभियंता को विभागीय योजनाओ के कार्यान्वयन का आदेश दिया जाता है तो इसकी सम्पूर्ण जिम्मेवारी सम्बंधित कार्यपालक पदाधिकारी की होगी । इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की सुचना प्राप्त होने पर सम्बंधित कार्यपालक पदाधिकारी एवं अभियंता के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ कि जाएगी । पुनः, विभागीय संकल्प 2574 दिनाक 04-05-18 को विभाग के द्वारा यही निर्देश सम्वंधित कार्यपालक पदाधिकारी को दिया गया ।

बिहार नगरपालिका लेखा नियमावली, 2014 के नियम 75 विभागीय श्रमिकों से सम्बन्धित है । नियम 75 (1) अनुसार जब कार्य दैनिक मजदूर के द्वारा किया जाता है, तो कार्य का लेखा बी0एम०ए०आर० फॉर्म 33 में सांकेतिक मस्टर रोल के आधार पर रखा जायेगा, जो कि नियमतः जैसा कि सुविधाजनक हो, प्रत्येक श्रमिक गुट के लिए पृथक-पृथक साप्ताहिक/पाक्षिक/ या मासिक आधार पर रखा जायेगा । आगे नियम नियम 75 (9) अनुसार, कार्य के लिए सहायक प्रभारी के द्वारा प्रतिदिन बी0एम०ए०आर० फॉर्म 34 में कार्यरत श्रमिकों का विवरण अभियंता या मुख्य नगरपालिका अधिकारी को समर्पित किया जायेगा । यह विवरण अभियंता और लेखा शाखा के द्वारा भुगतान हेतु प्रस्तुत मस्टर रोल के जाँच के लिए उपयोग किया जायेगा । उस विवरण में दर्शित श्रमिकों की संख्या की सत्यता परखने के लिए अभियंता या मुख्य नगरपालिका अधिकारी जितनी बार सम्भव हो सके स्वयं स्थल निरीक्षण करेंगे और श्रम्पुस्त पर सत्यता का प्रमाण पत्र अंकित करेंगे ।

आगे नियम नियम 75 (11) अनुसार, भुगतान अधिकारी, अभियंता या मुख्य नगरपालिका अधिकारी की उपस्थिति में, सामान्य उपस्थिति बही पर तिथि अंकित कर बनाये गए निश्चित जगह पर श्रमिकों द्वारा भुगतान प्राप्ति की स्वीकारोक्ति के रूप में हस्ताक्षर लेकर (अगर अनपढ़ हो तो बाएं हाथ के अंगूठे का निशान) उसके नाम के आगे हस्ताक्षर कर प्रत्येक श्रमिक को भुगतान करेंगे । अधिकारी जिनके समक्ष भुगतान किया गया है वे सामान्य उपस्थिति बही के पन्ने के निचले हिस्से पर अवस्थित भुगतान प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करेंगे ।

बिहार कोषागार संहिता 2011 के नियम 249 के अनुसार, श्रमपुस्त पर किया जाने वाला भुगतान संवितरण कार्यालय के सर्वोच्च उपस्थित सरकारी सेवक के द्वारा या उसकी मौजूदगी में किया जायेगा और उसके द्वारा सामूहिक अथवा व्यक्तिगत रूप से भुगतान को प्रमाणित भी किया जायेगा ।

२८१

कार्य के लिए सहायक प्रभारी के द्वारा प्रतिदिन बी0एम०ए०आर० फॉर्म 34 में कार्यरत श्रमिकों का विवरण अभियंता या मुख्य नगरपालिका अधिकारी को समर्पित नहीं किया गया था I श्रमिकों की संख्या की सत्यता परखने के लिए अभियंता या मुख्य नगरपालिका अधिकारी द्वारा स्थल जाँच से सम्बंधित कोई भी साक्ष्य श्रमपुस्त में मौजूद नहीं पाया गया I श्रमिकों का भुगतान अभियंता या मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी की उपस्थिति में नहीं किया गया था I

नगर परिषद कौंटी के द्वारा उपलब्ध कराये गए अभिलेखों के अनुसार नगरपालिका निधि से 2019-22 के दौरान विभागीय रूप से कराये गए कार्यों के नमूना जाँच में पाया गया कि बुडको के प्रतिनियुक्त कनीय अभियंता श्री मनोज कुमार बैठा के द्वारा उक्त 52 योजनाओं का कार्य कराया गया है I विस्तृत विवरणी निम्नांकित है :-

क्रमांक	कनीय अभियंता का नाम	विभागीय योजनाओं की संख्या जो उनके द्वारा की गयी
1.	श्री मनोज कुमार बैठा, कनीय अभियंता	52

स्पष्ट है कि एक ही कनीय अभियंता / सहायक अभियंता से विभागीय निर्देशों के विपरीत सभी विभागीय योजनाओ का कार्यान्वयन कराया जा रहा था I कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराये गए विभागीय योजना से संबंधित संचिका की नमूना जाँच में पाया गया कि कनीय अभियंता के द्वारा निम्नलिखित दो योजनाओं में अनियमितता बरती गयी है I जिसका विवरण निम्नांकित है :-

क्रमांक	कार्य का नाम	प्राक्कलित राशि	भुगतान की गयी राशि	कार्य की स्थिती
1.	वार्ड नंबर 7 में R.C.C. नाला एवं पेवर ब्लॉक निर्माण कार्य कमलेश शाही के घर से विश्वनाथ सिंह के घर तक	748700	733762	पूर्ण
2.	वार्ड नंबर 7 में मुख्तार के दुकान से रोहित पान दुकान तक R.C.C. नाला का निर्माण कार्य	742600	720509	पूर्ण
3.	वार्ड नंबर 13 में 35 अदद सार्वजनिक स्थानों पर चापाकल के समीप सोख्ता का निर्माण कार्य	711700	696960	पूर्ण
4.	वार्ड नंबर 02 में 35 अदद सार्वजनिक स्थानों पर चापाकल के समीप सोख्ता का निर्माण कार्य	714000	694695	पूर्ण
	कुल योग	2917000	2845926	

कनीय अभियंता के द्वारा उपरोक्त योजनाओ की संचिका में कोई भी मस्टर रौल नहीं लगाया गया है I फलस्वरूप कार्य की पूर्णता संदिग्ध प्रतीत होती है I

संचिका में ऐसा स्पष्ट आदेश था की मजदूरों का भुगतान वार्ड निगरानी सह अनुश्रवण समिति के देख-रेख में ही किया जाय तथा मस्टर रोल का संधारण योजना स्थल पर किया जाय परन्तु ऐसा नहीं किया गया II

उपरोक्त वर्णित योजना के कार्यादेश में कार्य समाप्ति की तिथि अंकित नहीं थी II इससे कार्य समयानुसार संपन्न हुए के बारे में लेखा परीक्षा किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुँच सकी II

कार्य का प्रगति प्रतिवेदन नगर पंचायत के प्रत्येक साप्ताहिक बैठक में देना था परन्तु ऐसा नहीं किया गया।

संवेदक को आवंटित कार्य में लाये गए सामग्री की कोई भी गुणवत्ता जाँच रिपोर्ट संचिका में संलग्न नहीं पाया गया। जिस कारण किए गए कार्य की गुणवत्ता संदिग्ध प्रतीत होती है ।

280

क्रम संख्या 1 एवं 2 पर वर्णित योजना के कार्य के अंतर्गत नाला का निर्माण किया जाना था परन्तु वास्तव में इसका जुड़ाव मुख्य नाला से किया गया था या नहीं यह संचिका में स्पष्ट नहीं था I स्पष्ट है की कार्यदेश के पूर्व अपेक्षित सर्वे नहीं किया गया था।

क्रम संख्या 1 एवं 2 पर वर्णित योजना के अभिलेख में संलग्न अभिश्रव में सामग्री आपूर्तिकर्ता का हस्ताक्षर नहीं पाया गया फलस्वरूप अभिश्रव की प्रमाणिकता संदिग्ध प्रतीत होती है I स्पष्ट है की कार्यालय स्तर पर निगरानी एवं पर्यवेक्षण का नितांत अभाव था।

क्रम संख्या 3 एवं 4 पर वर्णित योजना के कार्य के अंतर्गत सोख्ता का निर्माण किया जाना था परन्तु वास्तव में इसका निर्माण उचित जगह पर किया गया था I यदि इसका निर्माण सरकारी जमीन पर किया गया था तो इसका अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया गया था यह संचिका में संलग्न नहीं था I स्पष्ट है की कार्यदेश के पूर्व अपेक्षित सर्वे नहीं किया गया था।

क्रम संख्या 3 एवं 4 पर वर्णित योजना के अभिलेख में संलग्न अभिश्रव में सामग्री आपूर्तिकर्ता का हस्ताक्षर तो पाया गया परन्तु इसे पारित नहीं किया गया था I फलस्वरूप अभिश्रव की प्रमाणिकता संदिग्ध प्रतीत होती है I स्पष्ट है की कार्यालय स्तर पर निगरानी एवं पर्यवेक्षण का नितांत अभाव था।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में नगर परिषद् द्वारा विभागीय निर्देशों की अवहेलना कर के एक ही अवधि में तीन से अधिक योजनाओ का कार्यान्वयन एक ही कनीय अभियंता से कराये जाने, उपरोक्त निर्देशों के अनुपालन हेतु कार्यालय स्तर द्वारा कार्रवाई किये जाने, बिना किसी आधार के कार्य के दौरान उपयोग में लाये गए सामग्री के गुणवत्ता प्रमाण पत्र के बिना ही संवेदक को भुगतान किये जाने एवं लेखा परीक्षा उपरोक्त राशि एवं कार्य में सम्बंधित व्यय को राशि को दुर्विनयोग माने जाने के सम्बन्ध में जवाब दिया गया कि जांचोपरांत लेखापरीक्षा कार्यालय को सूचित कर दिया जायेगा.

कृपया किये जाने वाले कृत कारवाई से साक्ष्य सहित जवाब लेखापरीक्षा कार्यालय को प्रेषित किया जाए.

सन्दर्भ संख्या: OBS-406591

विषय: Ncn Production of records.

The Following records/files/performa were not produced to audit by Office of Nagar Parishad, Kanti (Muzaffarpur) during audit of period April 2016 to March 2022, despite of several verbal and written requisitions and reminders.

1. Annual Accounts.
2. Accountant cash book,
3. Money receipts and hand receipts.
4. Files/records related to finalization of sairats/realization of revenue for the period 2016-22.
5. Forms/registers/books as required under BMAR 2014.
6. Settlement Registers and files.
7. Minutes of meeting of General body and Empowered standing committee.
8. Asset Registers and connected files, annual verification report.
9. Files/records related to advertisement
10. Files/records related to erection and sanction of mobile towers.
11. Files/records related to Trade License.
12. Shop rent Registers.
13. List of Service Books with Personal files.
14. Pay bill Register.
15. Log book of vehicles, generators, photo copy machines.
16. Cheque book and cheque issue register.
17. Counterfoiles of cheques.
18. Register of valuables.
19. Challan

079

20. Expenditure Control Register.
21. Register of outstanding advances.
22. Files/records/vouchers related to TA, LTC, medical reimbursement, festival advance, house building advance, miscellaneous advances, etc.
23. Records/Files related to SWM (From April 2016 to August 2019).
24. Records/Files related to allotment and disbursing of grants, submission of utilization certificates,
25. Files related to payment of electricity bills.
26. Files related to internal audit and inspection by authorities.
27. Development/Annual plan files.
28. List of files/documents maintained by NP Kanti.
29. Files/Records related to fraud, misappropriation, theft etc.
30. Personal Deposit account.
31. Action taken on various complaint cases received in NP Kanti.
32. Investment files/Records/Register.
33. Personal files and service books of employees appointed, retired/retiring during 2016-22, and others as demanded by audit in due course.
34. Files/Records/agreement executed with companies/agencies for manpower/Services etc.
35. Liveries account.
36. Income tax files.
37. Guard files of circulars/orders applicable from time to time.
38. Files/records related to constitution of various standing committees as per provision in Act.
39. Stock book and issue registers of vehicle/equipments etc.
40. Files Records regarding payment for fuel of vehicles engaged in door to door collection of waste.
41. Compliance of previous Inspection Reports.
42. Name and designation of controlling officers and other higher authorities of the Department.
43. Files/records related with vending zones, Rain Baseras etc.
44. Statement of allotment and expenditure.
45. Information sought in enclosed proforma- 18 and Performa- I &II.
46. Statement relating to posting of cashiers, and DDOs during 2016-22.
47. Files/Records related to provident fund.
48. Files/Records related to realization of revenue, survey and assessments done by NP Kanti.

49. Any other records/files/information as required and requisitioned in due course of audit.

उपरोक्त के सम्बन्ध में जवाब दिया गया कि अगले लेखापरीक्षा दल को उपलब्ध कराने का पूरा प्रयास किया जायेगा.

सन्दर्भ संख्या: OBS-406719

विषय: बैंक समाशोधन विवरणी तैयार नहीं किया जाना।

वित्त विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक 7691 दिनांक 22.09. 2017 के अनुसार निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी-सह खाता संचालक का दायित्व है की प्रत्येक माह के अंत में बैंक खाता एवं रोकड़बही/सहायक रोकड़बही/बैंक पंजी/चेक पंजी के अवशेष राशि का मिलान करेगा | यदि अवशेष राशि में अंतर पाया जाता है तो उस अंतर राशि से संबंधित एक समाशोधन विवरणी तैयार कर व्यय विवरणी के साथ उक्त समाशोधन विवरणी को नियंत्रि अधिकारी के अवलोकनार्थ प्रेषित करेगा |
नगर परिषद् , काँटी के लेखापरीक्षित अवधि में रोकड़बही तथा बैंक विवरणी के नमूना जाँच के क्रम में पाया गया की कार्यालय द्वारा वितीय वर्ष 2021-22 का बैंक समाशोधन विवरणी तैयार नहीं किया गया है | पुनः यह

पाया गया कि बैंक खाते एवं पी एल खाता का योग 31.3.2022 के रोकड़ पंजी से 599700.96 [illegible] (विवरणी संलग्न)।
अतः लेखापरीक्षा को बैंक समाधान विवरणी तैयार नहीं किये जाने, राशि के अंतर के कारणों से [illegible] को अवगत कराएं।

लेखापरीक्षा के आपत्ति में कार्यालय द्वारा जवाब दिया गया कि बैंक समाधान विवरणी में सुधार कर लिया जायेगा।

बैंक समाधान विवरणी में सुधार कर लेखापरीक्षा कार्यालय को सूचित करें।

भाग-III

(पिछले निरीक्षण प्रतिवेदनों के बकाया अनुच्छेदों पर अनुवर्ती कार्यवाही)

भाग-IV (उत्तम कार्य-प्रणाली)

भाग –V (आभार)

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
ए०एम०जी०–I (गेटिंग)